इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

इन्दिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
समाज कार्य विद्यापीठ

BSW-121
व्यावसायिक समाज कार्य और इसके मूल्य

खंड

2

समाज कार्य के मूल तत्व

इकाई 1
व्यावसायिक समाज कार्य : प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और कार्य 5

इकाई 2
व्यावसायिक समाज कार्य : सामान्य सिद्धान्त, मूल्य और उनका अनुप्रयोग 20

इकाई 3
भारत में स्वैच्छिक क्रिया और समाज कार्य 39

इकाई 4
भारतीय संदर्भ में समाज कार्य नैतिक संहिता 57

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

विशेषज्ञ समिति

प्रो. पी.के. गांधी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

डॉ. डी.के. लाल दास
आर. एम. कालेज ऑफ
सोशल वर्क, हैदराबाद

डॉ. पी.डी. मैथ्यू
भारतीय सामाजिक संस्थान
नई दिल्ली

डॉ. एलेक्स वड़वुम्मथला
सी.बी.सी.आई. सेंटर, नई दिल्ली

प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ए.पी. बर्नबास (सेवानिवृत्त)
आई.आई.पी.ए.
नई दिल्ली

डॉ. रंजना सहगल
इंदौर स्कूल आफ सोशल वर्क
इंदौर

डॉ. रमा वी. बारू
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

डॉ. जेरी थॉमस
डॉन बास्को
गुवाहाटी

प्रो. सुरेन्द्र सिंह, कुलपति
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी

प्रो. ए.बी. बोस (सेवानिवृत्त)
सतत् शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. के. के. मुखोपाध्याय
दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो. ए.आर. खान
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. आर.पी. सिंह
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. ऋचा चौधरी
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. प्रभा चावला
इग्नू, नई दिल्ली

विशेषज्ञ समिति (संशोधन)

प्रो. सुषमा बत्रा
समाज कार्य विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. आर. आर. पाटिल
समाज कार्य विभाग
जामिया मिलिया, नई दिल्ली

डॉ. बीना एन्थोनी रेजी
अदिति महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. संगीता शर्मा धोर
डॉ. भीम राव अम्बेडर कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. ग्रेशियस थोमस
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. रोज़ नेम्बियाकिम
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. सोम्या
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. जी. महेश
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. सायन्तनी गुईन
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल

इकाई लेखक

1.डॉ. कनका दुर्गाव,
2.डॉ. बी.वी. जगदीश,
3.श्री संजय भट्टाचार्य,
4.श्री जोसेफ वर्गीस,

विषय संपादक
प्रो. के. के. जैकब
उदयपुर, राजस्थान

कार्यक्रम संयोजक
प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

भाषा संपादक
डॉ. बोध प्रकाश
बी.एस.एस.एस., भोपाल

इकाई रूपांतरण
श्री जोसेफ वर्गीस
परामर्शदाता, इग्नू, नई दिल्ली

खंड संपादक
प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम संयोजक
प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल (संशोधन)

इकाई लेखक

1.डॉ. कनका दुर्गाव,
2.डॉ. बी.वी. जगदीश,
3.श्री संजय भट्टाचार्य,
4.श्री जोसेफ वर्गीस,

विषय संपादक
डॉ. फ्रांनसिना पी.एक्स.
लोयोला कालेज ऑफ
सोशल साइंस, केरल

खंड संपादक
डॉ. सायन्तनी गुइन
इग्नू, नई दिल्ली

कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम संयोजक
डॉ. सायन्तनी गुइन
इग्नू, नई दिल्ली

संपादक हिंदी
डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप सिंह
राजीव गांधी विश्वविद्यालय,
ईटानगर

मुद्रण निर्माण

श्री. कुलवंत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

अक्टूबर,2020

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2020

ISBN-81-

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, समाज कार्य विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर कम्पोजिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी–166ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (नजदीक सेक्टर 2, द्वारका), नई दिल्ली–110059

खण्ड 2 का परिचय

इस पाठ्यक्रम के प्रथम खंड में भारत और विदेशों में समाज कार्य से संबधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं और समाज के कार्य के विकास को स्पष्ट किया गया है। इस खंड में आपका परिचय समाज कार्य व्यवसाय की दार्शनिकता, सिद्धान्तों, प्रणालियों और नीतियों से कराया जाएगा।

इसकी पहली इकाई 'व्यावसायिक समाज कार्यःप्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और कार्य' में समाज में सामाजिक कार्यकर्त्ता का स्थान या स्थिति के संबंध में वर्णन है। हमने विभिन्न साधनों की भी चर्चा की है जिनका प्रयोग एक सामाजिक कार्यकर्त्ता अपने व्यवसाय में कर सकता है। इस इकाई में समाज कार्य व्यवसाय के विभिन्न दृष्टिकोणों और विचार धाराओं से भी परिचय करवाया गया है। दूसरी इकाई 'व्यावसायिक समाज कार्यः सामान्य सिद्धांत और उनका अनुप्रयोग' के क्षेत्रों को और अधिक विस्तार से बताया है। तीसरी इकाई 'भारत में स्वैछिक क्रिया और समाज कार्य' में लोगों के जीवन स्तर के सुधार कार्यों में गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों का वर्णन किया गया है। चौथी इकाई 'भारतीय संदर्भ में समाज कार्य नैतिक संहिता के बारे में बताया है। भारतीय संदर्भ में समाज कार्य व्यवस्था में आवश्यकता और व्यावसायिक महत्व को दर्शाया गया है। ये चारों इकाइयाँ आपको समाज कार्य आवश्यकता, इसके कार्यों तथा इसकी प्रणालियों को लागू करने को समझने के लिए बेहद सहायक साबित होंगी।

इन चारों इकाईयों के अध्ययन से आप समाज कार्य व्यवसाय को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो जाएंगे।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 1 व्यावसायिक समाज कार्य : प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और कार्य

इकाई की रूपरेखा

*कनका दुर्गाव

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 समाज कार्य की प्रकृति

1.3 समाज कार्य का क्षेत्र

1.4 समाज कार्य के कार्य

1.5 समाज कार्य के उद्देश्य

1.6 समाज कार्यकर्त्ता की वैयक्तिक अभिवृत्ति

1.7 समाज कार्य और नीतिशास्त्र

1.8 समाज कार्य की विचार धाराएँ

1.9 अध्यात्म और समाज कार्य

1.10 सारांश

1.11 शब्दावली

1.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य समाज कार्य के दर्शन की आधारभूत समझ प्रदान करना है जिससे अध्ययनकर्त्ता समाज कार्य की प्रकृति को समझ सके। यह इकाई समाज कार्य की प्रकृति, क्षेत्र, कार्यों, उद्देश्यों, विचार धाराओं एवं आध्यात्मिक प्रकृति का अध्ययन करती है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात यह अपेक्षा की जाती है कि आप समाज कार्य के वृहद परिप्रेक्ष्यों और विभिन्न पहलुओं की अन्तर्सम्बद्धता को समझ सकेंगे और समाज कार्य के विषय में समग्र रूप से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आपः

- समाज कार्य क्या है एवं जन सामान्य में इसके विषय में प्रचलित भ्रान्तियों को जान सकेंगे;
- समाज कार्य की प्रकृति का पता कर सकेंगे;
- समाज कार्य का विषय–क्षेत्र को जान सकेंगे;
- समाज कार्य के कार्यों को पहचान सकेंगे;
- समाज कार्य के उद्देश्य समझ सकेंगे;
- समाज कार्यकर्त्ता की वैयक्तिक अभिवृत्तियों का विष्लेषण कर सकेंगे;
- समाज कार्य और नैतिकता;
- समाज कार्य की विचार धाराओं की समीक्षा कर सकेंगे; और
- अध्यात्म और समाज कार्य का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

*डॉ. कनका दुर्गाव आर.एम. कालेज ऑफ सोशल वर्क, हैदराबाद

1.1 प्रस्तावना

विभिन्न लोगों ने समाज कार्य को भिन्न–भिन्न अर्थ प्रदान किए हैं। कुछ के लिए समाज कार्य श्रमदान है, दूसरों के लिए यह परोपकार या विपत्ति के समय दी गई राहत है। सड़क निर्माण या घरों या पास–पड़ोस की सफाई जैसी सेवाओं को श्रमदान के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु ये सभी सदैव समाज कार्य नहीं होते हैं। समाज कार्य व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं वाले लोगों की सहायता करता है, जैसा कि बच्चों अथवा दम्पत्तियों की वैवाहिक समस्याएँ तथा गम्भीर रोगियों के पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं में सहायताएँ करना है।

समाज कार्य के विषय में पाई जाने वाली भ्रान्तियों के कारण हैं :

1) समाज कार्यकर्त्ता, समाज कार्य के पश्चिमी व्यावसायिक घटकों और पारम्परिक धार्मिक घटकों को अलग करने में सक्षम नहीं है।

2) समाज कार्यकर्त्ता का रोजमर्रा की समस्याओं में पूर्व व्यस्तता के कारण शब्दावाली को विकसित न कर पाना।

3) समाज विज्ञानों से अधिकांष निष्कर्षों के लिए जाने के कारण इनमें सुस्पष्टता तथा यथार्थता का अभाव है।

4) समाज कार्य ऐसी समस्याओं से संबंध रखता है जिसके विषय में एक साधारण व्यक्ति भी कुछ निश्चित विचार रखता है।

5) राजनीतिज्ञों, फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों द्वारा अपने कुछ क्रियाकलापों को समाज कार्य का नाम दिये जाने के कारण इसमें और भ्रम पैदा हो जाता है जैसे एक प्रषिक्षित कार्यकर्त्ता वैतनिक होता है और स्वैच्छिक तथा अप्रषिक्षित वैतनिक नहीं होते परन्तु सभी साथ–साथ कार्य करते है। प्रायः एक साधारण व्यक्ति समाज कार्य के विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत् भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले क्रियाकलापों के अन्तर को नहीं समझ सकता है।

1.2 समाज कार्य की प्रकृति

कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक समस्याएँ होती है। वे इनका समाधान स्वयं नहीं कर पाते हैं। अतः उन्हें बाहर से सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सहायता प्रशिक्षित लोगों के द्वारा दी जाती है। सहायता लेने वाला व्यक्ति सेवार्थी कहलाता है और जो प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी सहायता करता है वह सामाजिक कार्यकर्त्ता कहलाता है। इस प्रकार की सहायता के कार्यकलापों को सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य कहा जाता है।

सेवार्थी के अन्दर दी गई स्वयं के सुधार के लिए अभिप्रेरणा तथा सहायता को स्वीकार करने की तत्परता समाज कार्य के लिए पूर्व शर्त है। समाज कार्यकर्त्ता केवल सेवार्थी के स्वयं के प्रयासों को उसकी स्थिति में सुधार के लिए जोड़ता है, अपनी सलाह या समाधान सेवार्थी पर थोपता नहीं है और सेवार्थी के आत्म निर्णय के अधिकार का सम्मान करता है। समाज कार्यकर्त्ताओं को स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए या सेवार्थी का अनादर नहीं करना चाहिए। उनके अन्दर सेवार्थी की परिस्थिति में स्वयं को रखकर उसे समझने के लिए प्रयास करने की तंदानुभूति होनी चाहिए। परन्तु उस समय उसे स्वयं को सेवार्थी के जैसा नहीं महसूस करना चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह सेवार्थी की भावनाओं को समझे और उसे स्वीकार करे।

घोर विपत्तियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सैकड़ों लोग पीड़ितों की सहायता के लिए नकद या वस्तुएँ दान में देते है। उनका पीड़ितों के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं होता। इसे सामान्यतः समाज सेवा कहते है जिसमें केवल सहायता पीड़ित तक पहुँचती है। परन्तु समाज कार्य में कार्यकर्त्ता और सेवार्थी की आमने सामने होने वाली अन्तःक्रिया महत्वपूर्ण है। कुछ परिस्थितियों में अस्थायी राहत के अतिरिक्त, समाज कार्यकर्त्ता घोर विपत्ति एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित अर्न्तवैयक्तिक सम्बन्धों एवं समायोजन समस्याओं में सुधार लाने में सहायता करता है। इस प्रकार के गम्भीर मामलों और सम्बन्धों से सम्बन्धित अन्य समस्याओं के साथ कार्य करने की सम्बद्वता को हम समाज कार्य कहते है।

समाज कार्य का वैज्ञानिक आधार

समाज कार्य व्यवहार सशक्त वैज्ञानिक आधार से युक्त है। समाज कार्यकर्त्ता ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं। समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान रखता है यद्यपि यह ज्ञान विभिन्न सामाजिक और जीव विज्ञानों से लेकर विकसित किया गया है। समाज कार्य अन्य विद्या विशेष की भांति तीन प्रकार का ज्ञान रखता हैः

1) प्रमाणित ज्ञान

2) परिकल्पित ज्ञान जिसे प्रमाणित ज्ञान में हस्तांतरित किया जाना आवष्यक होता है।

3) स्वीकृत ज्ञान जिसे बुद्वि द्वारा व्यावहारिक प्रयोग के माध्यम से परिकल्पित ज्ञान में और फिर प्रमाणित ज्ञान में हस्तांतरित किया जाता है।

समाज कार्य का ज्ञान समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, मनोरोग विज्ञान, विधिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से लिया गया है। इन सभी विद्या विशेषज्ञों ने मानव प्रकृति को समझने में अत्यधिक योगदान दिया है। समाज कार्यकर्त्ता इस ज्ञान का प्रयोग अपने सेवार्थियों की समस्याओं के समाधान में करते हैं।

समाज कार्य की जड़ें मानवतावाद में निहित हैं। यह ''वैज्ञानिक मानवतावाद'' है क्योंकि यह वैज्ञानिक आधार का उपयोग करता है। समाज कार्य कुछ निश्चित मूल्यों पर आधारित है जब उन्हें संगठित किया जाता है तब उसे ''समाज कार्य का दर्शन'' कहा जाता है। समाज कार्य आवष्यक योग्यता एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा में आधारित हैं आदमी सम्मान योग्य है क्योंकि मानव ही सम्मानीय है न कि इस कारण कि वह धनी या शक्तिशाली है। उसकी योग्यता और गरिमा मानवीय प्रकृति के कारण विभूषित हैं जिसे प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए।

समाज कार्य किसी भी प्रकार के जाति, रंग, प्रजाति, लिंग या धर्म पर आधारित किए जाने वाले भेद–भाव के विरूद्व है। समाज कार्य 'सामाजिक डार्विनवाद' और 'सर्वाधिक योग्य के ही जीवित रहने' के सिद्वांत के विरूद्व है, इसका अर्थ है कि समाज कार्य इस बात में विश्वास नहीं रखता कि केवल शक्तिशाली ही समाज में जीवित रहेगा और कमजोर का शीघ्रनाश होगा। जो लोग कमजोर हैं, अक्षम हैं और/या जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है वे सभी समान रूप से समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति को उसकी सम्पूर्णता के साथ समझा जाता है, जिसका अर्थ है उसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की विभिन्नताओं के बावजूद उसके महत्व एवं गरिमा का ध्यान रखा जाता है। समाज कार्यकर्त्ता व्यक्ति की क्षमता मेंविश्वास करता है और व्यक्तियों की विभिन्नताओं के बावजूद उसके महत्व एवं गरिमा का ध्यान रखा जाता है। समाज कार्यकर्त्ता व्यक्ति की क्षमता में विश्वास करता है और व्यक्तियों की विभिन्नताओं

को मान्यता देता है। व्यक्ति के आत्म–निर्णय को महत्व दिया जाता है। उसे परिवार और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करना चाहिए। समाज कार्य 'आदर्षवाद और यथार्थवाद' का एक संगम है। समाज कार्यकर्त्ता के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, परन्तु समाज भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों के साँचे में अत्यन्त गहराई से ढला हुआ होता है। परन्तु अनन्तः व्यक्ति अपने स्वयं के आचरण और व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। कार्यकर्त्ता, सेवार्थी की उस समस्या का समाधान करता है जिससे वह पीड़ित होता है, इसलिए समस्या का समाधान समाज कार्य की प्रकृति है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणी :क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कार्य के विषय में प्रचलित भ्रान्तियों के क्या कारण हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) व्यावसायिक सम्बन्ध क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

1.3 समाज कार्य का क्षेत्र

समाज कार्य का सम्बन्ध ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने से है जिन्हें इसकी आवश्यकता है जिससे कि वे अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने की क्षमता को विकसित कर सकें। यह विज्ञान एवं कला है। समाज कार्य इस अर्थ में विज्ञान है कि विभिन्न विषयों से लिए गए ज्ञान से इसके ज्ञान के स्वरूप का निर्माण समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए होता है और वे इस सैद्धांतिक आधार का प्रयोग लोगों की सहायता के लिए व्यवहार में करते हैं। जो सिद्वान्त स्वयंसिद्व होते है, उन्हें व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है। कार्य करने के लिए वांछित क्षमता को निपुणता के नाम से जाना जाता है। इसलिए, अपने चयनित ज्ञान और मूल्यों के संग्रह के साथ व्यावसायिक समाज कार्य व्यावसायिक सेवा में हस्तांतरित हो गया है।

समाज कार्यकर्त्ता को अपने सेवार्थी के साथ सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित करना होता है। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार साक्षात्कार किया जाना चाहिए और किस प्रकार प्रतिवेदन लिया जाना चाहिए। उसमें निदान करने की योग्यता होनी चाहिए जिसका आशय है कि वह समस्या के कारण का पता लगाकर अन्ततः उसके उपचार की योजना बना सकता है। समाज कार्य में चार प्रमुख चरण सम्मिलित हैंः समस्या का निर्धारण, इसके समाधान की योजना, योजना का कार्यान्वन तथा परिणाम का मूल्यांकन।

समाज कार्यकर्त्ता की अपने सेवार्थी की सहायता में तीव्र रूचि होती है फिर भी उसकी अकेली रूचि समस्या का समाधान नहीं कर पायेगी। सेवार्थी की सहायता किस प्रकार की जाए, इस बात का ज्ञान उसे होना चाहिए। समाज कार्य की प्रणालियों से उसे लोगों की सहायता करने के ढंग को समझने में मदद मिलेगी समाज कार्य की प्रणालियाँ निम्न प्रकार हैं:

1) सामाजिक केस अध्ययन

2) सामाजिक सामूहिक कार्य

3) सामुदायिक संगठन

4) समाज कार्य शोध

5) समाज कल्याण प्रषासन

6) सामाजिक क्रिया

प्रथम तीन को प्रत्यक्ष सहायता प्रणालियों और अन्तिम तीन को द्वितीयक या सहायक प्रणालियों के रूप में जाना जाता है। समाज कार्य की ये छः प्रणालियाँ लोगों की व्यवस्थित और नियोजित सहायता कर रही है।

सामाजिक केस अध्ययन किसी व्यक्ति की समस्याओं को उसके सम्पूर्ण पर्यावरण या उसके एक भाग के साथ व्यवहार करता है। एक व्यक्ति ऐसी समस्या से ग्रसित है, जिसका वह स्वयं हल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि समस्या के कारण उसके नियन्त्रण से परे है। उसकी व्यग्रता कुछ समय के लिए उसे अस्थायी रूप से इसके समाधान के लिए अयोग्य बनाती हैं किसी भी प्रकार की स्थिति में उसकी सामाजिक क्रिया बिगड़ जाती है। केस अध्ययनकर्त्ता सेवार्थी के सम्पूर्ण पर्यावरण के विषय में सूचनाएँ प्राप्त करता है, कारणों का पता लगाता है, उपचार की योजना तैयार करता है और व्यावसायिक सम्बन्धों की स्थापना के माध्यम से सेवार्थी के प्रत्यक्षीकरण और अभिवृत्तियों में परिवर्तन का प्रयास करता है।

सामाजिक सामूहिक कार्य एक समाज कार्य सेवा है जिसमें व्यावसायिक दृष्टि से प्रषिक्षित एक व्यक्ति, समूह अनुभवों के माध्यम से व्यक्तियों की इस प्रकार सहायता करता है जिससे वे सम्बन्धों में सुधार और सामाजिक क्रिया की ओर उन्मुख हो सकें। सामूहिक कार्य में व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं और उनके सम्बन्धों में सुधार के लिए लचीले कार्यक्रम, समूह में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को महत्व देकर सहायता की जाती है। समूह एक माध्यम है और इसके द्वारा और इसके अन्तर्गत, आवश्यक परिवर्तन और समायोजन के लिए व्यक्तियों की सहायता की जाती है।

सामुदायिक संगठन, समाज कार्य की एक अन्य प्रणाली है। समूहों के अस्तित्व से निर्मित होने वाले समुदाय का अर्थ सम्बन्धों की व्यवस्थित संरचना है, परन्तु वास्तव में कोई भी समुदाय पूर्णतया व्यवस्थित नहीं होता है। सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय में सम्बन्धों के सुधार के लिए व्यवस्थित प्रयास किया जाता है। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत् समस्याओं के समाधान के लिए संसाधनों का पता लगाना, सामाजिक सम्बन्धों का विकास करना तथा समुदाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवष्यक कार्यक्रमों का क्रियान्वय आदि सभी सम्मिलित है। इस प्रकार से समुदाय को निश्चितरूप से आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए एवं समुदाय के सदस्यों के बीच सहकारिता की मनोवृत्तियों का विकास होना चाहिए।

समाज कल्याण प्रषासन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की समाज कार्य सेवाओं को व्यवस्थित किया जाता है और उनका प्रषासन किया जाता है। प्रषासन के अन्तर्गत समाज कार्यकर्त्ता द्वारा कार्यक्रमों का विकास, संसाधनों को गतिषील बनाना, कार्मिकों की भर्ती एवं चयन, समुचित संगठन, समन्वय, निपुणता से युक्त सहानुभूति पूर्ण नेतृत्व का प्रबन्ध करना, कर्मचारियों का निर्देषन और पर्यवेक्षण, वित्त सम्बन्धी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के लिए बजट का निर्धारण आदि कार्य किये जाते है।

समाज कार्य शोध, नए तथ्यों का पता लगाने, पुरानी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने, वर्तमान सिद्वान्तों का सत्यापन करने और समस्याओं के आकस्मिक सम्बन्धों जिसमें समाज कार्यकर्त्ता की रूचि होती है की खोज करने के लिए एक व्यवस्थित जाँच–पड़ताल है। किसी भी प्रकार के समाज कार्य कार्यक्रम को वैज्ञानिक तरीके से आरम्भ करने के लिए सामाजिक शोध और सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रदत्त परिस्थिति का व्यवस्थित अध्ययन करना आवष्यक होता है।

सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए इच्छित परिवर्तनों को लाना होता है। सामाजिक क्रिया प्रणाली का उपयोग करने के लिए समाज कार्यकर्त्ता को सामाजिक समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, संसाधनों को गतिषील बनाना, अवांछनीय व्यवहारों के विरूद्व आवाज उठाने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों को तैयार करना और कानूनों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने जैसे कुछ क्रियाकलाप करने होते है। यह सामुदायिक आवश्यकताओं और समाधानों, जो कि मुख्यतः वैयक्तिक और सामूहिक प्रयासों तथा स्वयं सहायता क्रियाकलापों के माध्यम से किये जाते हैं, के बीच पर्याप्त सन्तुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है।

1.4 समाज कार्य के कार्य

समाज कार्य के मूल कार्य पुनः स्थापना, संसाधनों का प्रावधान करना तथा निरोध है। ये परस्पर एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। क्षीण सामाजिक क्रिया के पुर्नःस्थापना के दो पहलू हैंः इलाज और पुनर्वास। इलाज के द्वारा व्यक्ति की क्षीण सामाजिक क्रिया के उत्तरादायी कारणों को दूर किया जाता है। इसका अर्थ है कि बिगड़े हुए अर्न्तवैयक्तिक सम्बन्धों को, इसके उत्तरदायी कारणों को हटाकर ठीक किया जाना। समस्या के उत्तरदायी कारणों को हटाने के पष्चात् व्यक्ति को नई परिस्थिति की आवश्यकता के साथ समायोजन सहायता की जाती है। व्यक्ति को नये उपचार या सुझाये गये उपायों के साथ समायोजन करना होता है। व्यक्ति की नयी परिस्थिति की आवश्यकता के साथ समायोजन में सहायता की जाती है। यह पुनर्वासन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक आषिंक रूप से बहरे बच्चे जिसके सामाजिक सम्बन्ध उसकी समस्या के कारण बिगड़े हैं, के इलाज के उपाय के रूप में सुनने में सहायता का ढंग सुझाया जाता है। यह इलाज का पहलू है। व्यक्ति का स्वयं सुनने के लिए दी गयी सहायता के साथ समायोजन प्राप्त करना पुनर्वास पहलू है।

संसाधनों के प्रावधान के दो पक्ष हैं– विकासात्मक और शैक्षिक पक्ष। विकासात्मक पक्ष की संरचना संसाधनों की प्रभाव पूर्णता में वृद्वि करने तथा प्रभावी सामाजिक अर्न्तःक्रिया के लिए व्यक्तित्व सम्बन्धी कारकों में सुधार लाने के लिए की गई है। उदाहरण के लिए श्री 'क' और श्रीमती 'ख' कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण उत्पन्न विरोध के साथ खुषहाली के साथ रह रहे है। वे तलाक लेने का रास्ता नहीं अपनाने जा रहे हैं और उनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं हैं। परन्तु एक परिवार परामर्श संस्था की मदद से वे अपने मतभेदों की पहचान कर सकते हैं और बेहतर ढंग से जीवन व्यतीत कर सकते है। यह

विकासात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता है। नयी या परिवर्तित परिस्थितियों के लिए विशिष्ट दशाओं और आवश्यकताओं के जनसमुदाय के पहचान साथ कराने के लिए शैक्षिक पक्ष की योजनाबद्व संरचना की गयी है। उदाहरण के लिए एक परामर्शदाता द्वारा पारिवारिक और वैवाहिक समस्याओं को कम करने के लिए की गयी बातचीत एक शैक्षिक प्रक्रिया है।

समाज कार्य का तीसरा कार्य सामाजिक अकर्मण्यता का निवारण करना है। इसमें प्रारम्भिक खोज, उन दशाओं और परिस्थितियों का नियंत्रण या निष्कासन जो कि प्रभावी सामाजिक क्रिया में सक्रियता से बाधा डाल सकती है, सम्मिलित है।

उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में युवा क्लबों को शुरू करके बच्चों की बाल अपराध से बचाव में सहायता की जा सकती है। युवाओं के लिए पूर्व–वैवाहिक परामर्श भविष्य में वैवाहिक समस्याओं की रोक थाम कर सकेंगे।

बोध प्रश्न II

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कार्य का क्षेत्र क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) समाज कार्य के कार्य क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 समाज कार्य के उद्देश्य

समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करके उनके दुखों को कम करना है। व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मनो–सामाजिक समस्याएँ होती है। इसके अलावा बच्चों और वयस्कों में समायोजन सम्बन्धी समस्या पर अलग से कार्य किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में समाज कार्य अवकाश के समय की बुद्विमतापूर्ण प्रयोग कर व्यक्तियों को मनोंरजनात्मक सेवाएँ प्रदान कर व्यक्तियों, समूहों और परिवारों की सामाजिक क्रिया में वृद्वि करता है। इस प्रकार से वह समाज में बाल अपराध ओर अपराध की रोकथाम कर सकता है तथा वह सेवार्थी व्यवस्था को आवष्यक संसाधनों को जोड़ता हैं समाज कार्य व्यक्ति की अभिवृद्वि और विकास के लिए पर्यावरण में परिवर्तन लाकर उसकी सहायता करता है।

- समाज कार्य व्यवसाय का लक्ष्य अपने सामान्य उद्देश्य को अधिक विषिष्ट दिषाओं में क्रिया के लिए बदलाव करना है।
- ये लक्ष्य एवं उद्देश्य सामाजिक कार्यकर्त्ता को सेवार्थी की क्षमता की भावना को सुधारने, संसाधनों के साथ जोड़ने, परिवर्तन का पालन करने जो कि संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है। (एन. ए. एस. डब्ल्यू. 1981)

विशेष रूप से, समाज कार्य के लक्ष्य एवं सम्बन्धित गतिविधियाँ निम्न है:

– लोगों की क्षमता की समस्याओं से निपटने, सामना करने, एवं प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए बढाना।

– सेवार्थी को जरूरी संसाधनों से जोड़ना।

– सामाजिक सेवा वितरण नेटवर्क को सुधारना।

– सामाजिक नीति के विकास द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।

समाज कार्य प्रजातंत्रिक विचारों को प्रदान करता है और उसे अच्छे अन्तवैयक्तिक सम्बन्धों के विकास के योग्य बनाता है जिससे कि वह परिवार और पड़ोस में समुचित समायोजन स्थापित कर सके।

समाज कार्य 'सामाजिक डर्विनवाद' में विश्वास नहीं रखता है। यह 'सर्वाधिक योग्य को ही जीवित रहने के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए यह कानूनी सहायता के माध्यम से समाजिक न्याय के लिए कार्य करता है। यह सामाजिक नीति के विकास के माध्यम से भी सामाजिक न्याय बढ़ाता है। इसी प्रकार समाज कार्य सामाजिक सेवा के वितरण के तंत्र के संचालन में सुधार करता है।

1.6 कार्यकर्त्ता की वैयक्तिक अभिवृत्ति

समाज कार्यकर्त्ता भी एक मनुष्य ही होता है। सभी भावनाओं का अनुभव वह भी एक मनुष्य की भांति करता है जैसे ही वह दूसरों की सहायता करने की स्थिति में होता है, वैसे ही उसमें श्रेष्ठता का अनुभव करेंगे की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। समाज कार्यकर्त्ता द्वारा सेवार्थी की समस्या की पहचान करते समय कभी कभी सेवार्थी जब अपने दुखों और भूतकाल के दर्द भरे अनुभवों का वर्णन कर रहा होता है तो कार्यकर्त्ता, सेवार्थी की ही तरह अनुभव करता है या समाज कार्यकर्त्ता की यह प्रवृत्ति हो सकती है कि वह सेवार्थी को इस प्रकार देखें जैसे कि दर्पण में अपना प्रतिरूप दिख रहा हो। यह सभी कार्यकर्त्ता के प्रारम्भिक जीवन और अनुभव में मूल कारण हो सकते हैं। जिस समय वह व्यावसायिक रूप से सहायता प्रदान करने की भूमिका में होता है उसे अपनी स्वयं की भावनाओं को समझना चाहिए और नियन्त्रित करना चाहिए। उसे सेवार्थी की भावनाओं को जैसी वे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिये। उसे उन्हें अपनी भावनाओं के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए। उसे सेवार्थी की भावनाओं और संसाधनों के रचनात्मक और सकारात्मक उपयोग के क्षण, सेवार्थी की सहायता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।

1.7 समाज कार्य और नैतिक संहिता

कोई भी व्यवसाय सामान्यतः अपने व्यावसायिक व्यक्तियों को अत्यधिक प्राधिकार देता है। साधारण व्यक्ति जिसे कि समाज कार्य सहायता की आवश्यकता है वह कदाचित

समस्या की जटिलताओं के विषय में नहीं जानता है। व्यावसायिक सलाह बहुमूल्य होती है और उसके निर्णय पर कदाचित प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। परन्तु जब शक्ति को व्यवहार के मानदण्ड द्वारा नियमित नहीं किया जाता तो यह अत्याचार में परिवर्तित होने के लिए उतरादायी होती है। समाज कार्यकर्त्ता अपनी व्यावसायिक सेवा के लिए अधिक मूल्य ले सकते हैं या जनता से अवांछित मांग कर सकते हैं। इसलिए कुछ निश्चित मानदण्डों के द्वारा व्यावसायिक संगठनों द्वारा आचार संहिता का विकास किया गया है।

नैतिक संहिता का दर्षन

व्यावसायिक व्यक्ति का सेवार्थी, नियोजक संस्था और सहकर्मियों के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है। उसकी समुदाय और उसे व्यवसाय के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। व्यावसयिक व्यक्ति का उसके सेवार्थी के साथ सम्बन्ध उसकी सेवा का आधार है। सम्बन्ध निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होने चाहिये। व्यावसायिक व्यक्ति के भीतर लिंग, जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिये। व्यावसायिक व्यक्ति को सेवार्थी की समस्या तथा प्रत्येक सूचना को अत्यधिक गोपनीय रखना चाहिए। उसके अपने सहकर्मियों के साथ समानता सहयोग, सहायता की प्रवृत्ति और प्रतिस्पर्धा पर आधारित अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए।

व्यावसायिक व्यक्ति की समाज के प्रति जिम्मेदारी अपनी समस्त क्षमताओं और संसाधनों का योगदान समाज के अच्छे उपयोग के लिए करने में होती है। व्यवसाय के प्रति यह जिम्मेदारी स्वयं व्यावसायिक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी से श्रेष्ठ होती है। सामाजिक नियन्त्रण के औपचारिक और अनौपचारिक ढंग सदस्यों को आचार संहिता के अनुरूप कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए है।

व्यवसाय को जब मान्यता दी जाती है तो वह अस्तित्व में आता है। केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करके, नौकरियों में शैक्षिक योग्यता को प्राथमिकता प्रदान करके और वित्तीय संसाधनों के लिए प्रोत्साहन और उन्हें प्रदान करके ही मान्यता दी जाती है।

समाज कार्यकर्त्ता का आचरण संबंधी उत्तरादायित्व

समाज कार्यकर्त्ता के सेवार्थियों, नियोजक संस्थाओं, सहकर्मियों, समुदाय एवं व्यवसाय के प्रति आचरण संबंधी उत्तरादायित्व होते हैं।

समाज कार्यकर्त्ता के सेवार्थी के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व व्यक्ति के कल्याण के रूप में उसका प्राथमिक कर्तव्य होता है। समाज कार्यकर्त्ता को वैयक्तिक रूचियों की अपेक्षा व्यावसायिक उत्तरदायित्व को महत्व देना चाहिए। उसे अपने सेवार्थी के (आत्म–निर्णय) विचारों का सम्मान करना चाहिये। उसे सेवार्थी से सम्बन्धित समस्त विषयों को गोपनीय रखना चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता को सेवार्थियों के वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिये और गैर व्यावसायिक आधार पर कोई विभेद नहीं रखना चाहिए।

समाज कार्यकर्त्ता का उसके सेवायोजक के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है और उसे उसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उसे अपने सेवायोजक को सही और यथार्थ सूचनाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता संस्था की सेवा की गुणवत्ता और परिणाम के लिए उत्तरदायी होना चाहिए और उसे संस्था की व्यवस्था और प्रक्रिया का सर्वेक्षण करते रहना चाहिए। यहां तक कि अपने सेवायोजन की समाप्ति के पश्चात् भी उसे अपनी संस्था की छवि जनता के मध्य बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए।

समाज कार्यकर्त्ता को अपने सहकर्मियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनके उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में सहायता करनी चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता को अपने ज्ञान को जोड़ने के उत्तरदायित्व की कल्पना कर लेना चाहिए। उसे सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए और शोध और व्यवहार में सहयोग करना चाहिए।

समाज कार्यकर्त्ता का समुदाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह उसे अनैतिक व्यवहारों से बचाए उसे समुदाय की उन्नति के लिए ज्ञान और निपुणताओं का योगदान देना चाहिए।

ऊपर दिए गए सभी पहुलओं के अतिरिक्त समाज कार्यकर्त्ताओं के अपने स्वयं के व्यवसाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व हैं। उसे अपने व्यवसाय की अन्यायूर्ण आलोचना या गलत व्याख्या से रक्षा करना चाहिए। उसे अपने आत्मानुशासन और व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से जनता के विश्वास को कायम रखना चाहिए और इसमें अभिवृद्वि करनी चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता को सदैव इस बात का समर्थन करना चाहिए कि व्यावसायिक व्यवहार के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है।

1.8 व्यावसायिक समाज कार्य की विचारधाराएँ

यदि समाज कार्य की वैश्विक (भूमण्डलीय) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विश्लेषित किया जाये तो हम समाज कार्य की निम्नलिखित विचारधाराओं को समझ सकते हैं।

परोपकार के रूप में समाज कार्य

धर्म व्यक्ति को अपने पड़ोसियों, जिनको सहायता की आवश्यकता है, सहायता के लिए प्रेरणा देता था। अभाव–ग्रस्त व्यक्तियों को भिक्षा दी जाती थी। जो व्यक्ति उनकी सहायता करते थे, परोपकार में भिक्षा देते थे। इस प्रकार से पाश्चात्य देशों ने समाज कार्य व्यवहार को परोपकार के साथ आरम्भ किया। जैसे ही धर्म ने उन्हें निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने भिक्षा नकद और वस्तु के रूप में देना प्रारम्भ कर दिया। शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि वे निर्धनों की वृद्वि के लिए दान नहीं दे सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक ढंग की आवश्यकताथी। उसी समय राज्य (ब्रिटिश सरकार) ने कानून बनाकर और राज्य द्वारा निर्धनों की देखभाल आरम्भ करके इन निर्धनों की समस्या में हस्तक्षेप किया।

कल्याण समाज कार्य दृष्टिकोण

राज्य ने अपने सेवा के हिस्से को भिक्षा देकर और यू.के. में एलिजावेथन पुअर लॉ, 1601 पारित करके निर्धनों के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया। इस अधिनियम ने निर्धनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया– शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन, शक्तिहीन निर्धन और आश्रित बच्चे। पहले श्रेणी के व्यक्तियों को कार्य–गृहों में कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके विपरीत अन्य दोनों श्रेणियों के लोगों को भिक्षागृह में रखकर भिक्षा दी जाती थी। यह अधिनियम, और बाद में पारित किए गए इस प्रकार के अधिनियम, निर्धनता की समस्या को सुलझाने में सक्षम नहीं हुए। सरकार ने महसूस किया कि समस्या को समझने के लिए एक वैयक्तिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समस्या एक हो सकती है परन्तु विभिन्न व्यक्तियों के लिए उसी समस्या के विभिन्न कारण हो सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि इसके समाधान के लिए व्यक्तिगत कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। इसलिए इस कार्य को करने के लिए चैरिटी आर्गेनाइजेशन सोसाइटी की शुरूआत हुई।

नैदानिक समाज कार्य दृष्टिकोण

1935 में निर्धनों की सहायता की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह औद्योगीकरण की समस्याओं से निपटने के लिए

था। उन्होंने लोगों की कुछ वित्तीय समस्याओं का उत्तरदायित्व ले लिया। बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों को काम में लिया गया। ऐसे स्वयं सेवक जो कि प्रशिक्षित थे और वैयक्तिक सेवा कार्य व्यवहार भी कर सकते थे, वे भी अप्रशिक्षित लोगों का पर्यवेक्षण करने लगे।

अधिकांश लोगों ने महसूस किया कि धन मात्र से ही समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है इसलिए वे परामर्श की भूमिका की ओर उन्मुख हो गए। परामर्श ने अपना आधार मनोवैज्ञानिक विज्ञानों विशेष रूप से मनोविश्लेषण सिद्धान्त से प्राप्त किया।

नैदानिक समाज कार्य, प्रत्यक्ष समाज कार्य हस्तक्षेप का विशिष्ट रूप है जो व्यक्तियों समूहों और परिवारों के साथ जो कि अधिकतर कार्यकर्त्ता के कार्यालय में स्थान पाता है। इस अभियान में कार्यकर्त्ता स्वयं के अनुशासित प्रयोग द्वारा व्यक्ति और उसके सामाजिक पर्यावरण के बीच अन्तः क्रिया को सुगम बनाता है।

पारिस्थितिकी समाज कार्य दृष्टिकोण

पारिस्थितिकी समाज कार्य दृष्टिकोण में समस्याओं को व्यक्ति की व्यक्तिगत कमी के रूप में न देखकर पर्यावरण में कमी के रूप में देखा जाता है। समाज कार्य की परम्परा जो सामाजिक उपचार और समाज सुधार पर बल देती थी पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का आधार बन गई। व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता और उनकी सेवायोजक संस्थाएँ उन्हें व्यवस्था में परिवर्तन का लक्ष्य रखने वाले परिवर्तन अभिकर्त्ता के रूप में महत्व प्रदान करती हैं। समस्या की पहचान करना, सेवार्थी और लक्ष्य व्यवस्था (जो समस्या उत्पन्न कर रही है), की पहचान करना, सेवार्थी के सहयोग से परिवर्तन के लक्ष्य पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का पता लगाना एवं कार्य व्यवस्था की पहचान करना जिसके द्वारा परिवर्तन अभिकर्त्ता परिवर्तन के लिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, इत्यादि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के चरण हैं।

अतिवादी समाज कार्य दृष्टिकोण

समाज कार्यकर्त्ता केवल सक्षम और पथभ्रष्ट लोगों की देखभाल से ही सन्तुष्ट नहीं है। 1970 में, मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण, उन्होंने विचार किया कि बहुत सी समस्याओं का कारण अत्याचार है। उन्होंने अपने व्यावसायिक उत्तरादायित्वों में सुधार और समतावादी सामाजिक व्यवस्था के विकास को सम्मिलित करके उसका विस्तार किया।

कुछ अतिवादी व्यवसाय में सामाजिक सुधार और विकास की पहुँच से बाहर जा चुके है। समाज कार्यकर्त्ताओं का लक्ष्य समायोजन की समस्याओं को निपटाने एवं व्यक्ति की एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के शिकार के रूप में देखने के स्थान पर सामाजिक समस्याओं एवं संबंधों में आधारभूत परिवर्तनों द्वारा व्यवस्था को परिवर्तित करना है। इसे अतिवादी समाज कार्य कहा जाता है किन्तु विभिन्न कारणों से यह भी समस्याओं के समाधान में असफल रहा है।

प्रगतिशील समाज कार्य

प्रगतिशील समाज कार्यकर्त्ता अपना तादाम्य अतिवादी व्यक्तियों, सक्रिय व्यक्तियों इत्यादि के साथ कर सकते है। वे समाज में व्याप्त अन्याय से दुखी होते है। प्रगतिशील समाज कार्यकर्त्ता समाज में अत्याचार से जुड़े युक्त तत्वों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते है। वे उन घावों को भरने में सहायता करते हैं। और उन्हें अपना भविष्य बनाने के लिए समुचित विकल्प तैयार करने के लिए शिक्षित करते हैं।

नारीवादी समाज कार्य

उदार नारीवाद, विचारों का एक सम्प्रदाय है जो लैंगिक समानता पर बल देता है और कानूनी सुधार तथा महिलाओं और पुरूषों दोनों के लिए मताधिकार, शिक्षा और नौकरी के लिए समान अवसरों की माँग करता है। उदार नारीवादी समाज में लिंग सम्बन्धी उत्पीड़न के मूल कारणों का विष्लेषण नहीं करते हैं। मार्क्सवादी महिलावादियों का विचार है कि महिलाओं का उत्पीड़न पूँजीवादी उत्पादन पद्धति का परिणाम है। जहाँ पर घरेलू कार्यों और मजदूरी सहित कार्य में बँटवारा है वहाँ केवल मजदूरी सहित कार्य ही उत्पादक समझा जाता है।

बोध प्रश्न III

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) नैतिक संहिता से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) समाज कार्य की विभिन्न विचार धाराएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

1.9 अध्यात्म एवं समाज कार्य

भारत अनेक धर्मों और श्रेष्ठतम धार्मिक विचार धाराओं की जन्म भूमि रहा है। हिन्दू धर्म में वेद और उपनिषद आध्यामिक आधार प्रदान करते हैं। वे एक व्यक्ति को उसके आन्तरिक बलों को नियन्त्रित करने का ढंग उपलब्ध कराते हैं जिससे वह परम सत्य को समझ सके। सत्य, एक व्यक्ति के स्वयं की पहचान और जीवन के उद्देश्य को जानने का उत्तर है। यह एक व्यक्ति को, उसकी भावनाओं को नियन्त्रित करने के लिए, अलगाव का एक ढंग प्रदान करता है।

हम अपनी संस्कृति में विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि मानवता के लिए सेवा ईश्वर के प्रति सेवा है। मानवतावाद समाज कार्य का आधारभूत सिद्धांत है। यह मनुष्य की योग्यता एवं उसकी गरिमा का सम्मान करता है। समाज कार्य सृजनात्मकता और अन्तर्निहित शक्तियों में विश्वास करता है।

समाज कार्यकर्त्ता समुचित संस्थाओं और सामयिक अवसरों को उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी शक्तियों को सामने लाता हैं समाज कार्यकर्त्ता विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले,

यहाँ तक कि समाज –विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के साथ भी अन्तः क्रिया करेगा। उसे उनके प्रति अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का विकास करना चाहिए और व्यक्तियों और समूहों को जैसे वे है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता एक नियन्त्रित व्यवसायिक आत्म से युक्त प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जिसके परिणामस्वरूप वह श्रेष्ठता का अनुभव करने से दूर रहता है हालाँकि, सहायता प्रदान करने वाले सम्बन्धों में वह सहायता देने वाले सिरे पर होता है। इसके अतिरिक्त उसे व्यवसायिक प्रयास करते समय सेवार्थी के साथ अनुभव करने में अलग दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए।

1.10 सारांश

समाज कार्य का लक्ष्य लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी सहायता करना है। अधिकतर समाज कार्य अन्तवैयक्तिक समस्याओं जैसे– वैवाहिक जीवन की समस्याओं, अभिभावक– बच्चों की समस्याओं, गम्भीर रोगियों के पुनर्वास इत्यादि के साथ कार्य करता है। यह समाज सेवा से भिन्न है। व्यावसायिक सम्बन्धों, आमने–सामने अन्तःक्रिया, शक्ति प्रदान करने वाले तत्वों की उपस्थिति समाज कार्य समाज सेवा से भिन्न बनाती है। समाज कार्य का आधार ज्ञान है जो कि अन्य सामाजिक मनोवैज्ञानिक विज्ञानों से लिया गया है। समाज कार्य की प्रणालियाँ हैं जैसे– समाज केस अध्ययन, सामाजिक सामूहिक कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक क्रिया, समाज कल्याण प्रषासन और समाज कार्य शोध। ये प्रणालियाँ समाज कार्यकर्त्ता की व्यक्तियों के साथ करने में सहायता करती है।

समाज कार्य के तीन महत्वपूर्ण कार्य है– क्षीण सामाजिक क्रिया की पुर्नस्थापना, संसाधनों का प्रबन्ध करना तथा सामाजिक अकर्मण्यता का निवारण करना हैं समाज कार्य का लक्ष्य समस्या का समाधान करना है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मनोसामाजिक समस्याओं के साथ कार्य करता है, अर्न्तःवैयक्तिक सम्बन्धों की समस्याओं को ठीक करता है और सामाजिक न्याय दिलाता है। समाज कार्यकर्त्ता की व्यक्तिगत अभिवृत्तियों जैसे– प्यार और शत्रुता, उसके व्यावसायिक कार्यकर्त्ता व्यावसायिक आचार संहिता से नियन्त्रित होता है। उसका अपने व्यवसाय, सेवार्थी, सहकर्मियों और समुदाय के प्रति आचार सम्बन्धी उत्तरदायित्व होता है। समाज कार्य का इतिहास परोपकार से, कल्याण दृष्टिकोण, नैदानिक दृष्टिकोण, परिस्थितिकी दृष्टिकोण, अतिवादी दृष्टिकोण, प्रगतिशील समाज कार्य एवं नारीवादी समाज कार्य तक विभिन्न विचार धाराओं का एक लेखा–जोखा प्रस्तुत करता है।

1.11 शब्दावली

व्यावसायिक सम्बन्ध : कार्यकर्त्ता के सेवार्थी को स्वीकार करने और सेवार्थी का कार्यकर्त्ता के प्रतिविश्वास एवं सम्मान पर आधारित कार्यकर्त्ता और सेवार्थी का सम्बन्ध।

पुनः स्थापना : सेवार्थी को, समस्याग्रस्त सामाजिक सम्बन्धों से सामान्य स्थिति में वापस लाना।

वैयक्तिक अभिवृत्तियाँ : कार्यकर्त्ता जो कि एक मनुष्य होता है, उसकी भावनाएँ व्यक्तिपरक हो सकती हैं, जो कि वैयक्तिक अभिवृत्तियों के रूप में जानी जाती हैं। ये अभिवृत्तियों नियन्त्रित होती हैं।

व्यावसायिक आचरण : समाज कार्यकर्त्ता के पास सैद्धान्तिक ज्ञान, प्रषिक्षण, विशेषीकरण और व्यावसायिक संगठन होता है। वह व्यावसायिक आचरण संहिता द्वारा नियन्त्रित होती है। ये आचार संहिता आचरण के नियम होते हैं।

भ्रान्तियों : गलत धारणाएँ जिन्हें सही करने की आवश्यकता है।

1.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

खिन्दुका, एस.के. सोशल वर्क इन इण्डिया (1965), इलाहाबाद : किताब महल।

स्किडमोर एवं थाक्रे (1976), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, प्रेन्टिस हाल इंक।

मुरली देसाई, आइडियोलॉजीज एण्ड सोशल वर्क (2002), हिस्टॉरिकल एण्ड कन्टेम्पोररी एनालिसिस, रावत पब्लिकेशन।

ब्रेण्ड डूबोइस एवं कारिया क्रोग्सरूड मिलये, सोशल वर्क एन एम्पावरिंग प्रोफेशन (1991), एलिन एण्ड बेकन पब्लिशर्स।

छाया पटेल, सोशल प्रौक्टिस (1999), रिलिजियो–फिलॉसफी फाउण्डेशन, रसवत पब्लिशर्स।

1.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1)
- समाज कार्यकर्त्ता, समाज कार्य के पाश्चात्य व्यावसायिक घटकों और पारम्परिक धार्मिक घटकों को पृथक करने में सक्षम नहीं है।
- दिन–प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान करने हेतु शब्दावली को विकसित नहीं किया गया है जिसे समाज कार्यकर्त्ता पहले से ही आत्मसात कर सके।
- समाजविज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकांश निष्कर्षों में शुद्धता और यथार्थता का अभाव है।
- समाज कार्य ऐसी समस्याओं के साथ कार्य करता है जिसके विषय में एक साधारण व्यक्ति भी उसी प्रकार के निश्चितविचार रखता है।
- राजनीतिज्ञों, फिल्मों सितारों और क्रिकेटरों द्वारा किये जाने वाले कुछ क्रियाकलापों को समाज कार्य का नाम दिये जाने के कारण इसमें और भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति वैतनिक और स्वैच्छिक तथा अप्रशिक्षित और अवैतनिक भी साथ–साथ काम करते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता कि समाज कार्य का अर्थ क्या है?

2) समाज कार्यकर्त्ता को सेवार्थी को यथास्थिति में बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करना चाहिए और सेवार्थी को कार्यकर्त्ता की सहायता लेने के लिए इच्छुक होना चाहिए क्योंकि कार्यकर्त्ता में तथा उसकी संस्था मेंविश्वास है।

बोध प्रश्न II

1) समाज कार्य इस अर्थ में विज्ञान है कि विभिन्न दूसरे विज्ञानों से लिया गया ज्ञान, ज्ञान के स्वरूप का निर्माण समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए करता है और वे इस

सैद्धान्तिक आधार का प्रयोग लोगों की सहायता के लिए व्यवहार में लाते हैं। समाज कार्य की प्रणालियाँ उसे लोगों की सहायता के ढंगों को समझने में मदद करती है। समाज कार्य की प्रणालियाँ हैः (1) सामाजिक केस अध्ययन; (2) सामाजिक सामूहिक कार्य; (3) सामुदायिक संगठन; (4) समाज कार्य शोध; (5) समाज कल्याण प्रषासन तथा (6) सामाजिक क्रिया।

2) समाज कार्य के आधारभूत कार्य पुनःस्थापना, संसाधनों का प्रबन्ध करना तथा निवारण है। ये परस्पर एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित होते हैं। क्षीण सामाजिक क्रियाकलापों के पुर्नस्थापना के दो पहलू हैं : इलाज और पुर्नावासन। इलाज के द्वारा व्यक्ति की क्षीण सामाजिक क्रिया के उत्तरदायी कारणों को दूर किया जाता है। इसका अर्थ है कि बिगड़े हुए अन्तवैयक्तिक सम्बन्धों को इसके उत्तरदायी कारणो को हटाकर ठीक किया जाता है। समस्या के उत्तरदायी कारणों को हटाकर ठीक किया जाता है। समस्या के उत्तरदायी कारणों को हटाने के पष्चात् व्यक्ति को नये उपचार या सुझाएं गए उपायों के साथ समायोजन करना चाहिए। व्यक्ति की इसके साथ समायोजन में सहायता की जाती है। सह पुनर्वासन के रूप में माना जाता है। संसाधनों के प्रबन्धन के दो पहलू हैंः– विकासात्मक और शैक्षिक पहलू। विकासात्मक पहलू की संरचना संसाधनों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने तथा प्रभावी सामाजिक अन्तःक्रिया के लिए व्यक्तित्व सम्बन्धी कारकों में सुधार लाने के लिए की गई। शैक्षिक पहलू की संरचना जनसमुदाय की पहचान नयी या परिवर्तित संसाधनों के लिए विशेषीकृत दशाओं और आवश्यकताओं के साथ जनसमुदाय पहचान कराने के लिए की गयी है। समाज कार्य का तीसरा कार्य सामाजिक अकर्मण्यता का निवारण करना हैं इसमें प्रारम्भिक खोज, उन दषाओं और परिस्थितियों का नियन्त्रण और निष्कासन जो कि प्रभावी सामाजिक क्रिया में सक्रियता से बाधा डाल सकती हैं, सम्मिलित है।

बोध प्रश्न III

1) समाज कार्यकर्त्ता के उसके सेवार्थी, सेवा योजक संस्था, उसे सहकर्मियों, उसके समुदाय और उसके व्यवसाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होते है।

2) यदि विष्व के समाज कार्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विष्लेषण किया जाये तो हम समाज कार्य के निम्नलिखित सिद्धांतों को समझ सकते हैं। परोपकारिता के रूप में समाज कार्य, नैदानिक समाज कार्य दृष्टिकोण, पारिस्थितिकी समाज कार्य दृष्टिकोण, अतिवादी समाज कार्य दृष्टिकोण, प्रगतिशील समाज कार्य, नारीवादी समाज कार्य।

इकाई 2 व्यावसायिक समाज कार्य : सामान्य सिद्धान्त और उनका अनुप्रयोग

*बी.वी. जगदीश

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 समाज कार्य के सामान्य मूल्य

2.3 समाज कार्य के सामान्य सिद्धांत

2.4 व्यवसाय : मानवीय आवश्यकताओं के लिए एक प्रत्युत्तर

2.5 मानवीकरण के लिए सामाजिक परिवर्तन एक लक्ष्य के रूप में

2.6 समाज की मूल इकाईयों में हस्तक्षेप

2.7 सारांश

2.8 शब्दावली

2.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई में समाज कार्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा की जाएगी। इस इकाई का अध्ययन के बाद आपः

- व्यावसायिक समाज कार्य की आकस्मिकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ सकेंगे;
- समाज कार्य के सामान्य मूल्यों और सिद्धांतों को जान सकेंगे; और
- समाज के विभिन्न स्तरों पर समाज कार्य किस प्रकार से अन्तःक्षेप कर सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

बीते वर्षों के साथ–साथ समाज कार्य एक साधारण सहायता प्रदान करने वाले व्यवसाय से, एक सषक्तीकरण करने वाले व्यवसाय के रूप में सामने आया है और इसने कई मील के पत्थरों को पार किया है। यह समाज में अच्छी तरह से परिभाषित और सुस्थिर मूल्य प्रणाली, सिद्धान्तों, निपुणताओं और तकनीकों के साथ एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रहा है। आज समाज कार्य व्यवसाय सामाजिक आदेशों, जो प्रत्येक व्यक्ति की भलाई को बढ़ावा देता है, के अनुरक्षण की अभूतपूर्व जिम्मेदारी को वहन कर रहा है। यह सामाजिक सम्बन्धों के मानवीकरण और सम्पूर्ण समाज की उन्नति के लिए कार्यों पर बल देने के साथ नियोजित परिवर्तन को उत्पन्न करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

*डॉ. बी.वी. जगदीश, आर.एम. कालेज ऑफ सोशल वर्क, हैदराबाद

2.2 समाज कार्य के सामान्य मूल्य

इस इकाई में समाज कार्य के मूल्यों और उनके अनुप्रयोग के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी व्यावसायिक गतिविधि मूल्यों के एक समुच्चय द्वारा निर्देशित होती है। समाज कार्य के ज्ञान के निकाय के निश्चित केन्द्रीय मूल्य हैं जो कि एक समयावधि के साथ–साथ समाज कार्य के व्यावसायिक व्यवहार के साथ विकसित हुए हैं। जो समाज कार्य व्यवहार की सभी परिस्थितियों में पद्धति चाहे जैसी भी हो, समान है।

इन पर गम्भीरता से विचार करने से पूर्व हम मूल्य शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना अपेक्षित व्यवहार प्रतिमानों का समुच्चय होता है जिसे इसके सभी सदस्य इच्छित परिणाम की स्थिति को पूर्ण करने के लिए अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, मूल्य आधारभूत प्रतिमान हैं। और एक समाज या एक उपसमूह के सदस्यों द्वारा सहभागिता युक्त व्यवहार प्रतिमानों को महत्व देते हैं जिसका लक्ष्य सदस्यों के संगठित क्रियाकलापों को एकीकृत करना और मार्ग तैयार करना है। एक मूल्य अलग–अलग उल्लेख करता है कि एक विशिष्ट व्यवहार का या तो अनुसरण करना है या अनुसरण नहीं करना हैं । उदाहरण के लिए, सत्यवादिता एक मूल्य है जिसका प्रत्येक समूह अनुरक्षण करता है। मूल्य लोगों को सत्य बोलने के लिए निर्देष देता है और झूठ बोलने से मना करता है। लोग एक मूल्य को साकार करने हेतु निष्चिय प्रयासों और ऊर्जा को लगाने के लिए इच्छुक होते हैं, मूल्य के अनुरक्षण के लिए त्याग करने हेतु तैयार रहते हैं और दण्ड को लागू करते हैं यदि कोई व्यक्ति मूल्य को अस्वीकार करने या दूषित करने की धमकी देता है। मूल्यों के कुछ उदाहरण ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अखण्डता, देशभक्ति, बड़ों का सम्मान उल्लेखनीय है।

अतः एक व्यवसाय के मूल्य उसकी प्राथमिक आधारभूत धारणा और अधिमान्य व्यवहार प्रतिमान है जिन्हें व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा इसके व्यवहार किए जाने के समय अनुरक्षण करना चाहिए। एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य सामाजिक समायोजन और सामाजिक क्रिया की समस्याओं से ग्रस्त लोगों के साथ कार्य कर रहा है उसके अपने मूल्य हैं जो कि व्यवहारकर्त्ताओं का पथ–प्रदर्शन करते हैं। समाज कार्यकर्त्ता को समाज के सामाजिक मूल्यों जिसका वह सदस्य होता है, का अनुसरण करना होता है और उसे समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्यों की पूर्ण समझ और परख रखनी पड़ती है। सेवार्थियों की बहुत सी समस्याएँ एक सामाजिक मूल्य से सम्बन्धित होती हैं जिसका अनुरक्षण करने के वे योग्य नहीं होते है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने परिवार की समुचित देखभाल नहीं कर रहा है वह परिवार के मुखिया के रूप में अपने परिवार की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायित्व के मूल्य के अनुसरण में समस्या से ग्रसित हैं। सेवार्थी की मानसिक परिपक्वता का विकास नहीं हो सका है और वह गैर–जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रहा है या वह उत्तरदायित्व को बोझ समझ कर लेना नहीं चाहता है। इस प्रकार की परिस्थिति में समाज कार्यकर्त्ता एक व्यक्ति के परिवार के प्रति उत्तरदायित्व के इस मूल्य की स्पष्ट समझ को रखते हुए परामर्श देता है और सेवार्थी की परिवार की मुखिया के रूप में उत्तरदायित्व वहन करने में सहायता करता है। इस प्रकार समाज कार्यकर्त्ता सेवार्थी की सामाजिक क्रिया को स्वस्थ करता है।

समाज के एक सदस्य के रूप में भी समाज कार्यकर्त्ता इन सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है। समाज कार्यकर्त्ता को कई बार सेवार्थी को स्वीकार करने और उसके साथ कार्य करने में दुविधा में हो सकती है किन्तु जब कभी भी उसे ऐसे सेवार्थी जिसने सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन किया है के साथ कार्य करना पड़ता है तो समाज

कार्यकर्त्ता उच्च सम्मान को बनाए रखता हैं उदाहरण के लिए, एक समाज कार्यकर्त्ता जो कि पुरजोर तरीके से ईमानदारी के मूल्य का समर्थन कर रहा है और न्यायपूर्ण साधनों से उपार्जन कर रहा है उसका ऐसे सेवार्थी जो कि एक अपराधी है और जिसने समाज के लिए हानि उत्पन्न की है, के लिए एक निष्पक्ष तरीके के साथ कार्य करते हुए देख सकना कठिन हैं इस प्रकार के मूल्यों के संघर्ष और असमंजय से समाज कार्यकर्त्ता के बचाव के लिए व्यवसाय के मूल्य अभ्यासकर्त्ता के उद्धार के लिए पहुँचते हैं।

समाज कार्य मूल्य एवं बुनियादी दर्शन एक दूसरे से सम्बन्धित है। दर्शन सामाजिक जीवन की अवधारणाओं एवं बुनियादी सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। यह सामाजिक जीवन के मूल्यों को प्रासंगिकता एवं महत्व प्रदान करता है एवं व्यक्ति, समाज एवं उनके रिश्तों के नैतिक व्यवहार एवं आदर्शों की व्याख्या करता है। मूल्य जब एक तर्क संगत प्रणाली में संगठित होते है तब समाज कार्य के दार्शनिक पृष्ठभूमि का स्वरूप लेते हैं।

समाज कार्य के मूल्य तीन सामान्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैंः लोगों के विषय में मूल्य, समाज के सम्बन्ध में समाज कार्य के मूल्य और मूल्य जो व्यावसायिक व्यवहार को गुण प्रदान करते हैं (डूबोइस एवं माइले, 1999)। समाज कार्य के कुछ मौलिक मूल्यों का नीचे विवेचन किया गया है।

व्यक्ति के अन्तंनिहित योग्यता (मूल्यवान होना), सत्यनिष्ठा तथा गरिमा (गौरव, प्रतिष्ठा) के प्रति दृढ़विश्वास (फ्रीडलेण्डर, 1977)। एक सामाजिक क्रिया को निष्पादित करने या पालन करने में असफल व्यक्ति को समाज एक अयोग्य और अवांछनीय तत्व के रूप में मानता है। उसकी गरिमा स्वीकार्य नहीं है और उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा जाता है। जिसके पास सत्यनिष्ठा नहीं है और साथ ही समाज द्वारा उसके साथ अपमानजनक तरीके से बर्ताव किया जाता है। लोग इस विषय में इतनी अधिक दिलचस्पी नहीं लेते है कि यह जाने कि व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का ठीक तरह से क्यों नहीं निर्वाह कर रहा है। सह मूल्य समाज कार्यकर्त्ता को स्मरण कराता है कि प्रत्येक सेवार्थी जो उसके पास एक समस्या के साथ आता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मूल्य रहित है और जिसके पास नैतिक उच्चता नहीं हैं क्योंकि वह एक प्रतिकूल परिस्थिति में है उसे समाज में अन्य सदस्यों द्वारा जैसा समझा जाता है वैसा नहीं समझना चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता के लिए सेवार्थी वैसा ही मूल्यवान है जैसा कोई दूसरा व्यक्ति और सेवार्थी की परिस्थिति ऐसी होती है कि बहुत से कारक उस पर क्रियाशील होते है। सामाजिक परिस्थिति को अच्छी तरह समझने और विश्लेषित करने का यदि व्यक्ति को अवसर दिया जाए तो वह समस्या से बाहर आ सकता है और दोबारा समस्याग्रस्त परिस्थिति में नहीं होगा। एक व्यक्ति को उसकी योग्यता का अनुभव कराने और उसकी गरिमा के साथ व्यवहार करते हुए व्यक्ति को उसकी समस्या पर काबू पाने में उसके गम्भीरपूर्ण सम्मिलन और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसी व्यक्ति की गरिमा, योग्यता और सत्यनिष्ठा में दृढ़विश्वास समाज कार्यकर्त्ता को किसी भी प्रकार के सेवार्थी के साथ कार्य करने के लिए मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से ढालने के योग्य बनाता है।

दूसरा मूल्य है प्रजातांत्रिक प्रकार्यों में विश्वास। समाज कार्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करता है जब यह सेवार्थी प्रणाली के साथ कर रहा होता है। यह इंगित करता है कि निर्णय सहमति के माध्यम से लिए जाते हैं और सेवार्थी पर कुछ भी नहीं थोपा जाता है। कार्यकर्त्ता, सेवार्थी और अन्य व्यक्ति सभी निर्णय को लेने में शामिल होते है। ऐसा किए जाने के समय सेवार्थी प्रणाली के समाधान चुनने के अधिकार को अत्यन्त महत्व प्रदान किया जाता है।

तीसरा मूल्य है सभी के लिए अपनी सहज क्षमताओं के अनुरूप समान अवसर प्राप्त करने के प्रति पूर्णविश्वास (फ्रीडलेण्डर, 1977)। यह मूल्य सामाजिक न्याय की आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है। समाज कार्य सामाजिक अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करता है और समाज के लाभ विहीन तथा नष्ट करने योग्य वर्गों के विषय में मापन करता हैं जाति, धर्म, आर्थिक स्तर और बुद्वि इत्यादि पर विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक संसाधनों की सुलभता का समान अवसर है। तथापि यह अपनी विचारषीलता के अन्तर्गत व्यक्ति की क्षमता की स्थिति से उनके प्रयोग के लिए इन संसाधनों के लिए व्यक्ति के पास होने वाली सुलभता की सीमा को सम्मिलित करता है। उदाहरण के लिए, एक अक्षम व्यक्ति अंषकालिक गतिविधि के रूप में पर्वतारोहण करना चाहता है उसे इसलिए मना नहीं करना चाहिए कि वह एक अक्षम है बल्कि उस समय यदि उसके पास पर्वतों पर पढ़ने के लिए शारीरिक शक्ति और क्षमता नहीं है कदाचित तब वह अनुभव करे कि पर्वतारोहण उसके लिए उपयुक्त नहीं है और उसे अपने लिए कोई अन्य अधिक उपयुक्त गतिविधि को चुनना चाहिए।

चौथा है उस का स्वयं परिवार एवं समाज के प्रति सामाजिक उत्तरादायित्व (फ्रीडलेण्डर, 1977)। यह मूल्य समाज कार्यकर्त्ता को जिस समय वह अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को निभा रहा हो, उसे स्वयं, उसके परिवार और समाज जिसमें वह रह रहा है की अवहेलना न करने के लिए सावधान करता है। यदि वह स्वयं और अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वयों को पूरा करने में असफल होता है तब वह स्वयं या उसका परिवार अपने सामाजिक कर्तव्यों को सम्पन्न करने में विफल हो सकते हैं और समाज कार्य हस्तक्षेप को प्राप्त करने में असफल हो सकते है।

पाँचवॉ मूल्य है ज्ञान और कौशल को दूसरों तक पहुँचाना (शीफॉर एवं मोराल्स, 1989)। यह मूल्य समाज कार्यकर्त्ता को आदेश देता है कि उसके पास जो जानकारी है उसे वह मुहैया कराए जो कि सेवार्थी को भविष्य में उसी प्रकार की समस्या का सामना करने के मामले में अपनी देखभाल करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगी। यह सुनिश्चित करना है कि सेवार्थी अपने सम्पूर्ण जीवन काल में समाज कार्यकर्त्ता पर निर्भर नहीं हो। आगे यह सुझाव भी देता है कि यह–व्यावसायिकों के बीच जानकारी और कौषल को बांटना व्यावसायिक अभ्यास की समर्थता को बढ़ाने में आगे तक जाता है।

छठवाँ मूल्य है – व्यक्तिगत भावनाओं को दूसरों के साथ व्यवसायिक सम्बन्धों से अलग करना (शीफॉर एवं मोराल्स, 1989)। यह मूल्य स्मरण कराता है कि समाज कार्यकर्त्ता को व्यक्तिगत भावनाओं को व्यावसायिक सम्बन्धों के भीतर नहीं लाना चाहिये क्योंकि यह उसे सेवार्थी और उसकी समस्याग्रस्त परिस्थिति के विषय में अति लगाव युक्त या पक्षपात पूर्ण या पूर्वाग्रह की दृष्टि से युक्त बनाकर प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यक्ति के रूप में समाज कार्यकर्त्ता अपने जीवन में सेवार्थी की ही भांति इसी प्रकार के अनुभवों और परिस्थितियों से गुजर चुका हो सकता है। और उसके लिए यह सम्भावना है कि वह इन्हें वर्तमान सेवार्थी से जोड़ें और सम्भव है कि वह समाज कार्य हस्तक्षेप के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठा का परित्याग कर दे। अतः जहाँ उसकी कोई भी व्यक्तिगत भावनाएँ उसके व्यावसायिक सम्बन्धों को प्रभावित कर ही हैं। उसे सतर्क रहना चाहिए।

सातवाँ मूल्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण के उच्च मानदण्डों को ग्रहण करता है (षीफॉर एवं मोराल्स, 1989)। यह इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर समाज कार्यकर्त्ता का आचरण उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। एक व्यावसायिक के रूप में उसे समाजकार्य व्यवहार कर्त्ता के लिए रेखांकित की गयी आचार संहिताओं का पालन करना चाहिये। किसी भी व्यवसाय की सफलता उसका

अभ्यास कर रहे व्यावसायिकों की सत्यनिष्ठा और चरित्र पर निर्भर करती हैं समाज कार्य अभ्यास की परिस्थितियों में सेवार्थी अपने चारों ओर की चीजों के विषय में बहुत सी आषंकाओं, दुविधाओं और सन्देहों एवं अविश्वास युक्त होता है। उन्हें बहुत सी गोपनीय और संवेगात्मक सूचनाओं को अभिव्यक्त करना पड़ता है और वे कार्यकर्त्ता से अत्यधिकविश्वास की अपेक्षा करते है। असावधानीपूर्वक गोपनीय सूचना का रहस्योद्घाटन करना, सेवार्थी की वचनबद्धता का मजाक उड़ाना, सेवार्थी को नीचा दिखाना अत्यंत हानिकारक होता है यहां तक कि उसका अभ्यास के घंटों के बाद व्यक्तिगत व्यवहार की केवल लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहियें बल्कि समाज कार्यकर्त्ता के लिए भी प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहिये। समाज कार्यकर्त्ता भी समाज का एक सम्मानीय सदस्य होता है और उसे किसी भी आचरण में पक्षपात नहीं करना चाहिये जो कि समाज द्वारा बुरे या निन्दनीय समझे जाते हों। अतः यह अपरिहार्य है कि एक समाज कार्यकर्त्ता एक उच्च सत्यनिष्ठा और उच्च नैतिक आचरण का व्यक्ति हो।

बोध प्रश्न I

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) 'मूल्य' शब्द को स्पष्ट कीजिए, और समाज कार्यकर्त्ता के लिए समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्यों के विषय में अच्छे ज्ञान की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) समाज कार्य के किन्हीं दो मूल्यों की व्याख्या कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 समाज कार्य के सामान्य सिद्धान्त

समाज कार्य व्यवहार किए जाने के दौरान अच्छे परिणाम पाने के लिए क्या किया जाए और क्या न किया जो सिद्धान्त इसका विवरण हैं। ये व्यावसायिकों हेतु क्षेत्र में कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त हैं। सिद्धांत एक व्यवसाय के अभ्यास हेतु जानने योग्य वक्तव्यों के रूप में मूल्यों का विस्तारण हैं उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की गरिमा और योग्यता का मूल्य एक व्यक्ति या समूह या समुदाय के आत्म निष्चय में विश्वास के सिद्धांत में प्रकट होता है। सिद्धांत समयानुसार परखे गये और वृहत् अनुभव तथा शोध में से प्राप्त किये गये हैं।

समाज कार्य के सामान्य सिद्धांतों की व्यापक रूप से विवेचना इस प्रकार हैः

सिद्धांत वस्तु के कुछ वर्ग से सम्बन्धित एकरूपता दिखायी का एक अभिव्यक्त मंथन है। सिद्धांत जो कि नियम या कानून, मूलभूत सत्य, आमतौर पर स्वीकार सिद्धांत साधन है जिसका तात्पर्य है हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। (बर्र, ए.एस. और बर्टन),

स्वीकृति का सिद्धांत,

वैयक्तिकरण का सिद्धांत,

संचार का सिद्धांत,

आत्म–निर्णय का सिद्धांत,

गोपनीयता का सिद्धांत,

नियन्त्रित संवेगात्मक सम्बद्धता का सिद्धांत,

अब इन सिद्धान्तों पर चर्चा की जाएगी।

स्वीकृति का सिद्धान्त

यह सिद्धान्त बताता है कि समाज कार्य अभ्यास में अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु सेवार्थी और समाज कार्य व्यावसायिक दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। सेवार्थी को कार्यकर्त्ता को इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि कार्यकर्त्ता ही वह व्यक्ति है जो समस्याग्रस्त परिस्थिति पर काबू पाने में उसकी सहायता कर रहा है। समाज कार्य की परिस्थितियो में सेवार्थी प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्त्ता तक पहुँच सकता है या समाज कार्यकर्त्ता को संस्था द्वारा नियुक्त किया जा सकता है या किसी अन्य द्वारा सेवार्थी को समाज कार्यकर्त्ता के पास सन्दर्भित किया गया हो सकता हैं, जब तक सेवार्थी यह महसूस नहीं करता है कि समाज कार्यकर्त्ता उसकी दुर्दशा को समझने के लिए सझम है और वह उसकी सहायता करने के लिए सम्बद्ध है, तब तक सेवार्थी सम्बन्धों में सहयोग नहीं कर सकता है जिसके माध्यम से समाज कार्य हस्तक्षेप को नियोजित किया गया है। सेवार्थी द्वारा समाज कार्यकर्त्ता की समर्थता के विषय में किसी प्रकार का सन्देह सहायता प्रक्रिया के लिए गम्भीर जटिलता में परिणत होता है। इसी प्रकार से कार्यकर्त्ता द्वारा भी सेवार्थी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक समस्या से ग्रसित होकर उसके पास सहायता के लिए आया है, स्वीकार करना चाहिए। सेवार्थी के बाह्यरूप और पृष्ठभूमि पर विचार किये बिना कार्यकर्त्ता को उसे स्वीकार करना चाहिए जैस`कि वह बिना किसी आरक्षण के है। समाज कार्य व्यक्ति को जैसा का तैसा एवं उसकी सीमाओं के साथ स्वीकार करता है। समाज कार्य मानता है कि स्वीकृति सभी प्रकार की सहायता की जड़ है। वह सेवार्थी की निन्दा उसके अननुमोदित व्यवहार के कारण नहीं करता परन्तु वह वास्तविक उत्साह का निर्माण करता है, जिसकी मदद की जा सकती है। सीमाओं एवं योग्यता के साथ स्वीकार करते हैं। समाज कार्य वहाँ से शुरू होता है जहाँ सेवार्थी है एवं प्रत्येक मदद की प्रक्रिया की अवस्था से शुरू होता है, अपने आप को सेवार्थी से सम्बन्ध करता एवं प्रत्येक दिये गये क्षण पर रहता है। कभी–कभी कार्यकर्त्ता के व्यक्तिगत अनुभव सेवार्थी को स्वीकार करने के मार्ग में आ सकते है। उदाहरण के लिए, एक कार्यकर्त्ता जो कि अपने शराबी पिता द्वारा बचपन में उत्पीड़ित था उसके लिए शराबी सेवार्थी को स्वीकार करना कठिन हो सकता है जो कि अपने पारिवारिक सम्बन्धों को ठीक करने में सहायता हेतु आया है। इस मामले में समाज कार्यकर्त्ता को अपने शराबी पिता द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के अपने अनुभव को, जिसे वह घृणा करता है और त्याग चुका है या जिसके प्रति शुत्रता प्रदर्शित करता है या उदासीनता प्रदर्शित करता है, सेवार्थी के लिए

नहीं लाना चाहिए। सेवार्थी की सामाजिक अकर्मण्यता के लिए एक समाधान निकालने हेतु एक सषक्त व्यावसायिक सम्बन्ध की स्थापना का मूलतत्व पारस्परिक स्वीकृति है।

वैयक्तिकरण का सिद्धांत

यह सिद्धांत समाज कार्यकर्त्ता को स्मरण कराता है कि सेवार्थी के साथ कार्य करते समय यह मस्तिष्क में रखना चाहिये कि कार्यकर्त्ता एक निर्जीव वस्तु या निकृष्ट अस्तित्व की वस्तु के साथ कार्य नहीं कर रहा है। सेवार्थी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो गरिमा, योग्यता या मूल्य रहित हो, निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वह अपनी समस्या के समाधान का मार्ग नहीं ढूँढ़ सकते है। यह एक सामान्य प्रत्युत्तर है जिसे सेवार्थी समुदाय से प्राप्त करता है। और यह सेवार्थी को अनुभव करने का मौका देता है कि उसके अन्दर मनुष्य की योग्यता नहीं है और वह अपने बारे में एक खराब छवि विकसित करता है। समाज कार्यकर्त्ता को एक देखभाल करने वाले और सहायता करने वाले व्यावसायिक के रूप में विश्वास करना चाहिये कि सेवार्थी एक व्यक्ति है जो कि गरिमा, योग्यता और सम्मान से युक्त है और गरिमा के साथ अपनी अवांछनीय परिस्थिति के बाहर आने की शक्ति उसके अन्दर है और सम्मान ने उसे यही पर्यावरण और प्रोत्साहन दिया है। आगे समाज कार्यकर्त्ता को हमेशा मानना चाहिए कि प्रत्येक सेवार्थी अद्वितीय है और दूसरे अन्य सेवार्थियों जिनकी उसी के समान समस्याएँ हैं, से अलग है जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति समान उत्तेजना के प्रति भिन्न–भिन्न रूप से प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और वे विभिन्न समस्याग्रस्त परिस्थितियों के अन्दर या दूर पाये जाते हैं। व्यक्ति और उसके निहित मूल्य की अद्वितीयता मेंविश्वास समाज कार्य अभ्यास के जेहन में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने बल को एकीकृत एवं दिषा देने में सक्षम है कि वह प्रत्येक अन्य व्यक्ति की प्रकृति से भिन्न है। समाज कार्यकर्त्ता प्रत्येक सेवार्थी की समस्या को विषिष्ट रूप से देखता है एवं सेवार्थी को उससे निपटने के लिए आगे बढ़ने के साथ में मदद करता है।

संचार का सिद्धान्त

समाज कार्य में समाज कार्यकर्त्ता और सेवार्थी के बीच संचार का अत्यन्त महत्व है। संचार अलिखित, लिखित या मौखिक या सांकेतिक हो सकता है जिसमें मुद्राओं, संकेत या क्रियाओं का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता है। अधिकतर समस्याएँ मानवीय सम्बन्धों से सम्बन्धित होती हैं जो कि त्रुटिपूर्ण संचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। एक संदेशसंचार में प्रेषक द्वारा भेजा जाता है और ग्राही द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक संचार वास्तविक स्थान तब ग्रहण करता है जबकि जिन शब्दों के अर्थों और अन्य संकेताक्षरों को प्रेषक और ग्राही द्वारा संदेश की सही रूप से व्याख्या करने में असफल है जैसे कि प्रेषक क्या प्रेषित करना चाहता है तब उसमें एक विच्छेदन होता है या संचार प्रक्रिया में गलतफहमी होती है जो कि भ्रम और समस्या में परिणत होती है। कभी–कभी यदि प्रेषक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अयोग्य होता है या वह क्या संप्रेषित करना चाहता है, तब भी वहाँ त्रुटिपूर्ण संचार होता है। इसके अतिरिक्त सुगम सन्देशके प्रवाह के लिए अन्य अवरोधों मसलन दूरी, स्वभाव, मनोवृत्तियों, पूर्ण के अनुभव, मस्तिष्क की समझने की क्षमता और इसी तरह अन्य हैं।

समाज कार्यकर्त्ता के पास सेवार्थी द्वारा बनाए गए अलिखित और सांकेतिक संचार को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त निपुणता होनी चाहिए। समाज कार्य सम्बन्धों में संचार तनावपूर्ण होता है क्योंकि सेवार्थी और कार्यकर्त्ता की पृष्ठभूमि कदाचित भिन्न हो, सेवार्थी की मानसिक अवस्था विविध हो सकती हैं वह पर्यावरण जिसमें संचार स्थान ग्रहण करता है वह समय–समय पर परिवर्तित हो सकता है जो त्रुटिपूर्ण संचार के लिए पर्याप्त क्षेत्र

प्रस्तुत करता है। इसलिए कार्यकर्त्ता को यह निरीक्षण करने के लिए सभी प्रयास करना चाहिए कि उसके और सेवार्थी के बीच उपयुक्त संचार हो। सामाजिक कार्यकर्त्ता का कार्य मुख्य रूप से सेवार्थी के लिए ऐसी वातावरण का निर्माण करना है जिसमें वह अपनी भावनाओं को सहज रूप से प्रकट कर सकें। वातावरण में सेवार्थी का कार्यकर्त्ता मेंविश्वास एवं आत्मविश्वास एवं सेवार्थी का कार्यकर्त्ता द्वारा स्वीकारा जाना शामिल है। आगे उसे आष्वस्त करना चाहिये कि कार्यकर्त्ता इस बात को सही तरीके से समझता है कि वह क्या संप्रेषित करना चाहता है। इसके लिए स्पष्टीकरण और पुनः स्पष्टीकरण जैसी तकनीकें परिष्कृत करती हैं कि सेवार्थी ने क्या कहा, प्रश्न पूछने और पुनः निर्दिष्ट करने का प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार कार्यकर्त्ता को यह सुनिश्चितकरना पड़ता है कि वह क्या संप्रेषित कर रहा है, उसे सेवार्थी ठीक तरह से समझे। इसके लिए कार्यकर्त्ता सेवार्थी से, यह दोहराने के वह क्या कह रहा है? कह सकता हैं यह तरीका कार्यकर्त्ता और सेवार्थी की बीच त्रुटिपूर्ण संचार को कम कर सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्यकर्त्ता सेवार्थी सम्बन्ध सुस्थिर और शक्तिषाली हैं।

गोपनीयता का सिद्धान्त

यह सिद्धान्त समाज कार्य हस्तक्षेप के प्रभावी उपयोग के लिए सषक्त आधार प्रदान करना है। यह कार्यकर्त्ता–सेवार्थी के बीच एक शक्तिशाली सम्बन्ध के निर्माण में सहायता करता है। समाज कार्य में कार्यकर्त्ता के लिए सूचना का उपलब्ध करना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। यह साधारण तथ्यपरक सूचनाओं से कदाचित क्या अत्यधिक गोपनीय है, को श्रेणीबद्व करता है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विवरण के विषय में निश्चितसूचनाओं को किसी को बताने के लिए कदाचित तब तक इच्छुक नहीं होगा जब तक कि जिसको यह बताना है वह विश्वसनीय न हो। उसे यह विश्वास होना आवष्यक है कि कार्यकर्त्ता इसका दुरूपयोग उसके लिए असुविधा उत्पन्न करने या उपहास करने या उसकी ख्याति को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं करेगा।

समाज कार्य में जब तक सेवार्थी समस्त सूचनाए जो कि कार्यकर्त्ता के लिए आवष्यक हैं उपलब्ध नहीं कराता है तब तक सेवार्थी की सहयता करना सम्भव नहीं होता है। इसके होने के लिए, सेवार्थी का कार्यकर्त्ता में पूर्णविश्वास होना चाहिए कि कार्यकर्त्ता को अग्रेषित की गयी सूचना गोपनीय रखी जायेगी और सेवार्थी की समस्या का मूल्याँकन करने और सम्भावित समाधान निकालने के लिए उपयोग की जायेगी। अतः इसलिए कार्यकर्त्ता को सेवार्थी को आश्वस्त करना चाहिए कि सेवार्थी के विषय में गोपनीय सूचना का सेवार्थी की हानि के लिए दूसरों के सम्मुख रहस्योद्घाटन नहीं किया जायेगा।

इस सिद्धान्त का पालन करने के लिए समाज कार्यकर्त्ता को कुछ निश्चित दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पहला, हो न हो अन्य संस्था के कर्मिक के साथ गोपनीय सूचना में हिस्सा बँटाता है, जो कि केस से जुड़ा हुआ होता है और सहकर्मी के रूप में व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता जो कि कार्यकर्त्ता को सेवार्थी की समस्या का समाधान में सहायता कदाचित समूह परामर्श के समय कर सकते हैं। दूसरे, सेवार्थी की आपराधिक गतिविधियों से सम्बन्धित कुछ सूचनाओं के विषय में जहाँ पर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज कार्यकर्त्ता को जब कहा जाए तो उसके लिए इन्हे जाँच एजेन्सियों को अग्रसारित करना आवश्यक हो सकता है। पूर्वकालिक स्थिति में समाज कार्यकर्त्ता सेवार्थी के श्रेष्ठ लाभ के लिए सूचना को बता सकता है परवर्ती स्थिति में जहाँ यह वास्तव में समाज कार्यकर्त्ता के लिए इस प्रकार की सूचना को जिस रूप में इन्हें गोपनीय रखने की वचनबद्वता के अधीन प्राप्त किया गया है, के साथ सम्भालना दुश्कर है। इस प्रकार की परिस्थितियों में जहाँ इसे समाज कार्यकर्त्ता के लिए प्रकट करना है या नहीं, इसका निर्णय सेवार्थी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। और समाज कार्यकर्त्ता सेवार्थी को स्पष्ट

करेगा कि वह सम्बन्धित प्राधिकारियों के सामने इसे प्रकट न करने का आष्वासन नहीं दे सकता जहाँ कि विधिक आवश्यकताएँ साधारण व्यक्ति को उसके द्वारा प्राप्त की गयी सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य करती हैं।

गोपनीयता को बनाए रखने में विफलता कार्यकर्त्ता–सेवार्थी सम्बन्ध को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। अतः कार्यकर्त्ता को सेवार्थी संबंधी सूचना को सुरक्षित रखने और दूसरों को बताने में समझदारी दिखानी पड़ती है। सूचना जिसकी आवश्यकताहै उसे केवल सेवार्थी से ही एकत्रित करना चाहिए। सूचना को बताने से पूर्व यहाँ तक कि वे लोग जो कि सेवार्थी से सम्बद्व हैं, उसके विषय में भी सेवार्थी की अनुमति ले लेना चाहिए।

आत्म–निर्णय का सिद्धान्त

सह सिद्धान्त सेवार्थी के आत्म निर्णय के अधिकार पर बल देता हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए क्या अच्छा है और इसे प्राप्त करने के लिए पद्धतियों और साधनों को निर्धारित करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज कार्यकर्त्ता को सेवार्थी पर पहले ही निर्णय या समाधान इसलिए नहीं थोपना चाहिए क्योंकि सेवार्थी उसके पास सहायता के लिए आया है। निस्संदेह, समाज कार्यकर्त्ता के पास इस लिए आया है क्योंकि वह स्वयं द्वारा समस्या को समाधान नहीं कर सकता है। समाज कार्यकर्त्ता को सेवार्थी की सामाजिक परिस्थिति के सही परिप्रेक्ष्य में अन्तर्दृष्टि के विकास और प्रोत्साहित करने और उसके लिए अच्छा है और उसकी क्या स्वीकार्य है, के रूप में निर्णय लेने में सम्मिलित होने में सहायता और पथ–प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरीके से सेवार्थी की न केवल अन्तः शक्ति को प्राप्त करने में सहायता की जाती है बल्कि उसके द्वारा स्वतंत्र और योग्यता और गरिमा से सुक्त एक व्यक्ति के रूप में होने का अनुभव करने में भी सहायता प्रदान की जाती है।

अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धान्त

अनिर्णयातमक मनोवृत्ति का सिद्धान्त कल्पित करता है कि समाज कार्यकर्त्ता को बिना किसी पक्षपात के व्यावसायिक सम्बन्ध का प्रारम्भ करना चाहिए। इसके लिए, उसे सेवार्थी के विषय में अच्छे या बुरे या योग्यता या आयोग्यता के रूप में धारणा नहीं कायम करनी चाहिए। उसे सेवार्थी के साथ एक ऐसे व्यक्ति जो उसके पास सहायता के लिए आया है व्यवहार करना होता है और सेवार्थी और उसकी परिस्थिति में अन्य लोगों की धारणाओं से प्रभावित हुए बिना उसकी सहायता के लिए तत्पर रहना होता है। यह कार्यकर्त्ता को ठोस आधार पर व्यावसायिक सम्बन्ध के निर्माण के योग्य बनाता है जिससे कार्यकर्त्ता और सेवार्थी स्वतंत्र महसूस करें और एक दूसरे के प्रति अपनी बोध शक्ति की भागीदारी खुले दिमाग से करें। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि समस्याग्रस्त परिस्थिति और समस्या का सामना करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के विषय में व्यावसायिक निर्णय न लिए जाए।

नियन्त्रित संवेगात्मक सम्बद्वता का सिद्धान्त

नियन्त्रित संवेगात्मक सम्बद्धता का सिद्धान्त समाज कार्यकर्त्ता की सेवार्थी की दुर्दशा में व्यक्तिगत रूप से अधिक लिप्त होने या अधिक वस्तुनिष्ठ होने से रक्षा करता है। विगत् के मामले में कार्यकर्त्ता सेवार्थी के अधिक समरूप्य हो सकता है क्योंकि वह सेवार्थी के जीवन की परिस्थिति/परिस्थितियों या सेवार्थी के व्यक्तित्व के साथ उसकी समस्याग्रस्त परिस्थिति में अनेक समानताओं का पता लगाता है। यह व्यावसायिक सम्बन्ध और सेवार्थी की समस्या के विषय में निर्णयों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। कार्यकर्त्ता सेवार्थी की

समस्या के विषय में निर्णयों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। कार्यकर्त्ता सेवार्थी के जीवन के साथ अधिक सहानुभूति और अधिक सम्बद्वता प्रारम्भ कर सकता हैं और यह सेवार्थी के आत्म–निर्णय और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है।

परवर्ती मामले में, अधिक वस्तुनिष्ठ और अलग हो जाने से सेवार्थी महसूस कर सकता है कि कार्यकर्त्ता की उसमें और उसकी दुर्दशा में रूचि नहीं है। यह सेवार्थी को समस्त गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने से रोक सकता हैं। सेवार्थी में आयोग्यता और निस्सहायता की अनुभूति बलवती हो सकती है। अतः सेवार्थी को तदनुभूति प्रदर्षित करते हुए उचित संवेगात्मक दूरी को बनाए रखना चाहिए। तदनुभूति का अर्थ है कि सेवार्थी की दुर्दशा की समझ को प्रदर्शित करना और दया या सहानुभूति या तुच्छता का आभास प्रदर्शित न करना।

बोध प्रश्न II

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) वैयक्तिकरण के सिद्धान्त को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2) अनिर्णयात्मक मनोवृति के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 व्यवसाय : मानवीय आवश्यकताओं के विषय में एक प्रत्युत्तर

प्रत्येक व्यक्ति के पास सन्तुष्टि की प्राप्ति के लिए आवश्यकताओं का विस्तृत विन्यास होता है (स्ट्रप, 1965)। मानवीय आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से भौतिक आवश्यकताओं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक आवश्यकताएँ जीवन की सुरक्षा और उसे बनाए और समाज में कार्य सम्पादित करने के लिए भौतिक सुखों के चारो और घूमती हैं जबकि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ संवेगात्मक और मानसिक अवस्थाओं जैसे प्रेम और अनुराग पाने की कोषिष करना, सामाजिक मान्यता प्राप्त करना, आध्यात्मिक खोज आदि के लिए कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास और संघर्ष करता है। आवश्यकताएँ व्यक्ति और सामाजिक पर्यावरण के बीच अन्तःक्रिया की जटिलता में पूर्ण होती है। कभी–कभी कुछ निश्चितकारणों से व्यक्ति इनमें से कुछ प्राप्त करने में असफल होते है। प्राचीन समाजों

में लोगों की अपूर्ण आवश्यकताओं की देखरेख अधिकतर परिवार द्वारा या व्यावसायिक समूह जैसे व्यापारी संघ द्वारा या धर्म द्वारा या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल–वंष, राजा या सरकार द्वारा की जाती थी। जैसे–जैसे समाजों ने प्रगति की आवष्यकताएँ अधिकाधिक जटिल होती गयी और सहायता की गतिविधियाँ व्यवस्थित तरीके से आयोजिक की जाने लगीं। मनुष्य के भीतर कौशल और संवेदना ने उसे तैयार किया जो कि मानवीय संसर्ग और वैज्ञानिक प्रकृति के साथ एक अधिक नए ढंग में लोगों के लिए विपत्ति उत्पन्न कर रही है। नये रूप में यह विभिन्न व्यवसायों जैसे–चिकित्सा, नर्सिंग, इन्जीनियरिंग, विधि इत्यादि के विकास में परिणत हुआ है। ओर समाज कार्य इसके लिए अपवाद नहीं हैं समाज कार्य व्यवसाय मानव समाज को वास्तव में स्थायी रूप से इन अपूर्ण मानवीय आवश्यकताओं के लिए समाधान ढूँढने के द्वारा सहायता देने हेतु विशिष्ट रूप से विकसित किया गया है।

आवश्यकताओं की पूर्ति में गरीबी एक गम्भीर बाधा के रूप में कायम है। 18वीं शताब्दी की अवधि तक समाज की, राजा और कुलीन तंत्र और साथ ही चर्च के दृष्टिकोण से, लोगों की गरीबी के कारण अपूर्ण आवश्यकताओं के प्रति मनोवृत्ति मुख्यतः व्यक्ति की असफलता या दुराचरण या ईश्वर के क्रोध के कारण है। अतः ऐसे लोगों के उद्वार तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें स्वयं को बचाना है। परन्तु महान दार्शनिक और सामाजिक विचारकों के आगमन के साथ मानवीय दुखों की समझ गरीबी और दरिद्रता के अन्तर्गत एक परिवर्तन के रूप में प्रकट होती है।

गरीबी के कारणों के भीतर वैज्ञानिक जाँच प्रदर्शित करता है कि– (1) वास्तव में व्यक्ति की असफलता की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ कारण हैं; (2) गरीब द्वारा अत्यन्त अमानुशिक स्थितियों में हदय स्पर्शी जीवनयापन; (3) नये रूप में बदल कर गरीबी समाज में विभिन्न दूसरी समस्याओं को उत्पन्न कर रही है; (4) भिक्षा देना और अस्थायी सहायता उपयोगी नहीं हैं; (5) गरीबी की समस्या और उसके द्वारा उत्पन्न लोगों की अन्य आवश्यकताओ के साथ कार्य करने के लिए स्थायी समाधान निकालना आवश्यक है; (6) लोग गरीबी से बाहर आना चाहते है और उन्हें इससे बाहर आने में सहायता की जा सकती है।

चैरिटी आर्गेनाइजेषन सोसाइटी ओरसेटिलमेन्ट हाउस मूवमेन्ट, वाई. एम. सी. ए. और वाई. डब्लू. सी. ए. आर्गेनाइजजेशन सभी गरीबों, अनाथों, अवैध और अनाथ बच्चों और अविवाहित माताओं की सुरक्षा में, और अक्षम व्यक्तियों, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों और पड़ोसी समुदायों, भिक्षुकावासों, सुधारालयों, और अपंगाश्रमों में रहने वाले अन्य अप्रवासी लोगों की आवश्यकताओ के प्रत्युत्तर में विकसित हुए। निर्भरता की स्थिति और उसके उत्तरदायी कारणों की सम्पूर्ण जाँच के उत्तरदायित्व को वहन करने के द्वारा दान और लोकोपकार वैज्ञानिक दिशाओं को प्रदत्त हुआ है। आवश्यकताग्रस्त लोगों को परिवार और समुदाय के अन्तर्गत् संसाधनों का पता लगाने के लिए अपने पैरो पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वैज्ञानिक दान और लोकोपकार ने अप्रशिक्षित स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं के स्थान पर प्रशिक्षित वैतनिक कार्यकर्त्ताओं को रखा। लोगों की भौतिक, सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए कार्य करने हेतु 19वीं शताब्दी की समाप्ति तक अन्तिम परिणाम समाज कार्य व्यवसाय का जन्म है। एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य लोगों के संकट में कार्य करता है जो कि अन्य व्यवसाय नहीं करते हैं। समाज कार्य सेवार्थियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनकी समर्थताओं को सामने लाता है और उन्हें समर्थ बनाता है।

2.5 एक लक्ष्य के रूप में मानवीकरण के लिए सामाजिक परिवर्तन

सामाजिक परिवर्तन अपरिहार्य है और परिवर्तन की बहुत सी शक्तियाँ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर क्रियाशील रहती है। कभी–कभी परिवर्तन धीरे होते हैं और किसी अन्य समय में ये द्रुतगति से होते हैं। जब कभी आकस्मिक और अविचारशील परिवर्तन स्थान ग्रहण करते हैं तो लोग सुरक्षा से दूर हो जाते हैं और इन परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न विच्छेद और विघटन से मुकाबला करने में असफल होते है। मध्यकालीन अवधि के पूर्व और उसके दौरान होने वाले परिवर्तन धीमे थे परन्तु औद्योगिक क्रान्ति से अब तक के परिवर्तन अत्यधिक तीव्र रहे और परम्परागत् संस्थाओं और जीवन की पद्धतियों ने आघात पाया है। इसने दुर्दशा और कष्ट को उत्पन्न किया है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ निश्चित वर्ग अन्य कीमत पर उन्नति करते हैं। परिवर्तित रूप में यह सामाजिक तनाव और अव्यवस्था उत्पन्न करता है। यह हमेशा इच्छित होता है कि सामाजिक परिवर्तन नियोजित हो सके ताकि इसके कष्टकारी परिणामों को न्यूनतम और इसके लाभों का उच्चतम किया जा सके। उत्तरदायित्व को ग्रहण करने हेतु समाज कार्य का उद्गम हुआ है।

समाज कार्य का लक्ष्य एक नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से समाज के मानवीकरण को उत्पन्न करना है। समाज कार्य अत्यन्त आधारभूत मानवीय मूल्यों और सिद्धान्तों–मानव गरिमा, समानता, कार्य करने का प्रजातांत्रिक तरीका, आत्मनिर्णय का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार जिसे केवल एक समाज मानवीय रूप के साथ स्थापित कर सकता है, के प्रति दृढ़तापूर्वक वचनबद्व है।

समाज कार्य व्यवसाय सामाजिक उन्नति की वचनबद्धता के साथ व्यक्ति, समूह, समुदाय और सामाजिक स्तर पर हस्तक्षेप कर रहा है और समाज की भलाई के लिए परिवर्तन की शक्तियों का सामना और निर्देषन करता है।

व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता, सार्वजनिक और निजी काम में लगे व्यवहारकर्त्ता हो सकते हैं या समाज कार्य के विद्यालय के शिक्षक जो लोगों की उन आवश्यकताओं जो सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन की मांग करते हैं, के साथ दृढ़ता से सम्बद्ध होते है, हो सकते हैं, वे उन शक्तियों का ज्ञान रख सकते हैं जो कि विश्सनीयता से परिवर्तन को प्रभावित कर सकती है और सामाजिक उन्नति के लिए परिवर्तन को लाने हेतु कदम बढ़ा सकती हैं सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र हैं– निवारण, सुधार, पुनर्शिक्षा, पुर्नसमाजकीकरण पुनर्वास और नियोजन (पाइर्स, 1989)।

व्यवहार कर्त्ता सूक्ष्म स्तर पर इच्छित परिवर्तन की स्थितियों के साथ परीक्षण करते हैं। समाज कार्य के शिक्षक सामाजिक स्थितियों और परिवर्तन के कारकों को विश्लेषित करने के लिए शोध का उत्तरदायित्व ग्रहण करते है। उदाहरण के लिए समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए, समाज कार्यकर्त्ता महिलाओं के छोटे समूह बनाकर उन्हें सूचना, प्रशिक्षण और उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए सहायता जैसे शिक्षा जारी रखना, जीविका, विवाह इत्यादि जिसके फलस्वरूप उनका शक्तीकरण हो, देना प्रारम्भ कर सकता हैं इस प्रकार के प्रयोग की सफलता की जानकारी दूसरों को दी जाती है और नीति–निर्माताओं को अग्रेषित की जाती है जो इच्छित परिवर्तनों को सुसंगत नीति–क्षेत्रों में मिला कर इसे परिवर्तित कर देते हैं वृहत स्तर पर परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार समाज कार्य, सामाजिक परिवर्तन में एक नियोजित तरीके से और समाज की उन्नति के लिए योगदान देता है।

बोध प्रश्न III

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) मानवीय आवश्यकताओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) समाज कार्य प्रक्रिया नियोजित परिवर्तन को किस प्रकार सम्पादित करती हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.6 समाज की मूल इकाईयों में हस्तक्षेप

समाज कार्य व्यवहार समाज के विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किया जाता है। समाज कार्य हस्तक्षेप व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय और वृहत रूप में समाज में स्थान ग्रहण करता है। प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप अधिक या कम स्वतंत्र होता है और कभी कभी यह प्रकृति और सेवार्थी की उपयुक्त मांगों पर निर्भर रहते हुए परस्पर निर्भर होता है। इसने हस्तक्षेप के लिए सुव्यवस्थित तरीकों को विकसित किया है जो कि समाज की विभिन्न इकाईयों के साथ कार्य करने के लिए समाज कार्य की पद्धतियों में अन्तर्निहित हो गया है। सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य पद्वति व्यक्ति और परिवार के स्तर पर, सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य छोटे समूहों और परिवार के स्तर पर भी, सामुदायिक संगठन समुदाय के स्तर पर और सामाजिक क्रिया सामाजिक स्तर पर कार्य करती है।

वैयक्तिक स्तर पर हस्तक्षेप व्यक्ति की सामाजिक गतिविधियों के पुनः स्थापन के लिए है। हस्तक्षेप दो स्तरों पर किया जाता है। पहले स्तर पर कार्य केवल सेवार्थी के चारों ओर घूमता है और उसके जीवन की परिस्थितियों के प्रति अपने व्यवहारों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों और अनुभूतियों में परिवर्तन को उत्पन्न करते हुए उसकी समस्याग्रस्त परिस्थिति पर काबू करने के लिए सहायता करता है। कुछ मामलों में व्यक्ति के कारण समस्या नहीं होती बल्कि जिस पर्यावरण में रहता है उसके कारण होती है और ऐसी स्थिति में केवल वैयक्तिक स्तर पर कार्य करना पर्याप्त नहीं होता है। अतः दूसरे स्तर पर, कार्य में व्यक्ति और पर्यावरण दोनों सम्मिलित हैं जो परिवार या अभिजात समूह या समुदाय या सामाजिक संस्थाएँ उदाहरणार्थ विद्यालय, कार्यसंगठन या एक सामाजिक क्लब हो सकते है।

परिवार मूल सामाजिक इकाई है जिसका प्रत्येक व्यक्ति सदस्य होता है। उसका न केवल व्यक्ति बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता हैं। एक परिवार के अकेले सदस्य या सम्पूर्ण परिवार के लिए सहायता उपलब्ध कराने के मामले में परिवार समाज कार्य हस्तक्षेप की इकाई होता है। स्ट्रप (1965) में तीन प्रकार की आवष्यकताएं जो कि परिवार के कार्य हेतु प्रयोग की जाती है, की रूपरेखा तैयार की हैं। वे है प्रथम जो बाह्य तत्वों के कारण हैं, द्वितीय जो आन्तरिक तत्वों के कारण हैं और अन्तिम जो आन्तरिक और वाहय तत्वों का एक सम्मिरण हैं ये तत्व इसके सदस्यों के बीच दूषित सम्प्रेषण, मनोवृत्तियों और विचारों की गम्भीर विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न अपक्रियाओं और वैवाहिक मतभेद में दृष्टिगोचर होता हैं। आकस्मिक विपत्तियों का अलगाव, गम्भीर रोग इत्यादि। सदस्यों की विफलता विशेष रूप से दम्पत्तियों द्वारा उनकी भूमिका को सम्पादित करने में –बच्चों की उपेक्षा के प्रति अग्रगामी होना, परिवार में वृद्ध और बीमारों का होना आपसी समझ की कमी, काम का दवाब और अन्य सामाजिक वचनबद्धताओं के कारण हो सकता है।

हस्तक्षेप की इकाई के रूप में समूह की परिकल्पना तक की जाती है जब लोगों की सामान्य समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं। समूह पहले से ही निर्मित या समाज कार्यकर्त्ता द्वारा निर्मित हो सकता है वृद्धि और विकासात्मक समस्याएं/आवश्यकताए सामाजिक भूमिका का निष्पादन, निर्णय–निर्माण प्रक्रियाएं, नेतृत्व के ढंग और संचार अभिरचनायों व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अपेक्षा समूह अनुभव के माध्यम से हल किये जा सकते हैं। समूह, सेवार्थी को स्थापित करता हैं समूह स्तर पर हस्तक्षेप में समूह के एक विशेष सदस्य या सदस्यों में विशिष्ट सदस्य या सम्पूर्ण समूह पर ध्यान केंद्रित हो सकता है।

समाज कार्य हस्तक्षेप की एक इकाई के रूप में समुदाय, एक समुदाय में रहने वाले लोगों को प्रभावित करने वाली समस्याओं/आवश्यकताओं का सामना करने का प्रयास करता है। समुदाय के स्तर पर समाज कार्य समाज कल्याण आवश्यकताओं और समाज कल्याण संसाधनों के बीच के अन्तर को भरता है। यह समुदाय में विद्यमान विभिन्न–समूहों के बीच सहकारिता और सहयोग की मनोवृत्तियों को बढ़ावा देता है। यह समुदाय में समस्या/आवश्यकता से प्रभावित लोगों की सम्बद्धता की मुहिम चलाता है। समाज कार्य हस्तक्षेप का लक्ष्य समुदाय का सशक्तीकरण और क्षमता का निर्माण करना हैं यह समुदायों को उनके मामलों को स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य संस्थाओं के समक्ष बलपूर्वक और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने, समुदाय में विभिन्न समूहों के बीच नेतृत्व का निर्माण; समुदाय के निर्णय–निर्माण के सामर्थ्य में वृद्धि करने और इसमें रहने की दषाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न संसाधनों को गतिमान करने के लिए सक्षम बनाता है। समाज कार्य का अभ्यास सरकारी और निजी संरक्षण के अन्तर्गत संचालित समाज कल्याण संस्थाओं में किया जाता है। एक प्रशासक के रूप में समाज कार्यकर्त्ता को सेवाओं के वितरण का नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय करना पड़ता है, लागत की प्राप्ति के लिए बजट तैयार करना पड़ता है, स्टाफ का पर्यवेक्षण करना होता है और अन्त में, उच्च स्तर पर निष्पादन के विषय में सूचना देनी पड़ती है। इन कार्यों के प्रषासन में समाज कार्य का ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण के लिए, सेवा वितरण की कुषलता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए स्वीकृत कार्य समूहों/दलों का निर्माण और इस प्रकार के समूहों/दलों के विचार–विमर्शों को संचालित और पर्यवेक्षण करना, सामूहिक कार्य का ज्ञान प्रशासक को अत्यधिक दक्षता प्रदान करता है।

बोध प्रश्न IV

टिप्पणी :क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) परिवार के स्तर पर समाज कार्य के हस्तक्षेप की विवेचना कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2) समूह के स्तर पर समाज कार्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता का विवेचन कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2.7 सारांश

इस इकाई में हमने मूल्य शब्द के अर्थ और समाज कार्य के विभिन्न व्यावसायिक मूल्यों उदाहरणार्थ– व्यक्ति में अन्तर्निहित गरिमा और योग्यता, प्रजातांत्रिक कार्य विधि के प्रति वचनबद्धता और सामाजिक न्याय के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है। हमने समाज कार्य के सामान्य सिद्धान्तों उदाहरणार्थ स्वीकृति, व्यक्तिकरण, आत्म–निर्देशन, गोपनीयता और इसी प्रकार अन्य के विषय में जानकारी प्राप्त की है हमने मानवीय आवश्यकताओं के प्रकारों और गरीबी के संदर्भ में इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज कार्य व्यवसाय के विकास का अवलोकन किया। हमने यह भी गौर से देखा कि किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन समाज कार्य प्रक्रिया द्वारा नियोजित हस्तक्षेप के माध्यम से सम्पादित किया जा सकता है। अन्त में हमारे पास इसकी जानकारी है कि किस प्रकार कार्य विभिन्न आधारभूत सामाजिक इकाईयों उदाहरणार्थ परिवार, समूह और समुदाय में हस्तक्षेप करता है।

2.8 शब्दावली

चैरिटी आर्गेनाइजेषन : शहरी गरीबों के लिए सेवाओं के वितरण और सहायता हेतु एक

सोसाइटी संगठनात्मक और वैज्ञानिक तरीका।

सामान्य : सामान्य या साधारण।

गोपनीयता : दी गयी सूचना की रहस्यात्मकता को बनाये रखना।

व्यक्तिकरण : एक व्यक्ति की विलक्षणता का समर्थन करना।

सिद्धान्त : एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए वक्तव्यों द्वारा निर्देषित तरीकों का पालन करना।

सेटिलमेन्ट हाउस मूवमेन्ट : शहरों के आस–पास बसे अप्रवासी कर्मियों की रहने और कार्य की दषाओं में सुधार हेतु एक आन्दोलन।

समाज कार्य हस्तक्षेप : सेवार्थी को समस्या के साथ कार्य करने के लिए व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता द्वारा कार्यवाही या परिवर्तन के प्रयास का उत्तरदायित्व लेना।

मूल्य : सामाजिक प्रतिमान की उच्चार पद्धति जो एक व्यवहार को नियम और या/निषेध करती है।

2.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कॉम्पटन, आर. एच. (1980), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर एण्ड सोशल वर्कः स्ट्रक्चर, फंक्षन एण्ड प्रोसेस, दि डोर्सी प्रेस होमबुड इलिनोइस।

डुबोइस, बी. एवं माइले, के. के. (1962), सोशल वर्क : एन इम्पावरिंग प्रोफेशन, एलीन एण्ड बेकन, लन्दन।

फ्रीडलेण्डर, डब्लू ए. (1955), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रिन्टिस हाल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लि., नई दिल्ली।

मोराल्स, ए एवं शीफॉर, बी. डब्लू. (1989), सोशल वर्क : ए प्रोफेशन विद मैनी फेसेज एलीन एण्ड बेकन, बोस्टन।

मिश्रा, पी. डी. (1994) सोशल वर्क : फिलास्फी एण्ड मैथड्स, इन्टर–इण्डिया पब्लिकेषनस, नई दिल्ली।

पाइर्स, डी. (1989), सोशल वर्क एण्ड सोसाइटी : एन इन्ट्रोडक्शन, लाँगमैन, न्यूयार्क।

स्ट्रोउप, एच. एच. (1965), सोशल वर्क : एन इन्ट्रोडक्शन टू द फील्ड, यूरोसिया पब्लिशिंग हाउस (प्राइवेट) लि., नई दिल्ली।

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) मूल्य आधारभूत प्रतिमान है और एक समाज या एक उप–समूह के सदस्यों के द्वारा सहभागिता युक्त व्यवहार प्रतिमानों को तरजीह देते है। जिसका लक्ष्य सदस्यों के संगठित क्रियाकलापों को एकीकृत करना और मार्ग तैयार करना है। एक मूल्य उल्लेख करता है कि एक विशिष्ट व्यवहार का या तो अनुसरण करना है या अनुसरण नहीं करना है।

   समाज कार्यकर्त्ता को समाज के मूल्यों की अच्छी समझ रखना चाहिए क्योंकि सेवार्थियों की बहुत सी समस्यायें एक सामाजिक मूल्य से सम्बन्धित होती है। जिसका अनुरक्षण करने के वे योग्य नहीं होते है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने परिवार की समुचित देखभाल नहीं कर रहा है वह परिवार के मुखिया के रूप में अपने परिवार की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायित्व के मूल्य के अनुसरण में समस्या से ग्रस्त है। सेवार्थी की मानसिक परिपक्वता का विकास नहीं हो सका है और वह गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रहा है या वह उत्तरदायित्व को नहीं लेना चाहता है क्योंकि यह बोझ हैं इस प्रकार की परिस्थिति में समाज कार्यकर्त्ता एक व्यक्ति के परिवार के प्रति उत्तरदायित्व के इस मूल्य की स्पष्ट

समझ को रखते हुए परामर्ष देता है और सेवार्थी की परिवार के मुखिया के रूप में उत्तरदायित्व वहन करने में सहायता करता है। इस प्रकार समाज कार्यकर्त्ता सेवार्थी की सामाजिक क्रिया को स्वस्थ करता है।

2) समाज कार्य व्यवहार के दौरान व्यावसायिकों का पथ–प्रदर्षन करने के लिए समाज कार्य व्यवसाय के पास बड़ी संख्या में मूल्य हैं। इस प्रकार के दो मूल्य हैं व्यक्ति के अन्तर्निहित योग्यता (मूल्यवान होना) सत्यनिष्ठा और गरिमा (गौरव, प्रतिष्ठा) और सभी के लिए अपनी सहज क्षमताओं के अनुरूप समान अवसर प्राप्त करने के प्रति पूर्णविश्वास। पहला मूल्य समाज कार्यकर्त्ता को स्मरण करता है कि प्रत्येक सेवार्थी जो उसके पास एक समस्या के साथ आता है उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मूल्य रहित है और जिसके पास नैतिक उच्चता नहीं है क्योंकि वह एक प्रतिकूल परिस्थिति में है, के रूप में समझना चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता के लिए सेवार्थी उस परिस्थिति में होता है क्योंकि बहुत से कारक उस पर क्रियाशील होते है। सामाजिक परिस्थिति को अच्छी तरह समझने और विश्लेषित करने का यदि व्यक्ति को अवसर दिया जाये तो वह समस्या से बाहर आ सकता है और दोबारा समस्याग्रस्त परिस्थिति में नहीं होगा।

दूसरा मूल्य है सभी के लिए अपनी सहज क्षमताओं के अनुरूप अवसर प्राप्त करने के प्रति पूर्णविश्वास। यह मूल्य सहज सामाजिक न्याय की आवश्यकताको अभिव्यक्त करता है। समाज कार्य सामाजिक अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करता है और समाज के लाभ–विहीन तथा नष्ट करने योग्य वर्गों के विषय में मापन करता है। यह इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति के समाज में अपना देय अंष प्राप्त होना चाहिए और उसी दिषा में कार्य करना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति की लैंगिक स्थिति, उम्र, प्रजाति, जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति, बुद्धि इत्यादि पर विचार किए तथापि यह अपनी विचारशीलता के अन्तर्गत् व्यक्ति की क्षमता की स्थिति से उनके प्रयोग के लिए इन संसाधनों के लिए व्यक्ति के पास होने वाली सुलभता की सीमा को सम्मिलित करता है। उदाहरण के लिए, एक अक्षम व्यक्ति पर्वतारोहण करना चाहता है उसे इसलिए मना नहीं करना चाहिए कि वह एक अक्षम है बल्कि उस समय उसके पास पर्वतों पर चढ़ने के लिए शारीरिक शक्ति और क्षमता नहीं हे कदाचित तब उसे पर्वतारोहण को चुनने की आज्ञा नहीं दी जायेगी क्योंकि उसका क्षमता उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है।

बोध प्रश्न II

1) यह सिद्धान्त समाज कार्यकर्त्ता को स्मरण कराता है कि सेवार्थी के साथ कार्य करते समय यह मस्तिष्क में रखना चाहिये कि कार्यकर्त्ता एक निर्जीव वस्तु या निकृष्ट अस्तित्व की वस्तु के साथ कार्य नहीं कर रहा है। सेवार्थी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो गरिमा, योग्यता और मूल्य रहित हो, निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वह अपनी समस्या के समाधान का मार्ग नहीं ढूँढ़ सकता है। यह एक सामान्य प्रत्युत्तर हैं जिसे सेवार्थी समुदाय से प्राप्त करता है और यह सेवार्थी को अनुभव करने का मौका देता है कि उसके अन्दर मनुष्य की योग्यता नहीं है और वह अपने बारे में एक खराब छवि विकसित करता है। समाज कार्यकर्त्ता को एक देखभाल करने वाले और सहायता करने वाले व्यावसायिक के रूप मेंविश्वास करना चाहिए कि सेवार्थी एक व्यक्ति है जो कि गरिमा, योग्यता और सम्मान से युक्त है और गरिमा के साथ अपनी अवांछनीय परिस्थिति से बाहर आने की शक्ति उसके अन्दर है और सम्मान से उसे सही पर्यावरण और प्रोत्साहन दिया है। आगे समाज

कार्यकर्त्ता को हमेशा मानना चाहिए कि प्रत्येक सेवार्थी अद्वितीय है और दूसरे अन्य सेवार्थियों जिनकी उसी के समाज समस्याएँ हैं, से अलग है जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति समान उत्तेजना के प्रति भिन्न–भिन्न रूप से प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और वे विभिन्न समस्याग्रस्त परिस्थितियों के अन्दर या दूर पाए जाते हैं।

2) अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धान्त कल्पित करता है कि समाज कार्यकर्त्ता को बिना किसी पक्षपात के व्यावसायिक सम्बन्ध को प्रारम्भ करना चाहिए। इसके लिए, उसे सेवार्थी के बारे में अच्छे या बुरे या योग्यता या अयोग्यता के रूप में धारणा नहीं कायम करनी चाहिए। उसे सेवार्थी के साथ एक ऐसे व्यक्ति जो उसके पास सहायता के लिए आया है व्यवहार करना होता है और सेवार्थी और उसकी परिस्थिति में अन्य लोगों की धारणाओं से प्रभावित हुए बिना उसकी सहायता के लिए तत्पर रहना होता है। यह कार्यकर्त्ता को ठोस आधार पर व्यावसायिक सम्बन्ध के निर्माण के योग्य बनाता है जिससे कार्यकर्त्ता और सेवार्थी स्वतंत्र महसूस करते करे और एक दूसरे के प्रति अपनी बोध शक्ति की भागीदारी खुले दिमाग से करें। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि समस्याग्रस्त परिस्थिति और समस्या का सामना करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के विषय में व्यावसायिक निर्णय न लिए जाएँ।

बोध प्रश्न III

1) मानवीय आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से भौतिक आवश्यकताओं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हैं भौतिक आवश्यकताएँ जीवन की सुरक्षा और उसे बनाये रखने और समाज में कार्य सम्पादित करने के लिए भौतिक सुखों के चारों ओर घूमती है जबकि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ संवेगात्मक और मानसिक अवस्थाओं जैसे प्रेम और अनुराग पाने की कोषिष करना, सामाजिक मान्यता प्राप्त करना, आध्यात्मिक खोज आदि के लिए कार्य करती हैं।

2) व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता, सार्वजनिक और निजी काम में लग व्यवहार कर्त्ता हो सकते हैं। या समाज कार्य के विद्यालय के षिक्षक जो लोगों की आवश्यकताओं जो सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन की माँग करते हैं, के साथ दृढ़ता से सम्बद्ध होते हैं, हो सकते हैं वे उन शक्तियों का ज्ञान रख सकते हैं जो कि विश्वसनीयता से परिवर्तन को प्रभावित कर सकती है और सामाजिक उन्नति के लिए परिवर्तन को लाने हेतु कदम बढ़ा सकती है। व्यवहारकर्त्ता सूक्ष्म स्तर पर इच्छित परिवर्तन की स्थितियों के साथ परीक्षण करते है। समाज कार्य के शिक्षक सामाजिक स्थितियों और परिवर्तन के कारणों को विश्लेषित करने के लिए शोध का उत्तरदायित्व ग्रहण करते है। उदाहरण के लिए समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन करने और उन्हें सषक्त बनाने के लिए, समाज कार्यकर्त्ता महिलाओं के छोटे समूह बनाकर उन्हें सूचना, प्रषिक्षण और उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए सहायता जैसे शिक्षा जारी रखना, जीविका, विवाह इत्यादि जिसके फलस्वरूप उनका शक्तीकरण हो, देना प्रारम्भ कर सकता हैं इस प्रकार के प्रयोग की सफलता की जानकारी दूसरों को दी जाती है और नीति–निर्माताओं को अग्रेषित की जाती है जो इच्छित परिवर्तनों को सुसंगत नीति क्षेत्रों में मिला कर इसे परिवर्तित कर देते हैं वृहत स्तर पर परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार समाज कार्य सामाजिक परिवर्तन में एक नियोजित तरीके से और समाज की उन्नति के लिए योगदान देता है।

बोध प्रश्न IV

1) परिवार आधारभूत सामाजिक इकाई हैं जिसका प्रत्येक व्यक्ति सदस्य होता है, उसका न केवल व्यक्ति बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। एक परिवार के अकेले सदस्य या सम्पूर्ण परिवार के लिए सहायता उपलब्ध कराने के मामले में परिवार समाज कार्य हस्तक्षेप की इकाई होता है। स्ट्रप के अनुसार परिवार में समस्याओं को उत्पन्न करने के तीन कारण हैं। वे हैं प्रथम जो बाह्य तत्वों के कारण है, द्वितीय जो आन्तरिक तत्वों के कारण हैं और अन्तिम जो आन्तरिक और बाह्य तत्वों का एक सम्मिश्रण हैं ये तत्व इसके सदस्यों के बीच दूषित सम्प्रेषण, मनोवृत्तियों और विचारों की गम्भीर विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न अपक्रियाओं और वैवाहिक मतभेद में दृष्टिगोचर होते हैं। आकस्मिक विपत्तियाँ परिवार का विच्छेदन कर सकती हैं उदाहरणर्थ परिवार में आय अर्जन करने वाले सदस्य की आकस्मिक मृत्यु व्यावसायिक आवश्यकता के कारण दम्पतियों का अलगाव, गम्भीर रोग इत्यादि। सदस्यों की विफलता विशेष रूप से दम्पत्तियों द्वारा उनकी भूमिका को सम्पादित करने में बच्चों की उपेक्षा के प्रति अग्रगामी होना, परिवार में वृद्ध और बीमारों का होना–आपसी समझ की कमी, काम का दवाब ओर अन्य सामाजिक वचनबद्धताओं के कारण हो सकता है।

2) हस्तक्षेप की इकाई के रूप में समूह की परिकल्पना तब की जाती है जब लोगों की सामान्य समस्याएँ या आवश्यकताएँ होती हैं। समूह पहले से ही निर्मित या समाज कार्यकर्त्ता द्वारा निर्मित हो सकता है। वृद्धि और विकासात्मक समस्याएँ/आवश्यकताएँ सामाजिक भूमिका का निष्पादन, निर्णय–निर्माण प्रक्रियाएँ, नेतृत्व के ढंग और संचार अभिरचनाएँ व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अपेक्षा समह अनुभव के माध्यम से हल किए जा सकते है। यहाँ, समूह सेवार्थी को स्थापित करता है। समूह स्तर पर हस्तक्षेप में समूह के एक विशेष सदस्य या सदस्यों में विशिष्टि सदस्य या सम्पूर्ण समूह पर ध्यान केन्द्रित हो सकता है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इकाई 3 भारत में स्वैच्छिक क्रिया और समाज कार्यकार्य

*संजय भट्टाचार्य

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 स्वैच्छिक क्रिया और समाज कार्य के मध्य अवधाराणात्मक स्पष्टीकरण

3.3 अंतःक्षेप के क्षेत्र और स्वैच्छिक क्रिया के परिणाम

3.4 स्वैच्छिक क्रिया और समाज कार्य की प्रासंगिकता

3.5 सरकार एवं स्वैच्छिक क्रिया

3.6 सारांश

3.7 शब्दावली

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई में स्वैच्छिक क्रिया की अवधारणा के साथ समाज कार्य व्यवसाय के सह–संबंध की चर्चा की जाएगी।

स्वैच्छिक क्रिया समाज विज्ञान एवं समाज कार्य सिद्धांतों, मूल्यों एवं नीति शास्त्र एवं अभ्यास से अलग नहीं है। समाज कार्य प्रारम्भ से ही, प्रत्येक मानव के आन्तरिक मूल्य के अपने आधारभूत सिद्धांत से युक्त मानवीय दर्शन पर आधारित एक व्यवसाय रहा है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य है समतामूलक सामाजिक संरचनाओं की अभिवृद्धि जो कि व्यक्तियों को उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए सुरक्षा एवं विकास को उपलब्ध कर सकती है। इस इकाई के पढ़ने के बाद आपः

- स्वैच्छिक क्रिया की प्रकृति को जान सकेंगे;
- स्वैच्छिक क्रिया को संप्रेरित करने वाले कारकों का पता लगा सकेंगे;
- भारत में स्वैच्छिक सेवा का विश्लेषण कर सकेंगे;
- एक दृष्टि में स्वैच्छिक संगठनों की समीक्षा कर सकेंगे;
- समाज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों का पता लगा सकेंगे;
- स्वैच्छिक क्रिया में समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका को समझ सकेंगे;
- सरकार एवं स्वैच्छिक क्रिया के संबंधों की जानकारी कर सकेंगे; और
- स्वैच्छिक क्रिया की उदीयमान प्रवृतियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

*श्री संजय भट्टाचार्य, बीएसएसएस, भोपाल

3.1 प्रस्तावना

सामान्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई पहले स्वैच्छिक क्रिया के अर्थ को परिलक्षित करती है। लार्ड वेवरिज ने कहा कि स्वैच्छिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो कि राज्य द्वारा निर्देशित अथवा नियन्त्रित नहीं होती है वह इसे सामाजिक प्रगति के लिए निजी उद्यम कहते हैं। इस प्रकार से स्वैच्छिक संगठन अथवा संस्था वह है जो कि किसी बाह्य नियन्त्रण द्वारा संप्रेरित अथवा नियन्त्रित नहीं होती है बल्कि अपने सदस्यों द्वारा होती है। स्वैच्छिक क्रिया समुदाय अथवा समाज के एक वर्ग द्वारा आवश्यकता के पर्यवेक्षण, इस बात को मूल्यांकन की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है, तथा आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने को गतिमान बनाने के अपने कर्तव्य के प्रति अपनी तैयारी पूर्णकल्पना करती है प्रजातंत्र के स्वस्थ कार्य सम्पादन के लिए इस प्रकृति की स्वैच्छिक क्रिया का उच्चतम स्तर का महत्व होता है। इस समुदाय के समक्ष नेतृत्व के लिए प्रषिक्षण की भूमि के रूप में सेवा करती है तथा सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को लगातार विस्तृत करने में सहायता करती है। यह नागरिकों को अपने सामाजिक एवं नागरिक उत्तरदायित्वों की स्वीकृत को आगे बढ़ाती है। तथा सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए सीखने का अवसर उन्हें उपलब्ध कराती है। अब स्वैच्छिक क्रिया के कुल लाभ एवं हानि के विषय में विचार किया जाए। स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रमुख कार्य मार्ग दिखाना रहा है जिसने प्रयोग करने की अनुमति दी है। इससे उन्हें विवादस्पद क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ की स्वतंत्रता है। हमारे देश में भी यह स्वैच्छिक क्रिया ही थी जिसने आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्य किया तथा इस कार्य को तब तक जारी रखा जब तक कि विशेष सेवाओं को संपन्न करने के लिए विधिक संस्थाओं की स्थापना नहीं हो गयी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, विशेष राजनीतिक प्रवृतियों से स्वतंत्रता की सापेक्ष मात्रा की स्वतंत्रता जो कि विधिक संगठनों को प्राप्त नहीं है। स्वैच्छिक क्रिया अधिक लचीली तथा नौकरशाही कठोरता से मुक्त भी होती है। इसके अतिरिक्त इसे जन सहयोग को सुनिश्चित करने का भी लाभ प्राप्त होता है स्वैच्छिक कार्यकताओं के कार्य के अधिक भाग को सम्पन्न करने के तथ्य के कारण इन संस्थाओं की क्रियात्मक लागतें न्यूनतम होती है।

संभवतः इन संस्थाओं की सबसे सामान्य सीमा जो सामने आती है वह है इनके पास सीमित संसाधनों का होना। यत्रतत्रिक चरित्र वाली स्वैच्छिक क्रिया अस्थिरता की ओर ले जाती है। वित्तीय दृष्टि से, स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि यह जन सहयोग, राज्य अनुदानों एवं सहायता पर निर्भर करती हैं तथा भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत अधिकांश समाज कार्यकर्त्ताओं के भुगतान की मात्रा कम होती है।

3.2 स्वैच्छिक क्रिया और समाज कार्य के मध्य अवधारणात्मक स्पष्टीकरण

स्वैच्छिक क्रिया शब्द सामान्य रूप से उस क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे व्यक्ति प्रमुख रूप से राज्य से परे रहकर स्वतंत्रता के साथ सम्पन्न करता है।

स्वैच्छिक क्रिया की परिभाषा

लार्ड वेवरिज के अनुसार ''यहाँ पर स्वैच्छिक क्रिया शब्द का अर्थ है निजी क्रिया, ऐसा कहा जाता है कि यह क्रिया ऐसे प्राधिकारी के निर्देशन में सम्पन्न होती है जो राज्य की शक्ति नहीं रखते हैं'' इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्वैच्छिक क्रिया का विषय क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो जाता है तथा इस लिए वह अपनी क्रिया को उसी सीमा तक सीमित रखता

है जो लोगों के लिए समाज के विकास के लिए होती है। इसका विषय है अपनी तथा अपने साथियों की दशाओं में सुधार के लिए अपने घर के बाहर स्वैच्छिक क्रिया करना जो सार्वजनिक नियन्त्रण से स्वतंत्र है। यह निजी उद्यम व्यवसाय में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में है, यह लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक अंतःकरण की प्रेरक शक्ति है।

स्वैच्छिक क्रिया की प्रकृति

स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता के सन्दर्भ में लार्ड वेवरिज ने कहा है कि एक स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता वह है जिसने एक अच्छे कार्य के लिए बिना किसी प्रकार के भुगतान के सेवा की है तथा इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस समूह का गठन किया जाता है वह स्वैच्छिक संगठन के नाम से जाना जाता है। वह आगे कहते है कि वर्तमान के वर्षों में इन अवधारणाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। इन दिनों, कई अत्यधिक सक्रिय स्वैच्छिक संगठन पूर्णरूपेण उच्च प्रशिक्षित एवं न्यायसंगत रूप से अच्छे भुगतान पाने वाले व्यावसायिक कार्यकर्त्ताओं से युक्त हैं इन संगठनों का विषिष्ट स्वैच्छिक चरित्र इस बात से उजागर नहीं होता कि उनमें किस प्रकार के कार्यकर्त्ता नौकरी करते हैं बल्कि उनके उदगम एवं प्रशासन के ढंग से होता है।

समाजकार्य एवं स्वैच्छिक क्रिया

समाजकार्य विभिन्न विधानों द्वारा मानव अधिकारों के सरंक्षण को सुनिश्चितकरता है। यह सम्पूर्ण समुदाय की खुशहाली में अन्याय के विरूद्ध सरंक्षण उपलब्ध कराकर तथा सामाजिक अभिरूचि के अनुरूप कार्य न करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करके अभिवृद्धि करता है इसके अतिरिक्त सामाजिक विधान अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती, देवदासी प्रथा एवं अन्य विभिन्न सामाजिक समस्याओं से निपटने का कार्य करते हैं और इस प्रकार एक पूर्ण समुदाय के निर्माण में सहायक होते हैं। एक शक्ति के रूप में सामाजिक सेवा के उदीयमान नवीन विचार तथा अभिवृद्धि अथवा योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के सयंत्र ने व्यावसायिक समाजकार्य क्रिया के विषय–क्षेत्र को बढ़ाया है जो परम्परागत रूप से बाल एवं महिला कल्याण, चिकित्सकीय एवं मनश्चिकित्सकीय समाज कार्य विद्यालय से संबंधित समाज कार्य, सुधार एवं समूह सेवाएँ जैसे क्षेत्रों से संबंधित रहा है। इस अतिरिक्त समाज कार्य ने गरीबी तथा आधुनिक समाज की समस्याओं से लड़ने के लिए अन्य विद्या विशेषों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के नवीन उत्तरदायित्वों को भी अपने साथ जोड़ा है।

स्वैच्छिक संगठन

वास्तव में एक स्वैच्छिक संगठन जिसमें कार्यकर्त्ता भुगतान पाते है। अथवा नहीं पाते हैं एक ऐसा संगठन है जिसमें इसके सदस्य पहल करते है तथा उन्हीं के द्वारा बिना किसी बाहरी नियंत्रण के शासित होता है। स्वैच्छिक क्रिया की स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी प्रकार से यह नहीं होता कि इसके मध्य सहयोग की तथा जनक्रिया की कमी है। परन्तु स्वैच्छिक क्रिया का अर्थ होता है कि इस करने वाली संस्था की अपनी स्वयं की इच्छा एवं जीवन है। समाज सेवा की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार एक स्वैच्छिक सामाजिक क्रिया को सामान्य रूप से समुदाय की भलाई हेतु अध्ययन एवं कार्य करने के लिए संयुक्त रूप से साथ–साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्वशासित संगठन की क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

समाज कार्यकर्त्ता और लोग

समाजकार्यकर्त्ता सेवार्थियों के साथ विभिन्न स्तरों व्यक्ति एवं परिवार के सूक्ष्म स्तर पर; समुदाय के मध्यवर्ती स्तर, ताकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय के वृहद स्तर पर कार्य

करते हैं। समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा समस्त स्तरों पर मानव अधिकारों के लिए चिन्ता स्पष्ट की जाती है। सभी समयों में समाजकार्य वैयक्तिक एवं सामूहिक आवश्यकताओं के संरक्षण के साथ सम्बद्ध रहा है। यह सदैव व्यक्तियों एवं राज्य तथा अन्य प्राधिकरणों के मध्य मध्यस्थता करने, कुछ प्रकरणों का समर्थन करने तथा इनका सहयोग करने, जब कि राज्य की क्रिया द्वारा व्यक्तियों और /अथवा समूहों के अधिकार एवं स्वतंत्रता को चुनौती दी जाती है अथवा अनदेखी की जाती है, के लिए बाध्य रहा है। अन्य व्यावसायिकों से अधिक समाजकार्य शिक्षक एवं व्यवहारकर्त्ता इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि उनकी सम्बद्धताएँ गहन रूप से मानव अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। वे इस परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करते है कि मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को अलग नहीं किया जा सकता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति नगरीय एवं राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता के बिना संभव नहीं है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कार्य के संबंध में स्वैच्छिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 अंतःक्षेप के क्षेत्र एवं स्वैच्छिक क्रिया के परिणाम

यहाँ पर स्वैच्छिक क्रिया को संप्रेरित करने वाले कारकों की जानकारी द्वारा स्वैच्छिक क्रिया के अंतःक्षेप एवं परिणामों, स्वैच्छिक संगठन की वर्तमान स्थिति एवं इसके उद्देश्यों तथा भारतीय सन्दर्भ में स्वैच्छिक सेवाओं के विषय में चर्चा की जाएगी।

स्वैच्छिक क्रिया के प्रेरक कारक

स्वैच्छिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करने वाले कारक अथवा ऐच्छिकता के स्रोतों की पहचान धर्म, सरकार, व्यापार, उपकार, एवं आपसी सहायता के रूप में की जा सकती है। धार्मिक संगठनों की धार्मिक भावना से सम्बन्धित उत्साह, जन अभिरूचि के लिए सरकार की बचनबद्धता, व्यापार में धन कमाने की प्रबल इच्छा, सामाजिक वरिष्ठों, का परहितवाद एवं साथियों के मध्य स्वयं–सहायता की प्रेरणा सभी ऐच्छिकता में प्रतिबिम्बित होती है। बोर्डिलान तथा विलियम वेवरिज ने विचार व्यक्त किया है कि आपसी सहायता तथा उपकार ऐसे दो मुख्य स्रोत हैं जहाँ से स्वैच्छिक समाज सेवा संगठनों का विकास हुआ है। वे क्रमषः व्यक्ति एवं सामाजिक अन्तःकरण से उत्पन्न होते हैं। अन्य कारक लाभ प्राप्त करने की व्यक्तिगत अभिरूचि हो सकता है जैसे कि अनुभव, पहचान, ज्ञान एवं प्रतिष्ठा, कुछ मूल्यों की वचनबद्धता इत्यादि।

आगे, स्वयं की एवं समाज के भाग्यहीन साथियों की सेवा के लिए स्वैच्छिक संघों का समूह बनाने अथवा इनका गठन करने की प्रवृत्तियों से युक्त एक वृहद् प्रकार का आन्दोलन सामने आया। प्रजातंत्र में स्वैच्छिक संगठन राजनीतिक समाजीकरण के

मजबूत अभिकर्त्ता होते हैं तथा सामाजिक मानकों एवं मूल्यों के विषय में अपने सदस्यों को शिक्षित करते हैं एवं एकाकीपन को दूर करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वयं प्रकटन एवं अभिरूचियों के सन्तोष हेतु स्वैच्छिक क्रिया से जुड़ने की प्रेरण देती है। इस प्रकार से, स्वैच्छिक संघ से जुड़ने का मनोविज्ञान एक जटिल घटना है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एवं व्यक्तियों के एक समूह से दूसरे समूह को उनकी संस्कृति, उनके सामाजिक परिवेश एवं उनके राजनीतिक वातावरण पर निर्भर करने हुए रूपान्तरित हो सकती हैं

स्वैच्छिक संगठन एक दृष्टि में

अधिकांषतः स्वैच्छिक क्रिया सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा जनित होती है। व्यक्तियों की सहायता के लिए अपील करने वाले संगठनों द्वारा इसे संभव बनाया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता सदैव एक विशेष संगठन में अथवा इसके कार्य करते हैं भारत में सामान्यता आधे से अधिक संगठनों के मुख्य कार्यालय दिल्ली में हैं तथा बाकी बचे हुए कार्यालय मुख्यता मुम्बई में स्थित हैं। शताब्दी के परिवर्तन होने के साथ कुछ लोगों का विश्वास है कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों तथा आन्दोलनों से निपटने के लिए राजनीतिक स्थितियों की ओर परिवर्तित होने केविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है।

सामाजिक खण्ड क्षेत्र की स्थिति अभी भी अधिकांशतः स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रम के रूप में सामने आती है। देश में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या के विषय में पूर्ण एवं विश्वनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इनमें से कई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा अपने संसाधनों से कार्यरत है। इनमें कुछ बहुत सी क्रियाओं को सम्पन्न करते हुए सम्पूर्ण भारत के स्तर पर कार्यरत संगठन है तथा कुछ राज्य अथवा जिला स्तरों पर कार्यरत हैं। इस समय भारत में विभिन्न विषयों के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की एक बहुत बड़ी संख्या है। वे विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य अभिरूचियों वाले समूहों एवं व्यक्तियों की सहायता करते हैं, राष्ट्रीय घनिष्टता की भावना को शक्तिशाली बनाने में योगदान देते है तथा प्रजातंत्र के सहभागी चरित्र को उजागर करते हैं। वे केवल स्वीकृत राज्य उत्तरदायित्वों में ही अपनी भूमिका का निर्वाहन नहीं करते हैं बल्कि नए क्षेत्रों के अंतर्गत साहसिक कदम उठा सकते हैं तथा कुछ ध्यान न दी गई एवं अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकते हैं। बहुत से गैर सरकारी संगठन ऐसे समूहों के साथ व्यक्तियों को कटिबद्ध करके एक स्थिरता लाने वाली शक्ति पर कब्जा करने में किसी राजनीतिक दल के भाग्य के विषय में सम्बद्धता नहीं रखते हैं। परन्तु वे राजनीतिक दलो की राजनीति से परे होते हैं एवं राष्ट्रनिर्माण के अन्य क्षेत्रों में अपने को लगाते हैं। एवं इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण तथा गैर–राजनीतिक मुद्दों में अपना योगदान देते हैं। कैरिटस इण्डिया, एन.बी.ए. इत्यादि के लिए संघर्षरत हैं।

सरकार द्वारा संगठित गैर–सरकारी संगठन भी हैं जैसे महिला मण्डल, युवा क्लब, सहकारी समितियाँ, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र एवं मृतक नेताओं के नाम पर गठित ट्रस्टों के रूप में अर्द्धसरकारी प्रायोजित संगठन भी है जैसे कि कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, गांधी स्मारक निधि, नेहरू एवं कमल नेहरू ट्रस्ट, इन्दिरा गांधी ट्रस्ट एवं शीघ्र ही गठित किया गया राजीव गांधी फाउण्डेशन ऐसे कई उदाहरण भी हैं जबकि भारतीय गैर संगठनों द्वारा कुछ विकास परियोजनाओं का प्रतिरोध किया गया तथा इन्हें सफलतापूर्वक रोका गया। इस तरह के अच्छे उदाहरणों में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को 'चिपको' आन्दोलन; कर्नाटक का 'अपिको' आन्दोलन, केरल का 'वेस्ट घाट एवं सेव साइलेण्ट वैली'

आन्दोलन, 'नर्मदा बचाओ' आन्दोलन इत्यादि हैं। ऐसे कई स्थान है जहाँ पर औद्योगिक क्रिया के परिणामस्वरूप पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तथा इस क्षरण को रोकने के कार्य को सम्पन्न करने हेतु बहुत से संगठन कार्यरत हैं। ये गैर सरकारी संगठन अत्यन्त कष्टों एवं कठिनाइयों के अंतर्गत कार्यरत हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर व्यक्तिगत रूप से अकेले कार्यरत है। इस प्रकार से, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वर्तमान समय में कार्यरत पर्यावरणीय समूहों को सक्रिय बनाने तथा सामूहिक रूप से चेतना उत्पन्न करने तथा सामान्य प्रकरण के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर इन गैर–सरकारी संगठनों को एक फेडरेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। चन्डीगढ़ स्थित इन्वायरनमेंट सोसाइटी, एक क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठन, वर्तमान समय में स्थित कुछ समूहों को सक्रिय बनाने में सक्षम हुई है तथा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशतथा जम्मू एवं कश्मीर में ऐसी कई संस्थाओं को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार से, गैर–सरकारी संगठनों की अधिकाधिक सम्बद्धता ने बहुत कुछ सीमा तक पर्यावरण तथा विकास सम्बन्धी मुद्दों में अनुरूपता लाने एवं बढ़ाने के लिए प्रयासों में सहायता की है।

स्वैच्छिक संगठनों के उद्देश्य

निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं जिनके लिए विभिन्न संगठन कार्य कर रहे हैं:

- बच्चों का संरक्षण एवं विकास
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का कल्याण
- युवाओं के लिए सेवाएँ
- सामुदायिक कल्याण
- शैक्षिक सुविधाओं की अभिवृद्धि
- समाजिक समस्याओं पर जन चेतना की अभिवृद्धि
- नैतिक मानक एवं सामाजिक समस्याओं की अभिवृद्धि
- रोग, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि का संरक्षण
- बाधित व्यक्तियों का संरक्षण एवं कल्याण
- कुछ समूहों के लिए सामाजिक बाधाओं का उन्मूलन
- कुछ धार्मिक एवं जातीय समूहों का आध्यात्मिक उन्नयन एवं विकास
- अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे का प्रचार
- स्वैच्छिक प्रयास द्वारा प्राकृतिक अभिरूचियों की अभिवृद्धि
- क्षेत्रीय कार्य के लिए कार्यकर्त्ताओं का प्रषिक्षण
- प्रकृति, जानवरों इत्यादि का संरक्षण

भारत में स्वैच्छिक सेवा

सामान्य रूप से इस बात का दावा किया जाता है कि अपनी संस्कृति की तरह प्राचीन भारत में भारतीय स्वैच्छिक संस्थाएँ जानी जाती थीं। भारत में समाज कल्याण का इतिहास एवं विकास प्रमुख रूप से स्वैच्छिक क्रिया का इतिहास है। इसकी जड़े प्रकृति सामाजिक वातावरण एवं भारतीय व्यक्तियों, जो कि विभिन्न प्रकार के दान देने के कार्यों मेंविश्वास रखते हैं। लोकाचार में खोजी जा सकती है।

उन्नीसवीं सदी के पूर्व की अवधि में स्वैच्छिक सेवाएँ

उन्नीसवीं सदी के पूर्व की अवधि में स्वैच्छिक सेवाओं के विषय में डा0 पी0 वी0 काणे ने यह कहा था कि ''आपातकालीन स्थितियों जैसे कि अकाल, बाढ़ इत्यादि के दौरान मुख्य रूप से धार्मिक मार्गों के बाहर लम्बे स्तर पर स्वैच्छिक क्रिया संपन्न की जाती थी। चीनी यात्री ह्वेन शांग ने कहा था कि भारतीय व्यक्तियों ने थके हुए यात्रियो की छाया उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक रूप से पेड़ लगाए एवं समूहों में समुदाय के लिए तालाबों एवं कुंओं की खुदाई की। मध्यकालीन भारत में समुदायों द्वारा धन एकत्रित करके विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं, निवास के स्थानों एवं पुस्तकालयों की स्थापना की तथा चिकित्सालयों, महाविद्यालयों तथा गरीबो के लिए गृहों के लिए अनुदान का वितरण किया गया। सोलहवीं एवं सत्रहवी सदी के अन्त में भयंकर अकाल पड़ने से वृहद् स्तर पर गरीबी में वृद्धि हुई तथा राजाओं ने इस स्थिति से निपटने के लिए उदारतापूर्वक कार्य किया। अठारहवीं सदी के दौरान गरीबी की समस्या को परम्परागत साधनों जैसे व्यक्तिगत परोपकार तथा धार्मिक दान से हल किया गया।

उन्नीसवीं सदी के बाद की अवधि में स्वैच्छिक सेवाएँ

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्नीसवीं सदी में तीन दिशाओं में स्वैच्छिक सेवाएँ निहित थी।

- धार्मिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांत–धार्मिक सुधार
- परम्परागत व्यवहारों का क्षेत्र–सामाजिक एवं शास्त्र–पद्धति सम्बन्धी–सामाजिक सुधार।
- शहरीकरण के परिणाम स्वरूप हल की मांग करने वाली नवीन समस्याओं तथा आवश्यकताओं का क्षेत्र–स्वैच्छिक समाज कार्य

इस सदी के अन्तिम भाग में धार्मिक एवं सामाजिक नेताओं, ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों ने स्वैच्छिक आन्दोलनों जैसे कि आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थ्योसोफिकल आन्दोलन एवं अन्जुम–हिमायत–ई इस्लाम इत्यादि को संगठित किया। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल में स्वैच्छिक क्रिया को बढ़ावा मिला जबकि पंजीकृत संस्थाओं के रूप में औपचारिक संगठन एवं संरचना द्वारा इसे संगठित किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी द्वारा मातृभूमि को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों के कारण भी स्वैच्छिक क्रिया में अद्वितीय तेजी आयी। महात्मा गांधी द्वारा केंद्रीय सरकार से पूर्व रूपेण स्वतंत्र ग्राम पंचायतों के राजनीतिक अधिकारों के विकेंद्रीकरण द्वारा राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक पहलू में स्वैच्छिकता की शक्ति को पुष्ट किया गया। स्वैच्छिकता इस प्रकार से भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन के पुननिर्माण पर उनकी सोच थी।

गत 20 वर्षों के दौरान भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना हुई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि स्वतंत्रता की पूर्व अवधि के दौरान अस्तित्व में रहे स्वैच्छिक संगठनों के अतिरिक्त ऐसी लगभग 20,000 संस्थाएँ पूरे देशसम्पूर्ण क्षेत्र में फैली हुई हैं। परन्तु अधिसंख्य रूप में ये संगठन शहरी क्षेत्र में स्थापित हैं तथा कार्य कर रहे हैं। लेकिन, इन स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या का निर्धारण करना तथा उद्देश्यों के अनुसार इनको समूहों में विभाजित करना कठिन कार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अवधि के पष्चात परम्परागत संस्थाओं के टूटने तथा शिक्षा, सामाजिक सुधारों, आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए कल्याण सेवाओं की अपर्याप्यता, पुनर्वास समस्याओं, अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों एवं उनके कल्याण इत्यादि के प्रसार के कारण स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में उदभुत रूप से वृद्धि देखी गई।

वर्तमान सदी में स्वैच्छिक सेवाएँ

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत नवीन सहत्राब्दि में अपने व्यक्तियों की भलाई के लिए आधारभूत सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को तेजी से लागू करने के द्वार पर खड़ा हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान प्रजातांत्रिक तत्वों एवं प्रक्रियों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है बल्कि अधिक धन एवं कल्याण की उत्पत्ति के लिए प्राकृतिक एवं सामाजिक संसाधनों को देर–सबेर रक्षित करने की भी आवश्यकताहै। यह आवश्यक है कि आगे कार्यवाही करने के लिए निर्देश उपलब्ध करने हेतु गत 200 वर्षों में विकसित स्वैच्छिक क्रिया की परम्परा को आगे विश्लेषित करने की आवश्यकता है। संरचनात्मक एवं उत्पादक स्वैच्छिक क्रिया हेतु राष्ट्रीय वातावरण के शुद्धीकरण की आवश्यकता है। स्वैच्छिक क्रिया के समक्ष सदैव नए विचार आते रहते हैं। आधुनिक जीवन की जटिल दषाओं से निपटने हेतु विविध एवं स्वैच्छिक दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया का विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध है। स्वैच्छिक क्रिया प्रयोगात्मक, लचीली एवं विकासशील होती है। परिवर्तनशील दशाओं एवं केसों की विभिन्नता से निपटने के लिए यह विधिक प्राधिकरण, इसके सयंत्र एवं ढंगों के साथ अधिक आसानी से सामंजस्य स्थापित करती हैं। प्रयोग करने की, यत्न और भूल की क्षमता सामूदायिक जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग्यताओं में से एक है। स्वैच्छिक क्रियाओं ने केवल राज्य क्रिया हेतु पथ–प्रदर्शन नहीं किया है बल्कि जब एक सेवा विधिक प्राधिकरण द्वारा वापस ले ली जाती है तो बहुत से केसों में विधिक प्राधिकरण के सहयोग एवं पूर्ण सहमति तथा सहायता के साथ स्वैच्छिक संस्थाएँ महत्वपूर्ण पूरक सहायता उपलब्ध करानी जारी रखती है। बीसवीं सदी शिक्षा, जन स्वास्थ्य एवं नैतिक कल्याण तथा बहुत से सामाजिक सहायता के कार्यों जहाँ पर व्यक्तिगत ध्यान देने तथा अच्छे वैयक्तिक कार्य की आवश्यकता है, के क्षेत्रों में इसे बहुत से प्रमाण प्रस्तुत करती है।

बोध प्रश्न II

टिप्पणी :क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) स्वैच्छिक क्रिया के अन्तःक्षेप के पांच क्षेत्रों को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 स्वैच्छिक क्रिया एंव समाज कार्य की प्रासंगिकता

केन्द्र एवं राज्यों में कल्याण सेवाओं की योजना बनाने एवं इन्हे विकसित करने में व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता द्वारा किए गए योगदान की अत्यधिक मान्यता है। व्यावसायिक समूह के उदय होने से वास्तव में व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिकों के मध्य संबंध की सभी सामान्य समस्यायें सामने आयी हैं आगे यह स्थिति अधिक जटिल हो जाती हैं जबकि गैर–व्यावसायिक व्यक्ति व्यावसायिक मूल्यों एवं कुषलताओं में केवल ''असमाजीकृत'' ही नहीं होता है, परन्तु वह सामन्यतया ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने को स्तर में व्यावसायिक रूप से वरिष्ठ समझता है क्योंकि वह इस कार्य से अपनी

जीविका का निर्वहन नहीं करता है। गैर–सरकारी खण्ड क्षेत्र में उपलब्ध वेतन क्षेत्र में उत्तम व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करते हैं एवं इसके अतिरिक्त संक्रमण काल इस अवधि में स्वैच्छिक कार्यकारी के कार्यों को लेने के प्रदर्षन (दिखावट) के बिना व्यावसायिक का निर्णयात्मकता के साथ कार्य करना कठिन है।

व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता तथा स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्त्ता

व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता कितना भी साधन सम्पन्न हो, जमीनी नेता का स्थान नहीं ले सकता है। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास संस्थागत प्रबन्धन तथा अन्तवैयक्तिक एवं अन्तर्सामूहिक सम्बन्धों की समस्याओं से निपटने के लिए कुछ ज्ञान का संयंत्र एवं कुशलताएँ होती है। निकृष्ट रूप से, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवसाय एवं सामाजिक उद्देश्य, जिसके वे सदस्य होते हैं, की गरिमा की भावना से युक्त होते हैं। अपने कार्य के लिए भुगतान किए जाने के कारण वे इस स्थिति में होते हैं कि समुदाय द्वारा महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के लिए कुशलतापूर्वक केवल कार्य करने की स्थिति में होते हैं। परन्तु, वे समुदाय को उनकी मूल्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले पूर्णतया नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कर सकते है। इस अर्थ में वे आन्दोलनों के जन्मदाता एवं नेता नहीं हो सकते हैं। वे समूह को उपदेश देने अथवा इस किसी दोष से साावधान करने के नैतिक अधिकार को प्राप्त नहीं करते हैं।

परन्तु फिर भी व्यावसायिक एवं स्वैच्छिक समाज कार्यकर्त्ता समाज कार्य के लिए कुछ विशेष योगदान देते है। स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता समाज कार्य के लिए समुदाय की अभिरूचि एवंविश्वास लाते हैं। समाजकार्य एक संस्था है जो कि समाज की अन्य संस्थाओं की पूर्ण एवं प्रभावी कार्यात्मकता को बढ़ाती है। अपनी कुशलताओं एवं ज्ञान का उपयोग करते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति ही समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका है। इसका अर्थ है कार्यकर्त्ता द्वारा सेवार्थी अथवा समुदाय की स्वीकृति तथा कार्यकर्त्ता के लिए नैतिक निर्णय लेने का निलम्बन, सेवार्थी अथवा समुदाय की भलाई के लिए वास्तविक चिन्ता एवं ऐसी व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने की इच्छा जिसके लिए वह सक्षम है। यह व्यावसायिक सहायता कई समयों पर भौतिक सहायता के रूप में हो सकती है, परन्तु अधिक महत्वपूर्ण ढ़ग से यह सहायता समुदाय को अपने संसाधनों को विकसित एवं उपयोग करने की क्षमता के लिए निर्देषित होती है। इस व्यावसायिक सेवा का उद्देश्य केवल सहायता पहुचाना न होकर पुनर्वास भी करना है। समाज कार्य का एक सफल व्यवहारकर्त्ता अपने सेवार्थी को स्वयं द्वारा अथवा अन्य संगठनों और व्यवसायों के साथ संबंद्ध होकर स्वयं सहायता के लिए योग्य बनाता है। इस प्रकार, समाज कार्यकर्त्ता, जो कि अपने कार्य के क्षेत्र में विशेषीकृत होता है, एक अलग कार्य करने वाले के रूप में सामने आता है।

स्वैच्छिक क्रिया में समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका उसके अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक होने के लिए प्राप्त प्रशिक्षण एवं मानव संबंधों की निपुणताओं एवं ज्ञान रखने पर आधारित होता है। इस क्षेत्र में उनका विशेष योगदान खोज एवं समाज विज्ञानों का स्पष्टीकरण है क्योंकि वह समुदाय के लाभ के लिए इस कार्य को करने में सक्षम हैं। स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता को सहायता, अभिरूचि एवं सहभागिता को प्राप्त करना एवं उसे रचनात्मक कार्य के लिए अवसरों को उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना व्यावसायिकों का कार्य है। व्यावसायिक व्यक्ति सामाजिक नीतियों के निर्माण में योगदान दे सकते है। मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों को विस्तृत रूप से चर्चा करने के अतिरिक्त, हम कह सकते है, कि व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता मानव अधिकारों के उल्लघनों को प्रभावपूर्ण ढ़ग से संरक्षित एवं इनसे बचाव कर सकते हैं क्योंकि वे मानव की गरिमा, स्वतंत्रता एंव उनके मानवीय दृष्टिकोण के ज्ञान में प्रशिक्षित कार्मिक है। इसलिए, वे गैर व्यावसायिक कार्यकर्त्ताओं की तुलना

में मानवधिकार मुद्दों पर अच्छा दृष्टिकोण रख सकते हैं तथा इस प्रकार से वे अपने ज्ञान एवं व्यावसायिक निपुणताओं के आधार पर अपनी सेवाओं को उपलब्ध करा सकते है।

समाज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

इस अध्याय के पूर्व में भारतवर्ष के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों के विकास को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्णित किया गया है। अब समाज कल्याण एवं योजनाबद्ध विकास में स्वैच्छिक संगठन की भूमिका पर केन्द्रित किया जाएगा। वास्तव में गांधी जी के चौदह सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम में घोषित सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष की प्रक्रिया में तेजी लाने के साधन एवं सुविधावंचित तथा दबे हुए व्यक्तियों को आपसी सहायता के माध्यम से स्वयं–सहायता के आधार पर उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकास को सक्रिय करने के एक ढ़ंग के रूप में उपयोग किया गया। हजारों स्वार्थहीन एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्त्ताओं की सहायता से ग्रामीण उद्योग, खादी, नई तालीम, कुष्ठरोग कार्य, हरिजन सेवा इत्यादि जैसे विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों की अभिवृद्धि के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का तंत्र तैयार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् की अवधि में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा समाज कल्याण कार्यक्रमों का यह आधार था।

ज्ञात एवं छुपे हुए पूर्ण भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को इस प्रकार गतिमान बनाना कि दिए हुए समय पर व्यक्तियों के रहने की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में बढ़ोतरी योजनाबद्ध विकास का मुख्य उद्देश्य है। सामान्य रूप में, स्वैच्छिक संगठनों देशके आर्थिक एवं औद्योगिक विकास करने एवं औद्योगिकरण के खराब प्रभावों के उन्मूलन के लिए व्यक्तियों को तैयार करने में इनकी अपनी भूमिका होती है। यद्यपि स्वैच्छिक संगठन आवागमन एवं संचार में बहुत अधिक भूमिका नहीं रखते हैं लेकिन गाँव की सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

समाज कल्याण में स्वैच्छिक सेवाओं का प्रभाव

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के विकास एवं जनसंख्या के कमजोर, सुविधावंचित एवं बाधित वर्गों के लिए कल्याण सेवाएँ प्रदान करके तथा उनके शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक बनावट में परिवर्तन के रूप में व्यक्तियों को निर्मित करने के लिए सामाजिक विकास के प्रयास के स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण में वृहत्तर भूमिका रखते हैं। इस प्रकार से, अधिक मात्रा में अपनी भलाई तथा समाज की भलाई करने एवं इसमें योगदान देने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। यहां पर स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने रहे हैं तथा अभी भी कर रहे हैं। जबकि समाज कल्याण का क्षेत्र परम्परागत रूप से स्वैच्छिक संगठनों के कार्य कर रहा है, कुछ राज्य कल्याण संगठनों, विशेष कर गरीबी, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध इत्यादि के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों के पूरक के रूप में कुछ राज्य कल्याण संगठनों की भी वृद्धि हुई है। लेकिन, स्वैच्छिक संगठनों के समस्त क्षेत्रों में कल्याण पर बढ़–चढ़ कर बल दिया जाता है क्योंकि इन संगठनों को विशेष रूप से वित्तीय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य की नीति रही है।

सामान्य रूप से, स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। समय एवं स्थिति के अनुसार उनकी बनावट एवं अभिमुखीकरण में परिवर्तन होते है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान, ग्रामदान, श्रमदान, जीवनदान (भूमि, ग्राम, श्रम एवं जीवन की भेंट) के रूप में प्रारम्भ की गई स्वैच्छिक क्रिया से एक बार सफलतापूर्वक व्यक्तियों की सोच की प्रक्रिया में एक प्रकार की क्रान्ति आयी कि कम भाग्यशाली

व्यक्तियों के साथ अपनी परिसम्पत्तियों की भागीदारी की जानी चाहिए, यह जोश लुप्त हो गया है, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के साथ जटिल समाज में नयी समस्याओं के उदय ने आने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु स्वैच्छिक संगठनों की भूमिकाओं के लिए योगदान दिया है। केरल राज्य में स्वैच्छिक क्रिया के माध्यम से शत–प्रतिशत साक्षरता की उपलब्धि, मादक–द्रव्य व्यवसायियों, वेश्याओं, प्रव्रजकों, आतंकवादी गतिविधियों के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए सेवाएँ इसके उदाहरण हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 1000 स्वैच्छिक संगठन कार्यरत है तथा इनमें मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत संगठनों का वर्णन नहीं किया गया है।

महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण तथा इस प्रकार के कई अन्य नेताओं के सामाजिक विकास में स्वैच्छिक क्रियाओं में अपना विश्वास व्यक्त किया है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के समय सरकारी दस्तावेजों में इसको बाकायदा मान्यता दी गई है। बलवन्त राय मेहता समिति (1957) के अनुसार, आजकल सामुदायिक विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों एवं इस सिद्धांत पर कि अन्तिम रूप से व्यक्तियों के इन स्थानीय संगठनों द्वारा पूर्ण कार्य का स्वामित्व लिया जाना है, अधिक बल दिया गया है। पांचवी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं पर अधिकता सेविश्वास व्यक्त किया गया तथा राज्य द्वारा इस कार्य के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई इस प्रकार स्वैच्छिक संस्थाओं में जो आवष्यक प्राविधिक विशेषज्ञता से युक्त हैं, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु लाभदायक संस्थाएँ हो सकती है।

संक्षिप्त रूप से, स्वैच्छिक संगठनों ने पूर्व में कल्याण सेवाओं के उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है जिसकी मान्यता एवं प्रषंसा जनता एवं सरकार द्वारा की गई है, भविष्य में उनकी अधिक गौरवशाली भूमिका के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होगी। यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि जहाँ व्यक्त एक दूसरे के साथ मिलकर सम्पूर्ण मानवता के लिए कार्य करते हैं, इसके बिना स्वर्ग नहीं हैं तथा वहाँ नर्क की स्थिति होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूसरों की सेवा करने की नहीं सोचता है। भारत में स्वैच्छिकता इस कथन के पहले आधे भाग को स्वीकार करती है एवं इसमें रूचि रखती है तथा निराश्रित, दबे हुए, सुविधावंचित एवं विशेषधिकार से वंचित–व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाकर एवं कल्याणकारी राज्य के आदर्षों की प्राप्ति के राज्य के प्रयास में पूरक का कार्य करते हुए इसको प्रमाणित करती है।

बोध प्रश्न III

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कल्याण को संगठित करने में स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, व्याख्या कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

3.5 सरकार एवं स्वैच्छिक क्रिया

यद्यपि बाहरी अभिकर्त्ताओं द्वारा स्वैच्छिक क्रिया को नियन्त्रित नहीं किया जाता है, सरकार ने समाज कल्याण के मुख्य साधन के रूप में इसको स्वीकार किया गया है तथा उनकी कार्यात्मकता से सीधे रूप से सम्बद्ध हुए बिना इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार ये स्वीकार करती है कि स्वैच्छिक संगठन अकेले कल्याण कार्यक्रमों के सम्पूर्ण फैलाव को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरशाही नियमबद्ध तथा रूढ़िवादी होती है जिससे यह उचित नहीं है कि नौकरशाही को सम्पूर्ण विकास कार्य को सौंप दिया जाए। इसलिए छठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से विकास में गैर–सरकारी संगठनों की सम्बद्धता के विषय में सरकारी सोच में बदलाव दृष्टिगोचर होता है।

जबकि लम्बे समय से सरकार के कल्याण कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं की सम्बद्धता रही है, इसलिए कुछ दर्शकों से इस सहयोग के क्षेत्र को व्यापाक होने का विचार आगे बढ़ता गया। अक्तूबर, 1982 में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने समस्त मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि राज्य स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के सलाहकारी समूहों की स्थापना की जानी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के दस्तावेज ने यह स्पष्ट किया जब इस बात का उल्लेख किया गया कि ग्राम विकास के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं की सम्बद्धता के लिए गंभीर प्रयास किए जाएगे। केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद का गठन स्वैच्छिक समाज सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अन्तिमरूप से, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत् सामाजिक सुरक्षा प्रभाग का गठन सबसे महत्वपूर्ण है।

सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं की क्रियाओं को समन्वित करने की समस्या केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की क्रियाओं को समन्वित करने की समस्या से कुछ मायनों में अधिक कठिन है। विशेष रूप से समाज कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों से भिन्न रूप में, आवश्यकताओं एवं सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों को समन्वित करने की कठिनाई सभी अधिकता से है। योजना आयोग इन दोनों प्रयासों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने के लिए तीन ढ़गों से प्रयास करता है:

1) योजना बनाने की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों को सम्बद्ध करना।

2) गैर सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी देना।

3) अनुदान के कार्यक्रम द्वारा गैर–सरकारी संगठनों की वृद्धि करना।

अनुदान दो तरीकों से वर्तमान संस्थाओं के प्रभावपूर्ण कार्य करने एवं परिवर्तनषील परिस्थितियों के प्रत्युचर में वृद्धि करने में सहायता कर सकती है। वित्तीय एवं संयंत्र के रूप में प्रत्यक्ष सहायता द्वारा उपलब्ध कराना प्रथम ढंग है। दूसरा ढंग वह है जिस तरीके से वर्तमान संस्थाओं का विधिक क्रिया के साथ लगातार सम्बद्ध होना। क्रिया के संबंध में विधान निर्माण द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकार द्वारा सहायता दे सकने का दूसरा महत्वपूर्ण ढंग है। स्वैच्छिक संस्थाएँ यदि वे अपने नाम के अनुरूप हैं तो उनका जन्म स्वैच्छिक प्रयास से होना चाहिए। परन्तु सरकार के लिए यह संभावना है कि वह ऐसी दशाओं को जन्म दे जिसके अंतर्गत व्यक्त नयी स्वैच्छिक संस्थाओं को संगठित करने के लिए प्रेरित हो सकें।

स्वैच्छिक क्रिया की उदीयमान प्रवृत्तियाँ

अभी तक स्वैच्छिक क्रिया के सैद्धान्तिक पक्षों पर चर्चा की गई है। यह अब अविवादित तथ्य बन चुका है कि समाज कल्याण एवं विकास के लिए स्वैच्छिक क्रिया आवष्यक है,

यद्यपि बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठन एवं सरकारी योजनाएँ हैं। आधुनिक समय में स्वैच्छिक संगठनों ने परम्परागत दृष्टिकोण से अलग हटकर कार्य के नये क्षेत्रों को महसूस किया है तथा इसने स्वैच्छिक क्रिया के विषय–क्षेत्र को प्रेरित तथा विकसित किया है। वर्तमान समय में, व्यक्तियों एवं राष्ट्र के विकास के लिए भारत में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं। इनके कार्य के मुख्य क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दवाइयाँ, बाल एवं महिला कल्याण, मानवधिकार संबंधी मुद्दे, सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन राष्ट्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय शान्ति इत्यादि। हाल में, समाज विज्ञानों के सभी अनुसंधानों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों तथा विकसित एवं धनी देशों की सहायता से गरीबी निवारण तथा सभी के लिए भौतिक आवश्यकताओं, आत्मनिर्भरता तथा पोषाघर अभिवृद्धि के लिए बड़ी संख्या में उपायों को लिया है विकासशील देश के रूप में भारत से भी आत्मनिर्भर बनने की आषा की जाती है।

मुख्य रूप से बच्चों, महिलाओं एवं बंधुआ मजदूरों के विषय में मानवधिकारों का मुद्दा बहुत ही गम्भीर है। वर्तमान समय में चल रहा नर्मदा बचाओ आन्दोलन, जंगल संरक्षण आन्दोलन महिलावादी संगठन सभी महिलाओं के अधिकारों तथा शोषण के विरूद्ध न्याय के लिए कार्यरत हैं। इस मामले में ये अभी के उदाहरण हैं। समाज कल्याण एवं विकास की समस्याएँ योजना एवं विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण विषय बन गयी हैं। बहुत से नए संगठन तथा संस्थाएँ भी अस्तित्व में आई है। देशके कई भागों में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्वैच्छिक नेताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं की पहल के माध्यम से बहुत से नवीन सामाजिक प्रयास किए गए है। प्रत्येक क्षेत्र में पहल की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं और नीति एवं क्रियान्वयन के मध्य अन्तरों की अधिक निश्चितरूप से पहचान की गई है। सामाजिक चुनौतियाँ, प्रमुख रूप से अल्पसंख्यकों की असुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय शान्ति समस्या पहले की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है। यह रचना अधिक जटिल हो गई है तथा समाज कल्याण का प्रत्येक रूप बहु विधा विशेष ीय आयाम का रूप धारण कर चुका है।

बोध प्रश्न IV

टिप्पणी :क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य हैं, इंगित कीजिए। वांछित उत्तर पर घेरा (सर्किल) खींजिए। अपने उत्तरों की जहां इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

   क) स्वैच्छिक क्रिया सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनो से उत्पन्न होती है। सत्य/असत्य

   ख) स्वैच्छिक संगठनों में इसके कार्यकर्त्ता वाह्य नियन्त्रण से नियमित होते हैं। सत्य/असत्य

   ग) व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता जमीनी नेता का रूप नहीं ले सकते हैं। सत्य/असत्य

   घ) आधुनिक समय में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा परम्परागत दृष्टिकोण से हटकर नयी स्थितियों को अभी भी महसूस किया जाता है। सत्य/असत्य

   ड.) अब इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि स्वैच्छिक संगठन गरीब व्यक्तियों तक पहुचने में अधिक सफल होते हैं। सत्य/असत्य

3.6 सारांश

इस चर्चा से हमने जाना कि स्वैच्छिक क्रिया सामान्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए क्रियाओं के क्रियान्वयन को सम्पन्न करने की प्रक्रिया है।

इसलिए, स्वैच्छिक क्रियाओं के परिवर्तनशील परिदृश्य को अंगीकृत करने की आवश्यकता है तथा वास्तव में वे अपने दृष्टिकोण तथा क्रियात्मकता के तरीकों में परिवर्तन ला रहे हैं। आजकल, स्वैच्छिक क्रिया केवल दान ही नहीं है बल्कि कार्यकर्त्ताओं की दृष्टि से एक व्यवसाय है क्योंकि उन्हें एक अच्छा भुगतान दिया जाता है। आजकल बहुत से अत्यन्त सक्रिय स्वैच्छिक संगठन पूर्ण रूप से उच्च प्रशिक्षित एवं प्रचुर मात्रा में अच्छे भुगतान वाले व्यावसायिक कार्यकर्त्ताओं से युक्त हैं। इन संगठनों का अलग रूप से दिखने वाला स्वैच्छिक चरित्र इस उत्पाद में है कि उनकी उत्पत्ति एवं प्रबंधन का ढंग किस प्रकार का है न कि वे किस प्रकार के कार्यकर्त्ता सेवा योजित कर सकते हैं।

इस इकाई के प्रारम्भिक भाग में हमने देखा कि स्वैच्छिक क्रिया का मित्रतापूर्ण संस्थाओं, निराश्रित एंव बाधिक व्यक्तियों के लिए गृहों इत्यादि के रूप में शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में फैलाव हुआ। यद्यमि इनमें से कुछ कार्यों का दायित्व अपने अत्यन्त आवष्यक वित्तीय उत्तरदायित्व एवं अन्य कारणों से राज्य द्वारा अपने ऊपर ले लिया गया है परन्तु औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण नयी आवश्यकताओं में अभिबृद्धि हुई ताकि इनमें से कुछ आवश्यकताओं की कुछ कारणों से अच्छी प्रकार से पूर्ति की जा सकती है। वास्तव में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकसित होने के कारण सरकार किसी भी राजनीतिक विचारधारा की हो, राज्य भविष्य में भूतकाल की तुलना में अपने नागरिकों के लिए अधिक कार्य करने का प्रयास करना चाहेगा। इस उपरिलिखित निष्कर्ष के सन्दर्भ में स्वैच्छिक क्रिया के भविष्य के विषय में विचार किया जाना चाहिए। कम्प्यूटर के इस युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण इण्टरनेट संचार का आदर्ष माध्यम बनता जा रहा है क्योंकि यह अधिक तेज, लागत–प्रभावी एवं पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्ण युक्त है। यह अब स्वीकार किया जाता है कि स्वैच्छिक संगठन गरीब व्यक्तियों एवं गरीबी निवारण कार्य तक पहुँचने में अधिक सफल हैं क्योंकि ये अपनी क्रियात्मकता में छोटे, लचीले नवीन क्रिया युक्त सहभागी एवं कम लागत युक्त होते हैं।

भारत में स्वैच्छिक संगठनों को यदि राज्यों एवं केन्द्रषासित प्रदेषों में पंजीकरण की संख्या के आधार पर देखा जाए तो इनकी संख्या एक मिलियन से भी अधिक है तथा ये संगठन इन्टरनेट के संभावित प्रयोगकर्त्ता के रूप में जागरूक हो रहे है। 1998 में कैप (सी ए पी) द्वारा 4508 प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों के सर्वेक्षण से यह बात सामने आयी कि समस्त उत्तरदाताओं (20 का 4.5 प्रतिषत ने अपनी वेबसाईट पहले से ही बना रखी हैं वेब स्वैच्छिक संगठनों के लिए नए संभावित क्षेत्रों में कार्य करने, सूचना आदान–प्रदान करने एंव संसाधन के अवसरों को सामने लाती है। सूचना का यह वृहत्तर सर्वमान्य मार्ग स्वैच्छिक संगठनों का स्वास्थ्य, विकास एवं कल्याण के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के नए मार्ग के रूप में हो सकता है। ऐसी आषा की जाती है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सम्बद्ध स्वैच्छिक संगठनों एवं दान संबंधी संगठनों द्वारा गरीबों की सहायता के लिए इन्टरनेट की सुविधा एवं गति तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं पूर्ण प्रयोग किया जायेगा जिससे भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति में बढ़ोतरी होगी।

3.7 शब्दावली

स्वैच्छिक क्रिया : स्वैच्छिक क्रिया वह क्रिया है जो कि समुदाय के सदस्यों की इसकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर लगातार ध्यान सकेंद्रित करने में सहायता करती है।

स्वैच्छिक संगठन : स्वैच्छिक संगठन वह संस्था है जो प्रजातन्त्र में राजनीतिक सामाजीकरण करती है एवं सामाजिक नियमों एवं मूल्यों के विषय में अपने सदस्यों को षिक्षित करती है एवं उन्हें सामान्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुँचाती है।

समाज कार्य : समाज कार्य अध्ययन की वह शाखा है जो कि समाज में मानवीय समस्याओं के साथ कार्य करती है और समस्त व्यक्तियों के लिए एक अच्छे जीवन स्तर, स्वीकार्यता, संबद्धता, पहचान एवं स्थिति को प्राप्त करने की दिषा में प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों की ओर अभिमुखीकृत समझ को प्राप्त करने में सहायता करती है। यह व्यक्तियों को अपनी सहायता करने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है।

व्यावसायिक समाजकार्य : व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता वे व्यक्ति है। जो व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को सहायता करने में माध्यम से व्यावसायिक सेवा उपलब्ध कराते है। एक ओर वे सामाजिक परिवेष में व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास करते हैं तथा दूसरी ओर वे उन बाधाओं को दूर करते है। जो व्यक्तियों को अच्छे से अच्छा करने से रोकते हैं जिसकी वह क्षमता रखते है। अपने कार्य के लिए भुगतान प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति ही केवल इस स्थिति में होते है कि वे वह कार्य कुषलतापूर्व सम्पन्न करते हैं जिसे समुदाय महसूस करता है। तथा आवष्यक समझता है।

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

बिस्नों, हर्बर्ट (1982), दि फिलास्फी ऑफ सोशलवर्क, वाशिंगटन, डी सी, पब्लिक अफेयर्स ब्यूरो।

क्लार्क सी. अस्क्यूथ एस. (1985), सोशलवर्क एण्ड सोशल फिलास्फी, रटलेज एण्ड वेगनपाल, लन्दन।

पाठक, एस. (1981), सोशल वेलफेयर, एन एवल्यूशनी डेवलपमेन्ट पर्सपेक्टिव, न्यू दिल्ली मैकमिलन इण्डिया।

कुलकर्णी पी.डी. एंड समसी नानावती (एडीटिक) (1991), सोशल रिफार्म मूवमेन्टस इन इण्डियाः ए हिस्टारिकल पर्सपेक्टिव, पापुलर प्रकाशन, बम्बई।

इवा, शिन्डेल लिपिट, रोनाल्ड (1977), दि वाल्टण्टिया कम्युनिटी, यूनिवर्सिटी रेवीनन एण्ड असोसिएटस इन्ड, कैलीफोर्निया।

हो एण्ड जोन्स (1975), टुअर्डस ए न्यूसोशलवर्क, रटलेज एण्ड वेगनपाल, लन्दन।

रानाडे, एस. एन. (1974), वालेन्टरी एक्शन एण्ड सोशल वेल्फेयर इन इण्डिया, वालेन्टरी एक्शन रिसर्च, डेविड हारटन स्मिथ, जेक्सीटन बुक्स, लन्दन।

मुखर्जी, के. के. एण्ड मुखर्जी स्तूपा (1988), वालन्टरी आर्गनाइजेशन्स : सम पर्सपेक्टिव, गांधी पीस सेन्टर, हैदराबाद।

चौधरी, डी. पी. (1981), प्रोफाइल ऑफ वालेन्टरी एक्शन इन सोशल वेल्फेयर डेवलपमेन्ट, सिद्धार्थ, न्यू दिल्ली।

फ्रेन्डा, एम. (1985), वालेन्टरी एसोसिएशन एण्ड लोकल डेवलपमेण्ट, यग इण्डिया फाउण्डेशन न्यू दिल्ली।

भट्टाचार्य, संजय : सोशलवर्क (2003), एन इन्टीग्रेटेड अप्रोच, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स (प्रा.) लिमिटिड, न्यू दिल्ली।

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) स्वैच्छिक संगठन शब्द का अर्थ '' निजी क्रिया'' है जिसको कहा जा सकता है कि ऐसी क्रिया जो राज्य की शक्ति से युक्त प्राधिकरण के निर्देशों के अंतर्गत न की गई क्रिया। स्वैच्छिक क्रिया वह क्रिया है जो समुदाय के सदस्यों को इसकी समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर लगातार ध्यान केन्द्रित करने में सहायता उपलब्ध कराती है। परन्तु, स्वैच्छिक क्रिया का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। एवं इसलिए यह उस क्रिया तक सीमित रहती है जो कि सामाजिक रूप से आगे बढ़ने हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है। इसकी विषयवस्तु है किसी के अपने तथा साथियों के जीवन की दशाओं में सुधार लाने के लिए घर के बाहर की जाने वाली स्वैच्छिक क्रिया, यह सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। यह व्यापार नहीं होकर मानवता की सेवा के लिए किसी उपलब्धि के लिए न होकर सामाजिक अतंर्भावना की शक्ति से प्रेरित होकर निजी उद्यम है। दूसरी ओर समाज कार्य अध्ययन की वह शाखा है जो कि समाज में मानवीय समस्याओं से निपटाने का कार्य करती है तथा समस्त व्यक्तियों के लिए अच्छे जीवन स्तर, स्वीकार्यता, सम्बद्धता, पहचान एवं स्थिति को प्राप्त करने की दिषा में प्रजान्त्रिक सिद्धांतों की और अभिमुखीकृत बोध में सहायता करती है। यह व्यक्तियों को स्वयं सहायता उपलब्ध कराने हेतु उन्हें सहायता देने की एक प्रक्रिया है। समाजकार्य विभिन्न सामाजिक विधानों द्वारा मानवधिकारों के सरंक्षण को सुनिश्चित करता है। यह अन्याय के विरूद्ध संरक्षण उपलब्ध कराकर तथा उनको दण्डित करके जो सामाजिक अभिरूचि के अनुरूप नहीं होते हैं, सम्पूर्ण समुदाय की खुशहाली में बढ़ोतरी करता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक विधान अस्पृष्यता, बालविवाह, दहेज प्रथा, सती, देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओं एवं अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटता है, यह एक पूर्ण समुदाय के निर्माण में सहायता पहुँचाता है। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की अभिवृद्धि में एक शक्ति एवं संयत्र के रूप में सामाजिक सेवा के उदीयमान होने वाले नवीन विचार ने व्यावसायिक समाज कार्य की क्रिया के क्षेत्र को बढ़ाया है जो कि परम्परागत रूप से बाल एवं महिला कल्याण, चिकित्यकीय एवं मनचिकित्सकीय समाकार्य, विद्यालय समाजकार्य, सुधार एवं समूह सेवाओं जैसे व्यवहार के क्षेत्रों से सम्बद्ध रहा है। इसके अतिरिक्त, गरीबी एवं आधुनिक समाज की अन्य समस्याओं से संघर्ष करने के लिए समाज कार्य अन्य विद्या विशेषों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के नए उत्तरदायित्वों को ग्रहण कर रहा है।

बोध प्रश्न II

1) क) बच्चों का संरक्षण एवं विकास

   ख) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का कल्याण

ग) युवाओं के लिए सेवाएँ

घ) सामुदायिक कल्याण

ड़) शैक्षिक सुविधाओं की अभिवृद्धि

बोध प्रश्न III

1) स्वैच्छिक संगठन वह संस्था है जो कि प्रजातन्त्र में राजनीतिक सामाजीकरण करती है, व्यक्तियों को सामाजिक मान्यताओं तथा मूल्यों के विषय में षिक्षित करती है तथा सामन्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। समाज कल्याण एवं योजनाबद्ध विकास में स्वैच्छिक संगठन की भूमिका को भारतीय सन्दर्भ की प्रारम्भिक अवधि के अनुसार हम समझ सकते हैं वास्तव में, गांधी जी के चौदह सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम में घोषित सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष की प्रक्रिया में तेजी लाने के साधन एवं सुविधावंचित तथा दबे हुए व्यक्तियों का आपसी सहायता के माध्यम से स्वयं सहायता के आधार पर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकास को सक्रिय करने के एक ढंग के रूप में उपयोग किया गया है। हजारों स्वार्थहीन एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्त्ताओं की सहायता से ग्रामीण उद्योग, खादी, नई तालीम, कुष्ठरोग कार्य, हरिजन सेवा इत्यादि जैसे विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों की अभिवृद्धि के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का तंत्र तैयार किया गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पष्चात की अवधि में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा समाज कल्याण की यह आधार था।

सामान्य रूप में, स्वैच्छिक संगठनों की देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास करने एवं औद्योगीकरण के खराब प्रभाव के उन्मूलन के लिए व्यक्तियों को तैयार करने में इनकी अपनी भूमिका होती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के विकास एंव जनसंख्या के कमजोर, सुविधावंचित एंव बाधित वर्गों के लिए कल्याण सेवाएँ प्रदान करके तथा उनके शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं भौतिक बनावट में परिवर्तन के रूप में व्यक्तियों को निर्मित करने के लिए सामाजिक विकास के प्रयास करके स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण में वृहत्तर भूमिका रखते हैं। इस प्रकार से, अधिक मात्राा में अपनी भलाई ताकि समाज की भलाई करने एवं इसमें योगदान देने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। यहाँ पर स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रतिज्ञापूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं तथा अभी कर रहे हैं। जबकि समाज कल्याण का क्षेत्र परम्परागत रूप से स्वैच्छिक संगठनों के कार्य का रहा है, कुछ राज्य कल्याण संगठनों, विशेषकर गरीबी, वेश्यावृति, बाल अपराध इत्यादि के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों के पूरक के रूप में कुछ राज्य कल्याण संगठनों की भी वृद्धि हुई है। लेकिन, स्वैच्छिक संगठनों के समस्त क्षेत्रों में कल्याण बढ़ चढ़ कर बल दिया जाता है क्योंकि इन संगठनों को विशेष रूप से वित्तीय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य की नीति रही है। सामान्य रूप से, स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। समय एवं स्थिति के अनुसार उनकी बनावट एवं अभिमुखीकरण में परिवर्तन होते हैं। आचार्य विनोबा भावे द्वारा, ग्राम दान, श्रमदान, जीवन दान (भूमि, ग्राम, श्रम एवं जीवन की भेंट) के रूप में प्रारम्भ की गई स्वैच्छिक क्रिया से एक बार सफलतापूर्वक व्यक्तियों की सोच की प्रक्रिया में एक प्रकार की क्रान्ति आयी कि कम भाग्यशाली व्यक्तियों के साथ अपनी परिसम्पत्तियों की भागीदारी की जानी चाहिए, यह जोश लुप्त हो गया है, तथा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के साथ जटिल समाज में नयी समस्याओं के उदय ने आने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु स्वैच्छिक संगठनों की भूमिकाओं के लिए योगदान दिया है। केरल राज्य में स्वैच्छिक क्रिया के माध्यम से शत–प्रतिशत साक्षरता की उपलब्धि, मादक–द्रव्य व्यावसायियों, वेश्याओं, प्रव्रजकों, आतंकवादी गतिविधियों के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए सेवाएँ इसके उदाहरण हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 1000 स्वैच्छिक संगठन कार्यरत है तथा इनमें मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत संगठनों का वर्णन नहीं किया गया है।

महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण तथा इस प्रकार के कई अन्य नेताओं के सामाजिक विकास में स्वैच्छिक क्रियाओं में अपना विश्वास व्यक्त किया है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के समय सरकारी दस्तावेजों में इसको बकायदा मान्यता दी गई है। बलवन्त राय मेहता समिति (1957) के अनुसार, आजकल सामुदायिक विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों एवं इस सिद्धांत पर कि अन्तिम रूप से व्यक्तियों के इन स्थानीय संगठनों द्वारा पूर्ण कार्य का स्वामित्व लिया जाना है, अधिक बल दिया गया है। पांचवी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं पर अधिकता से विश्वास व्यक्त किया गया तथा राज्य द्वारा इस कार्य के लिए सहायता उपलब्ध कराई गईं इस प्रकार स्वैच्छिक संस्थाओं में जो आवश्यक प्राविधिक विशेषज्ञता से युक्त हैं, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु लाभदायक संस्थाएँ हो सकती है।

संक्षिप्त रूप से, स्वैच्छिक संगठनों ने पूर्व में कल्याण सेवाओं के उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है जिसकी मान्यता एवं प्रशंसा जनता एवं सरकार द्वारा की गयी है, भविष्य में उनकी अधिक गौरवशाली भूमिका के लिए प्रेरित करने के साथ मिलकर सम्पूर्ण मानवता की लिए कार्य करते है इसके बिना स्वर्ग नहीं हैं तथा वहाँ नर्क की स्थिति होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूसरों की सेवा करने की नहीं सोचता है। भारत में स्वैच्छिकता इस कथन के पहले आधे भाग को स्वीकार करती है एवं इसमें रूचि रखती है तथा निराश्रित, दबे हुए, सुविधावंचित एवं विशेषाधिकार से वंचित–व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाकर एवं कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति के राज्य के प्रयास में पूरक का कार्य करते हुए इसको प्रमाणित करती है। अतः समाज कल्याण की उन्नति में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं।

बोध प्रश्न IV

1) क) सत्य
   ख) असत्य
   ग) सत्य
   घ) असत्य
   ड़) सत्य

इकाई 4 भारतीय सन्दर्भ में समाज कार्य नैतिक संहिता

इकाई की रूपरेखा

*जोसेफ वर्गीस

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 केस की स्थितियाँ

4.3 नीतिशास्त्र एक परिचय

4.4 समाज कार्य व्यवहार में नीति विषयक आचरण की आवष्यकता

4.5 नैतिक संहिता का प्रयोजन

4.6 भारतीय समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए एक आदर्ष नैतिक संहिता

4.7 नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेने में समाज कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख आने वाली समस्याएँ

4.8 सारांश

4.9 शब्दावली

4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

यह इकाई आपको समाज कार्य व्यवहार की नैतिक संहिता विषयक पहलुओं को समझने के योग्य बनाएगी। समाज कार्यकर्त्ता का प्राथमिक कार्य मानवीय सम्बन्धों में समस्या का समाधान करना है। इन स्थितियों की प्रकृति प्रायः जटिल और नाजुक होती है। इसलिए इन परिस्थितियों में नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेना आवष्यक होता है और इस इकाई में आपका नैतिक संहिता अैर इसकी समाज कार्य में औचित्य का एक परिचय दिया जाएगा।

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आपः

- नैतिक संहिता क्या है, जान सकेंगे;
- समाज कार्य में नैतिक संहिता के महत्व के विषय में चर्चा कर सकेंगे;
- समाज कार्य की नैतिक संहिता के साथ स्वयं को सुपरिचित करा सकेंगे, और
- समाज कार्य की परिस्थितियों में इसके अनुप्रयोग को समझ सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

भारतीय समाज जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करता है, वे अधिकारों का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और सामाजिक विभेद है। समाज कार्यकर्त्ता इस समाज का उसी प्रकार से हिस्सा हैं जैसे कि कोई अन्य व्यक्ति। निस्संदेह, वे इन मूल्यों से प्रभावित होंगे। उनके

*श्री जोसेफ वर्गीस, परामर्शदाता, इग्नू, नई दिल्ली

व्यक्तित्व ने इन मूल्यों को अंर्तग्रहण कर लिया होगा ओर चेतन या अचेनत रूप से उनके व्यवहार इन मूल्यों को व्यक्त करते हैं। परन्तु समाज कार्य व्यवसाय इस बात की वकालत करता है कि मूल्य इन मूल्यों से आमूल परिवर्तनवादी रूप से भिन्न हैं।

समाज कार्य मूल्यों की गहन समझ की आवश्कयता होती है जिससे कि व्यावसायिक आचरण किसी अन्य मूल्यों की अपेक्षा इन मूल्यों से निर्देशित हों। नैतिक संहिता से संबंधित एक अन्य विषय है कि इनमें से अधिकांश, पाश्चात्य अनुभव पर आधारित है और इनकी भारतीय परिस्थिति में प्रयोज्यता प्रायः संदेहास्पद होती है। इस इकाई में हम इन विषयों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

4.2 केस की स्थितियाँ

हम अपना विवेचन आरम्भ करने से पूर्व आपके समक्ष कुछ केसों की स्थितियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि समाज कार्य व्यवहार में मूल्यों और आचार संहिता का महत्व स्पष्ट हो जाए। अपने को इन स्थितियों में रखने का प्रयत्न कीजिए और निर्णय कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास निर्णय लेने के लिए और उन्हें कार्यान्वित करने की शक्ति है।

1) आप एक संस्था के प्रशासक है और आप वित्तीय सहायता हेतु निर्धन परिवारों के आवदेन पत्र सरकारी संस्थाओं को भेज रहे है। आपका अधीनस्थ आप से, दस्तावेजों में प्रदर्शित परिवारों की वार्षिक आय को कम करवाना चाहता है क्योंकि वह महसूस करता/करती है कि इससे उनके सहायता प्राप्त करने के अवसर बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त वह यह भी कहता है कि अन्य सभी संस्थाएँ ऐसा करती है और यदि आपकी संस्था ऐसा नहीं करती तो आपके समुदाय के परिवार हानि में होंगे। क्या आप परिवारों की सहायता के लिए जानबूझ कर गलत सूचना देने के लिए सहमत होंगे?

2) एक महिला निर्धन परिवारों से मादा शिषुओं को खरीदती है और परिवारों को धनवान होने के लिए उनके गोद लेने का प्रस्ताव देती है। वह दावा करती है कि इस प्रक्रिया में वह धन अर्जित नहीं कर रही है और उसकी रूचि केवल मादा शिषुओं तथा साथ–साथ परिवारों को भी सहायता करने में है। वह कहती है कि यदि बच्चों को परिवारों से हटाया नहीं गया तो उनके मार दिए जाने या उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने, जिसका भी सम्भवतः परिणाम मृत्यु ही है, की सम्भावना अधिक है। (वह अपने बिन्दुओं को प्रमाणित करने के लिए कुछ निश्चित आँकड़े प्रस्तुत करती है)। वह कहती है कि वह कानून तोड़ रही है परन्तु इसकी तुलना वह गांधी जी के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तोड़े गए कानून से करती है। यह लक्ष्य इस प्रक्रिया बिना किसी की हानि के साथ समाज की बृहत्तर भलाई के लिए है। क्या वह सही कर रही है ?

3) एक व्यक्ति एक दुर्घटना के पश्चात रक्त संचारण के दौरान एच. आई. वी/एड्स से संक्रमित हो जाता है। वह कहता है कि उसके परिवारिक सदस्यों का यह सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्यों कि वह घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है फिर भी परिवार के दूसरे सदस्यों, विशेष रूप से उसकी पत्नी के संक्रमित हो जाने का खतरा है। क्या आपको इस सूचना को गोपनीय रखना चाहिए या व्यक्ति के स्वास्थ्य के स्तर का उसकी पत्नी/पारिवारिक सदस्यों के सम्मुख प्रकट कर देना चाहिए?

4) आपके सहकर्मी परामर्श केन्द्र में सेवार्थियों की समस्या पर बातचीत करते हैं। और

उनकी समस्याओं का मजाक बनाते हैं। जब आप उनसे कहते है कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो वे कहते है कि सूचना इस समूह से बाहर नहीं जाती है और सेवार्थी इसके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। जब आप कहते हैं कि इसकी शिकायत आप अपने उच्च अधिकारी से करेंगे तो वे कहते है कि यदि आप कार्यवाही करेंगे तो वे आपसे सारे सम्बन्ध तोड़ देंगे। क्या आप एक ऐसी समस्या जिससे कोई भी प्रभावित प्रतीत नहीं होता उसके लिए समूह द्वारा बहिष्कृत किए जाने के इच्छुक होंगे?

5) आपका वरिष्ठ अधिकारी समुदाय में स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करता है परन्तु उन्हें शैक्षिक कार्यक्रम बताकर गलत सूचना देता है। जब आप उससे कहते है कि वह ऐसा क्यों करता है तो वह कहता है कि संस्था में नौकरशाही व्यवस्था ने समस्या की गलत जानकारी को आगे बढ़ाया है और समुदाय की आवश्यकता स्वास्थ्य जागरूकता है शिक्षा नहीं। क्या वह अभिलेखों में की गयी हेराफेरी के लिए सही है?

6) एक अविवाहित महिला अपने पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात कराने हेतु आपसे सहायता पाने के लिए आती है। वह कहती है कि वह बच्चा नहीं चाहती है क्योंकि अजन्में बच्चे के पिता ने उससे विवाह करने से मना कर दिया है उसके माता–पिता ने उसका विवाह किसी और के साथ तय कर दिया है। परन्तु यदि उन्हे उसके गर्भवती होने की बात की जानकारी हो जायेगी तो वे निश्चित रूप से विवाह रद्द कर देंगे। गर्भावस्था ऐसी स्थिति में पहुच गयी है कि जहाँ यह वैध गर्भपात नहीं होगा। महिला ने अपनी स्थिति के विषय में अपने माता पिता को सूचित नहीं किया है और ऐसा करने का इरादा भी नहीं रखती है क्या आप उसकी गर्भपात में सहायता करेंगे/करेंगी हालांकि यह अवैध है ?

7) एक पुलिस वाला एक अपराधी को यह कहता हुए उत्पीड़ित करता है कि वह दोषी है और दण्ड का पात्र है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा करने में पुलिस वाला सही है ?

8) आपका सेवार्थी (विपरीत लिंग) आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखता/रखती है। वह कहता/कहती है कि आप दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि समान है इसलिए विवाह कर लेना चाहिए। उसने यह बिन्दु सामने रखा कि ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहाँ व्यावसायिक सम्बन्ध व्यक्तिगत हो गए हैं। उदाहरण के लिए एक ही कार्यालय में कार्य कर रहे सहकर्मी विवाह कर लेते हैं, डाक्टर नर्सों से विवाह करते हैं और इसी प्रकार से अन्य। क्या आप प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, यदि आप ऐसा सोचते/सोचती हैं कि वह आपके जीवन साथी की आवश्यकता के अनुरूप है।

जैसा कि आपने सम्भवतः ध्यान दिया होगा कि उपरिलिखित अधिकांश मामले परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं जिसमें सभी विकल्प उपलब्ध हैं जो कि एक से लेकर अन्य परिप्रेक्ष्य में प्रतीत होते हैं। वास्तविक जीवन में भी अधिकांश बार समाज कार्यकर्त्ता प्रायः इस प्रकार की स्थितियों का सामना करते हैं। इसलिए आचार संहिता के आयामों के लिए निर्णय लेने की समझ महत्वपूर्ण होती है। हमारे पास निधियों के दुर्विनियोग, सेवार्थी का उनकी देखभाल के दौरान यौन दुरूपयोग, तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न तथा इसी प्रकार अन्य के विषय में समाचार पत्रों में छपी खबरों के उदाहरण हैं अब यह स्पष्ट रूप से कानून और व्यवसाय की संहिता की दृष्टि से गलत हैं हमने ऐसी परिस्थितियों के उदाहरण नहीं दिए हैं हमने उन गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए चुना है जो 'प्राचीन' या संदिग्ध प्रकृति की है।

4.3 नीति शास्त्र–एक परिचय

नैतिकता शब्द ग्रीस शब्द 'कस्टम' से निकला है जो मूल्य मींमासा की शाखा है, एवं यह दर्षन की चार शाखाओं में से एक है जो नैतिकता की प्रकृति को समझने का प्रयास करती है। सही एवं गलत में भेद करती है। नीति शास्त्र को नैतिकता सम्बन्धी दर्शन भी कहा जाता है जो कि क्या सही है और क्या गलत है, से संबंधित है। नैतिकता लोगों एवं सभी समाज में वार्ता क बारे में नैतिक प्रकृति के निर्णय करने में शामिल है (किचनर, 1986)। नैतिकता आमतौर पर दार्शनिक संकाय के रूप में परिभाषित की जाती है जो कि मानव सम्पर्क एवं नैतिक निर्णय निर्माण से सम्बन्ध है। (वान हूस एवं कॉटलर, 1985)। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आदर्श नीतिशास्त्र और अधिनीति शास्त्र। आदर्ष आचार शास्त्र उन सिद्धांतों के साथ कार्य करता है जिनसे हम जीवित हैं। अधिनीतिशास्त्र का विषय व्यापक है एवं यह प्रकृति और नैतिक न्याय के विधितंत्र के साथ कार्य करता है। दूसरे शब्दों में , किस आधार पर निर्णय किया जाए। उदाहरण के लिए क्या समाज में खुशहाली का बढ़ावा देना या पूर्णतावाद का बढ़ावा देना निर्णय के अन्तिम परिणाम होने चाहिए? धार्मिक लोग इेष्वर की इच्छा पर उनका भावी विश्वास क्या है और ईश्वर के शब्दों पर अपने निर्णय का आधार रखते हैं समाज कार्यकर्त्ताओं के रूप में हमारी रूचि आचार संहिता में है जिससे सेवार्थी, हमारे सहकर्मियों, हमारे उच्च अधिकारियों और हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ हमारे सम्बन्ध समाज कार्य मूल्यों के ढाँचे में रहें।

समाज कार्य सामाजिक डार्विनवाद और उपयोगितावाद के अस्वीकार करता है। सामाजिक डार्विनवाद एक आधुनिक नाम है जो विभिन्न समाज के सिद्धांतो को दिया गया है जो 1870 में यूनाइटेड किंगडम, उतरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप में उदय हुआ था यह समाजषास्, एवं राजनीति के लिए योग्यतम उत्तर जीविता एवं जैविक अवधारणओं को लागू करने का दावा करता है। उपयोगितावाद नैतिकता की एक प्रणाली है जिसके अनुसार गलत एवं सही कार्य के परिणाम द्वारा आँका जाना चाहिए। उपयोगितावाद नैतिकता का लक्ष्य बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़े सुख को बढ़ावा देना है। समाज कार्य प्रारम्भ में अमेरिका सहित पाष्चात्य देशों में सामने आया इसलिए यह जूडों इसाई मूल्यों से प्रभावित है। व्यवसाय के रूप में ज्यों ही यह खाड़ी और दूसरे एशियाई भागों में फैलना प्रारम्भ हुआ, इन देशों की धार्मिक परम्पराओं ने भी इन क्षेत्रों में समाज कार्य व्यवसाय को प्रभावित किया। समाज कार्य कर्त्ता व्यवसाय के अन्तर्गत स्वेदशी मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि व्यवसाय को लोगों की बेहतर मान्यता और स्वीकृति प्राप्त हो। यह एक प्रवर्धित प्रक्रिया होगी जैसे कि सर्वाधिक उतर–औपनिवेषिक समाज अभी तक औपनिवेशिक अनुभव से बौद्धिक और शैक्षिक रूप से पुनः ठीक हो रहे हैं।

वैज्ञानिक मूल्यों और पद्धतियों ने भी समाज कार्य व्यवहार को प्रभावित किया है यह आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है कि समाज कार्य विज्ञान और धर्म के दो दृष्यमान विपरीत मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। समाज कार्य उन धार्मिक मूल्यों को अस्वीकार करता है जो कि यह वकालत करते हैं कि एक व्यक्ति अन्य सांसरिक कारणों जैसे ईष्वर के क्रोध या दैववाद के परिणामस्वरूप कष्ट उठाता है। यह विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है यदि उसे अनिवार्य संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए। परिणाम स्वरूप वे कारक जो एक व्यक्ति की समस्या या सामाजिक समस्या को उत्पन्न करते हैं उनकी पहचान, अवलोकन, विवरण, वर्गीकरण और स्पष्टीकरण नामक वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा की जाती है। समाधान, तर्क संगतता के आधार पर निर्धारित और निरूपित किए जाते हैं। इन स्रोतों से प्राप्त किए गए मूल्य हैं– सेवा; सामाजिक न्याय; व्यक्ति की योग्यता एवं गरिमा; मानवीय सम्बन्धों की महत्ता; ईमानदारी; समर्थता।

आपने अनिवार्य रूप से ध्यान दिया होगा कि व्यावसायिक व्यक्ति जो कि मानव शरीर, मानव के चेतन तत्व और मानवीय सम्बन्धों के साथ कार्य करते हैं वे हमेषा आचरण के नियमों को धारित किए होते हैं। चिकित्सको के लिए एक आचार संहिता होती है जिसका अनुकरण उन्हें उस समय करना पड़ता है जब वे व्यवसाय कर रहे होते हैं चिकित्सक अपनी योग्यताओं और निर्णयन के अनुसार, केवल लाभदायक उपचार का नुस्खा लिखने के लिए हानि या दुख पहुँचाने का कारण बनने से दूर रहने के लिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन जीने के लिए वचनबद्ध होते हैं। वकीलों के लिए उनकी अपनी नियम संहिता होती है जिसका अनुकरण उन्हें उस समय करना पड़ता है जब वे मुवक्किल के साथ अन्तःक्रिया कर रहे होते हैं, एक जज के सामने दलीले दे रहे हो और गवाह से प्रश्न पूँछ रहे हो। ये नियम संहिताएँ उस अवधि के दौरान विकसित हुई जब इन व्यवसायों का समाज में उदगमन हुआ। जैसे ही इन व्यवसायों का उदगमन हुआ, इन स्थितियों का दुरूपयोग चरित्रहीन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने व्यवसाय को क्षति पहुँचायी, किए जाने के विभिन्न उदाहरण थे। संहिता का निरूपण हो गया था इसलिए ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों का व्यवहार नियन्त्रित है और समाज का उनमेंविश्वास खोया नहीं है।

व्यवसायों जिनकी आचार संहिता होती है समान्यतः उनके पास व्यावसायिक साथियों का निकाय होता है जो कि व्यावसायिक संस्था द्वारा उनके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए चयनित किए जाते हैं। उन्नत देशों में इन निकायों के पास व्यापक शक्तियों होती है। इसमें दोषी सदस्यों की निन्दा करने की, सदस्य पर जुर्माना करने और यहां तक कि व्यवहार करने के अनुज्ञापत्र को रद्द करने की शक्ति सम्मिलित है। जब एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति झूठी शपथ के आरोप में दोषी पाए गए तो उनके गृह राज्य की बार ऐसोसिएषन ने उनके न्यायालय में वकालत की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया था और अब उन्हें उस राज्य में वकालत करने की आज्ञा नहीं है। भारत में चिकित्सक की अनुज्ञप्ति को उसके ऊपर यह आरोपित किए जाने के पश्चात कि उसने एक ऐसी औषधि का विज्ञापित किया है जो कि चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानक के समान नहीं थी, चिकित्सा परिषद ने रद्द कर दिया था। निश्चितरूप से इन दोनों उच्च पार्श्वदृष्य वाले मामलों में समस्या के लिए एक राजनीतिक पक्ष विद्यमान था जिनसे उनकी अपनी–अपनी समितियों को उस प्रकार का कठोर कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। परन्तु ये यह भी प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की संहिताएँ एक गम्भीर विषय है और वे व्यावसायिक निकाय, शक्तिशाली संस्थाएँ हैं। अब हम विशेष रूप से समाज कार्य की आचार संहिता की ओर चलते हैं।

4.4 समाज कार्य व्यवहार में नैतिक आचरण की आवश्यकता

समाज कार्य एक समस्या समाधान का व्यवसाय है। समाज कार्यकर्त्ता अधिकतर भिन्न और जटिल स्थितियों का सामना करता है। संहिताएँ व्यावसायिक व्यक्तियों को कठिन परिस्थितियों में नैतिकता के आधार पर कार्य करने में सहायता करती है। समाज कार्य में इस प्रकार के व्यवहार की आवश्यकतानिम्नलिखित कारणों की वजह से महत्वपूर्ण हैं।

समाज कार्यकर्त्ता का उनके सेवार्थियों के साथ अन्तःक्रिया के दौरान और संवेनशील सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध होना

सेवार्थी को इस सूचना को बताने का उददेश्य, समाज कार्यकर्त्ता को समस्या में और उसके बाद सेवार्थी की समस्या के समाधान में सहायता के लिए बेहतर अन्तर्दृष्टि पाने के लिए समर्थ करना है। परन्तु यदि समाज कार्यकर्त्ता इस संदेवनशली सूचना को भूल

से या दूसरों के प्रयोजन हेतु व्यक्त करना है तो वह सेवार्थी के उददेश्य को नकुसान पहुँचा रहा होगा और आगे के लिए समस्या को जटिल बना रहा होगा। इस स्थिति में गोपनीयता के सिद्धांत का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है।

समाज कार्यकर्त्ता प्रायः परिस्थितियों में होते हैं जहाँ उनके निर्णय सेवार्थी के लिए गम्भीर क्षति उत्पन्न कर सकते हैं

प्रायः समाज कार्यकर्त्ता ऐसे सेवार्थियों के साथ कार्य करते हैं जो कि गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। प्रायः उनके व्यक्तित्व विघटित होते हैं और कदाचित वे ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि उनका भावनात्मक और शारीरिक दुरूपयोग हो सकता है। वस्तुतः अन्य बातों में समाज कार्यकर्त्ता और सेवार्थी में सम्मिलित संबंध होते है। वैयक्तिक कार्यकर्त्ता के पास सेवार्थी की तुलना में अधिक ज्ञान और भावनाओं पर वृहत्तर नियन्त्रण होता है। इस शक्ति का प्रयोग सेवार्थी के अहित के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में वैयक्तिक कार्यकर्त्ता अचेतन रूप से त्रुटि कर सकता है जो कि सेवार्थी को नुकसान पहुँचा सकती है। इस प्रकार की त्रुटियों के अवसर न्यूनतम होते हैं जबकि समाज कार्यकर्त्ता ने समाज कार्य की आचार संहिता को अर्न्तनिहित कर लिया है।

समाज कार्यकर्त्ता सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं में प्राधिकारी के पद अभिग्रहण करते हैं।

किसी भी प्राधिकर के पद में उत्तरदायित्व का तत्व संलग्न होता है। उतरदायित्व का अर्थ है योग्यता होना। निश्चित वस्तु आपके सुपुर्द कर दी गयी है और उसके उपयोग के पष्चात आपने क्या उपयोग किया किस उद्देश्य के लिए कितना उपयोग किया और उसका क्या प्रभाव है, के लिए आप उत्तरदायी हैं। दूसरों से असदृश, समाज कार्यकर्त्ता का एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व है– उन्हें ध्यान रखना है कि मनुष्य की गरिमा और मनुष्य का आत्म सुरक्षित है।

सम्भवतः कोई अन्य व्यवसाय इन पहुलओं के साथ इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करता जैसा कि समाज कार्यकर्त्ता करता है। एक पुलिस वाले को केवल यह विचार करना होता है कि या तो उसकी कार्यवाही अपराध दर को कम करेगी और या फिर जब वह कार्य कर रहा है तो वह कानून की प्रक्रिया का सही अनुकरण कर रहा है। एक अधिवक्ता को केवल यह विचार करना पड़ता है कि उसके मुवक्किल का कौन सा हित उसके कार्यों द्वारा पूरा होगा। एक धर्माचार्य को केवल यह चिंता होती है कि उसके कौन से कार्य व्यक्ति की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होंगे। परन्तु समाज कार्यकर्त्ता को अपने निर्णयों में मनुष्य की गरिमा और मनुष्य की आत्म के साथ मानवोचित लगाव को व्यक्त करना पड़ता है।

समाज कार्यकर्त्ता प्रायः ऐसे पदों पर होते है जहां संसाधनों का बंटवारा कर सकते हैं।

अधिकतर मामलों में, संसाधनों का एक पक्ष के लिए बंटवारे का अर्थ है यह दूसरों को नहीं वितरित किया जाएगा जो भी कदाचित आवश्यकता ग्रस्त हों। यह एक भारत जैसे देशकी वास्तविकता है जहाँ लगभग हर जगह अभाव विद्यमान है। एक दत्तक ग्रहण केन्द्र में समाज कार्यकर्त्ता कदाचित बताए कि कौन से विशेष युगल को बच्चे को गोद लेने की मंजूरी दी जा सकती है। समाज कार्यकर्त्ता का यह विचार कम से कम तीन व्यक्तियों के जीवन की दिशा प्रदान करेगा।

समाज कार्यकर्त्ता को व्यावसायिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखना पड़ता है

एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार के पास अन्तिम सत्ता होती है और यह अन्य संस्थाओं के विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परन्तु कभी–कभी यह विनियमन व्यवसाय के आन्तरिक मामलों के भीतर एक अतिक्रमण होता है। यदि व्यावसायिक व्यक्ति स्वयं अपने मामलों को विनियमन करें तो सरकार की कार्यवाही अनावष्यक हो जाएगी और उनकी व्यावसायिक स्वायत्तता सुरक्षित रह सकती है।

बोध प्रश्न I

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए आचार संहिता क्यों होनी चाहिए, महत्वपूर्ण कारणों को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

.....

4.5 नैतिक संहिता का प्रयोजन

हम समाज कार्य में नैतिक व्यवहारों के महत्व को जान चुके हैं। उन देशों में जहाँ समाज कार्य में एक व्यवसाय को रूप में समाज द्वारा पूर्णतया स्वीकृत किया जा चुका है उनके पास एक नैतिक संहिता है। एक संहिता, कार्य प्रणाली या कार्य संचालन के व्यवस्थापन और नियमों का व्यवस्थिति संग्रह है। समाज कार्य में नैतिक संहिता की नियमों और विनियमों का समुच्चय कहा जा सकता है जबकि वह समाज कार्यकर्त्ता के आचरण को उसके सेवार्थी, व्यावसायिक साथियों, सहकर्मियों, संस्था और समाज के साथ उसके सम्बन्धों में, नियन्त्रित करेंगे।

समाज कार्यकर्त्ताओं के राष्ट्रीय संघ, अमेरिका (एन.ए.एस.डब्ल्यू.) के अनुसार आचार संहिताएँ 6 उद्देश्यों की पूर्ति करती है।

1) संहिता, केन्द्रीय मूल्यों का अभिनिर्धारण करती है जन पर समाज कार्य का उद्देश्य आधारित रहता है।

2) संहिता विस्तृत नैतिक सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करती है जो व्यवसाय के केन्द्रीय मूल्यों को व्यक्त करता है और एक विशिष्ट नैतिक मानदण्डों के समन्वय को स्थापित करता है जो कि समाज कार्य व्यवहार के पथ प्रदर्षन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

3) संहिता की अभिकल्पना समाज कार्यकर्त्ताओं के सुसंगत विचारों के निर्धारण में सहायता के लिए की गयी है जब व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ में संघर्ष हो या नैतिक अनिश्चितताएँ अस्तित्व में आएँ।

4) संहिता नैतिक मानदण्डों का प्रबन्ध करती है जिससे कि सामान्य जनता समाज कार्य व्यवसाय की जवाबदेही को नियन्त्रित कर सके।

5) संहिता व्यवसायी का, समाज कार्य के उद्देश्यों के क्षेत्र, मूल्यों नैतिक सिद्धांतों और नैतिक मानदण्डों से परिचित होने के लिए समाजीकरण करती है।

6) संहिता मानदण्डों को स्पष्ट उच्चारित करती है ताकि समाज कार्य व्यवसाय स्वयं इसका उपयोग, जहाँ समाज कार्यकर्त्ता अनैतिक आचरण में लगे हैं, मूल्यांकन के लिए कर सके।

ये संहिताएँ व्यवसाय में विशेषज्ञों द्वारा निरूपित की गयी है और उस देश के समाज कार्य संघ की सामान्य सभा के सामने प्रस्तुत की गयी है। यहां विषयों पर गहनता से विचार–विमर्श किया गया है। उस पर विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं और वाद विवाद किया गया है । इस प्रकार के व्यापक प्रकार के विचार–विमर्शों और विभिन्न संषोधनों के पश्चात संहिता के अन्तिम प्रारूप पर मतदान हुआ और स्वीकार कर दिया गया। सभा द्वारा समाज कार्यकर्त्ताओं की प्रमुख सहभागिताओं प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया जो कि सुनिश्चित करता है कि संहिताओं ने व्यापक स्वीकृति प्राप्त की ली है। इसका इन देशों में समाज कार्यकर्त्ताओं के व्यवहार के आचरण पर प्रभाव है। यदि कोई संहिता को तोड़ता पाया जाता है तो एक औपचारिक जाँच के पश्चात कार्यवाही की जाती है।

परन्तु भारत में संघ विद्यमान नहीं है जो कि समाज कार्यकर्त्ताओं के मध्य इस प्रकार के निर्देश देने का अधिकारी हो। कुछ संघों जो कि मुख्य रूप से क्षेत्रीय हैं, उन्होंने स्वयं अपने लिए आचार संहिता विकसित की है। परन्तु ऐसे संघों के पास चुनिंदा और देश के सीमित संख्या के समाज कार्यकर्त्ता, सदस्य हैं, इसका समाज कार्य व्यवहार पर प्रभाव सीमित है। सरकार ने भी किसी निकाय को मान्यता प्रदान नहीं की है और समाज कार्य को विनियमित करने के लिए किसी को प्राधिकार नहीं सौंपा है । देश में समाज कार्य व्यवहार को विनियमित करने हेतु व्यावसायिक समाज कार्यकताओं का एक विधेयक निरूपित करने का प्रयास किया गया था। परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। यहां हमने आचार संहिता का प्रतिरूप प्रदर्षित करने का प्रयास किया है जो कि भारत के संदर्भ में समाज कार्य व्यवहार में प्रयोग की जा सकती है। समाज कार्यकर्त्ताओं को इन संहिताओं से यहाँ तक कि उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ज्यों ही एक व्यक्ति इस संहिता के साथ–साथ आगे बढ़ता है यह ध्यान दिया जायेगा कि अन्ततः यह उस व्यक्ति का दायित्व है कि वह इन मानदण्डों को अपने व्यवहार में अनुरक्षित करे। बाहरी संस्थाएँ समाज कार्यकर्त्ताओं के व्यवहार को केवल निश्चित सीमा तक ही विनियमित कर सकती हैं इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन मूल्यों को आत्मसात करे और उन्हें अपने व्यक्तित्वका हिस्सा बनाएँ।

4.6 भारतीय समाज कार्यकर्त्ताओं के लिए एक आदर्श नैतिक संहिता

(अब तक भारत में कोई नैतिक संहिता उपलब्ध नहीं है। विभिन्न देशों के भिन्न–भिन्न संघों की नैतिक संहिताओं के आधार पर निम्नलिखित नैतिक संहिता को विकसित किया गया है। यह विवेचन इसका पालन करता है कि संहिता हमारे द्वारा विकसित की गयी है और यह भारतीय दशाओं का ध्यान में रखती है)

समाज कार्य व्यवसाय का मिशन आन्तरिक मूल्यों के समुच्चय में दृढ़ रूप से स्थिर है। इन केन्द्रीय मूल्यों को समाज कार्यकर्त्ताओं द्वारा व्यवसाय के इतिहास में पूरे समय अंगीकार किया गया है जो कि समाज कार्य के अनुपम उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य का आधार है। ये आन्तरिक मूल्य हैं–

- सेवा
- सामाजिक न्याय

- व्यक्ति की योग्यता और गरिमा
- मानवीय सम्बन्धों का महत्व
- अखण्डता
- समर्थता

I) समाज कार्यकर्त्ता के रूप में समाज कार्यकर्त्ता का आचरण और व्यवहार

समाज कार्यकर्त्ता को व्यक्तिगत आचरण के उच्च मानदण्डों के अनुरूप कार्य करना चाहिए।

समाज कार्यकर्त्ता को व्यक्तिगत आचरण के उच्च मानदण्डों को बनाए रखना चाहिए जब वह दूसरों के साथ कार्य कर रहा हो। आचरण के उच्च मानदण्डों का अर्थ होगा कि समाज कार्यकर्त्ता को बेईमानी के कार्यों, धोखेबाजी और चालबाजी में लिप्त नहीं होना चाहिए। सामान्यता एक व्यक्ति का जीवन दो भागों में विभाजित होता है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत। व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन तथाकथित रूप से खुला हुआ होता है और व्यक्तिगत जीवन जहाँ कि व्यक्ति के पास बिना कानून तोड़े, जिससे वह खुश रहे, वैसा करने की स्वतंत्रता होती है। परन्तु समाज कार्यकर्त्ता, का यहाँ तक कि उसके व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। उदाहरण के लिए यह अनुपयुक्त है कि एक समाज कार्यकर्त्ता द्विविवाही हो और तो भी वह समुदाय के सम्मान को एक पथ प्रदर्शक या नेता के रूप में बनाए रखे।

समाज कार्यकर्त्ता को सक्षमता का एक उच्चस्तर व्यवसाय के व्यवहार में निपुणता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए

उत्कृष्टता को प्राप्त करना प्रत्येक वचनबद्ध व्यावसायिक व्यक्ति का एक इच्छित लक्ष्य होता है, यह मायने नहीं रखता कि क्षेत्र क्या है। समाज कार्यकर्त्ता इस पहलू में दूसरो से अलग नहीं है। समाज कार्यकर्त्ता को उसके कार्य से सम्बन्धित क्षेत्र के विषय में विभिन्न पहलुओं में अपने ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए।

समाज कार्यकर्त्ता को केवल वे मामले लेने चाहिए जिनकी कि वह अपनी समर्थता के स्तर के साथ देखभाल कर सकें। जहाँ समाज कार्यकर्त्ता का निर्णय लेना है, वहाँ घटना से सम्बन्धित तथ्यों और परिस्थितियों के एक खुले और निष्पक्ष अध्ययन के पष्चात मामले का बनाना चाहिए। मामले को लेने के पश्चात यदि किसी भी चरण पर समाज कार्यकर्त्ता को महसूस होता है कि मामला उसकी क्षमता से परे है तो उसे मामले का एक अधिक सक्षम व्यावसायिक व्यक्ति को सौंपने की व्यवस्था करनी चाहिए।

कुछ मामलों में समाज कार्यकर्त्ता स्वयं तनावपूर्ण स्थिति का अनुभव कर सकता है जो उसके निष्पादन पर प्रभाव डाल सकता है। समाज कार्यकर्त्ता की व्यावसायिक सहायता होनी चाहिए और अपने सेवार्थी के लिए विकल्प तैयार करना चाहिए। यहाँ तक कि अन्य प्रकार से समाज कार्यकर्त्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी समस्याएँ उसके सेवार्थी के साथ व्यवहार में बाधा न पहुँचाए और परिणाम स्वरूप सेवार्थी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें। समाज कार्यकर्त्ता को नौकरी या पदोन्नति पाने के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव का मिथ्या निरूपण नहीं करना चाहिए। आमतौर पर मान्यता प्राप्त मानकों अभ्यास के एक उभरते क्षेत्र के लिए सम्मान के साथ मौजूद नहीं है, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं सावधानीपूर्वक निर्णय एवं जिम्मेदार कदम लेना चाहिए (उचित शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श, एवं पर्यवेक्षण सहित) जिससे वे सेवार्थी को खतरे से बचा सकें एवं अपने कार्य की क्षमता को सुनिश्चित कर सकें

समाज कार्यकर्त्ता समाज कार्य व्यवसाय के सेवाकार्य के दायित्व का सम्मान प्राथमिक रूप में करता है।

समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में अस्तित्व सेवार्थियों को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने से वैध होता है। समाज कार्यकर्त्ता को व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने की आज्ञा है जो कि प्रदत्त करती है कि उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व वह लेता/लेती है। सेवार्थी को उसके व्यक्तिगत गुणों की परवाह किए बगैर स्वीकृति सम्बन्धों में महत्वपूर्ण होती है। व्यावसायिक व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके कार्य में और उसके प्राधिकार के क्षेत्र में विभेदात्मक और अमानवीय कृत्यों की आज्ञा नहीं है।

समाज कार्यकर्त्ता को व्यावसायिक अखण्डता और निष्पक्षता के उच्च मानदण्डों के अनुरूप कार्य करना चाहिए

समाज कार्यकर्त्ता को समाज कार्य मूल्यों और सिद्धांतों के इसके व्यवहार में अनुप्रयुक्त होने के लिए सुनिश्चित करने को ध्यान में रखना चाहिए उसे सभी हानिकारक प्रभावों, जिनके स्रोत संस्था के भीतर या संस्था के बाहर हैं, उनका प्रतिरोध करने के योग्य होना चाहिए; सहकर्मियों से, अधीनस्थ या उच्च अधिकारी, नौकरषाहों से, राजनीतिज्ञों या कोई भी अन्य जो किस ऐसा करने की स्थिति में है। समाज कार्यकर्त्ता को व्यावसायिक सम्बन्धों को प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहिए।

समाज कार्यकर्त्ता को अध्ययन में लगा होना चाहिए और शोध को विद्वानोचित जाँच के समायोजन द्वारा निर्देषित होना चाहिए

समाज कार्य में शोध मानवीय समस्याओं से सम्बन्धित होती हैं और जो लोग इन समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं। वे प्रायः कठोर मानसिक आघात से अधिक अनुभव नहीं कर रहे हैं। शोधकर्त्ता जब इन स्रोतों से सूचनाएँ एकत्रित कर रहा होता है तो उसे समस्या को संवेदनशीलता का विवरण, व्यक्ति के लिए बनायी जाने वाली प्रक्रिया का प्रभाव और सम्पूर्ण सेस्टा के विषय में सेवा वितरण के प्रभाव को लेना चाहिए। शोधकर्त्ता का शोध प्रक्रिया में सहभागिता हेतु किसी के भी साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिएं। आगे, यह ध्यान में रखना चाहिए कि शोध कार्य में सहभागिता के परिणाम के रूप में उत्तरदाता का कोई नुकसान न होने पाए।

II) समाज कार्यकर्त्ता का सेवार्थी के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व समाज कार्यकर्त्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व सेवार्थी के सर्वश्रेष्ट हितलाभ की और है

समाज कार्यकर्त्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह सेवार्थी की सेवापूर्ण निष्ठा और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ करे। सर्वश्रेष्ठ हितलाभ वाक्यांश कहने में आसान है परन्तु वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के व्यवहार में कठिन है। भारतीय परिस्थितियों में सेवार्थी के कल्याण से सम्बन्धित बहुत से पहलुओं के विषय में कदाचित समझौता करना पड़ सकता है क्योंकि उपलब्ध विकल्प बहुत सीमित होते है। समाज कल्याण कार्यक्रमों और समाज कल्याण संस्थाओं की अपनी सीमा हैं और इसलिए नौकाषाही इन कार्यक्रमों का प्रबन्ध और कार्यान्वयन करती है। इसके अतिरिक्त, समाज में विभिन्न स्तरों पर प्रचलित सामाजिक नियंत्रण विन्यास की कठोरता व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रर कार्य के लिए क्षेत्र को सीमित करती हैं उदाहरण के लिए एक महिला जो कि अपने पति के परिवार द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न का सामना कर रही है, उसके लिए अत्यधिक सम्भावना यह है कि उसे वापस घर में ले लिया जाये क्योंकि इसमें मुश्किल से ही कोई विकल्प हैं। उसके माता–पिता उसे अपने घर में अपमान और उसके भविष्य की आषंका से नहीं रखना चाहते हैं। इन मामलों में समाज कार्यकर्त्ता को भी उपलब्ध विकल्प को स्वीकारना और उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। परन्तु समाज कार्यकर्त्ता महिला की

स्थिति की जाँच के लिए पुनः मुलाकात कर सकते हैं और आगे उत्पीड़न को रोक सकते है। समाज कार्यकर्त्ता को किसी भी परिस्थिति में सेवार्थी के साथ सम्बन्धों को व्यक्तिगत हित लाभ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए।

समाज कार्यकर्त्ता को साथी समाज कार्यकर्त्ताओं और दूसरे विषयों के व्यावसायिकों को सहयोग देना और परामर्श करना चाहिए यदि ये सेवार्थी के हितलाभ के लिए कार्य करते हैं कुछ मामलों में दूसरे व्यावसायिक व्यक्ति उतना सहयोगी नहीं होंगे जैसा कि एक को होना चाहिये, तो समाज कार्यकर्त्ता को याद रखना चाहिए कि उसे सेवार्थी के पूर्णवाद के विचार को लेना है ओर उसकी योग्यता की रक्षा भी करना है। अतः वह सेवार्थी के हितलाभ में अपने अहम हो एक तरफ रख सकता है।

भारतीय परिस्थिति में समाज कार्यकर्त्ता को देखना चाहिए कि सेवार्थी के साथ लिंग, जाति, धर्म, भाषा, पूजा–पाठ, वैवाहिक–स्तर या लैंगिक प्राथमिकता के आधार की योग्यता के विषय में गलत बयान होगा यदि वह सेवार्थी के जीवन के उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके जो कि प्रत्यक्ष रूप से समस्या से सम्बन्धित नहीं है। उदाहरण के लिए एक समाज कार्यकर्त्ता कदाचित एक सदाचारी हो जो किविश्वास करता है कि समलिंगी कामुकता एक पाप है परन्तु उसका सेवार्थी जो उसके पास एच.आई.वी./एड्स के विषय में परामर्ष के लिए आया है कदाचित समलिंगी हो। इस प्रकार की परिस्थिति में उसे रोगी को दोषी नहीं ठहराना चाहियें। यह हमेशा वाँछनीय है कि सेवार्थी की समस्या को उसके परिप्रेक्ष्य से समझना चाहिए।

सेवार्थी के अधिकार और विशेषाधिकारः

समाज कार्यकर्त्ता को प्रत्येक प्रयास सेवार्थी की योग्यता में अधिकतम आत्म निष्चय को प्रोत्साहित करना चाहिए। आत्मनिश्चय का अर्थ है सेवार्थी की निर्णयों के लेने में अनिवार्य अवसरों, सहारा आत्मविश्वास और ज्ञान देना जो उसके जीवन को प्रभावित करेगा। समाज कार्यकर्त्ता जब ऐसी परिस्थितियों में होता है जहाँ सेवार्थी निर्णयों को नहीं ले सकता तो उसे सेवार्थी के अधिकारों, उसकी सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थिति और अन्य प्रासंगिक तथ्यों जो सेवार्थी को प्रभावित करते हैं, को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए।

गोपनीयता और एकांतता

समाज कार्यकर्त्ता को सेवार्थी की एकांतता का सम्मान करना चाहिए और व्यावसायिक सेवा की अवधि के दौरान प्राप्त की गयी समस्त सूचनाओं को गुप्त रखना चाहिए। सेवार्थी के सम्बन्ध में सूचना सेवार्थी के संज्ञान और उसकी सहमति से उन व्यक्तियों को दी जा सकती है जिन्हें सूचित करने की आवश्यकता है। अभिलिखित की गयी सूचना को सावधानी पूर्वक अनुरक्षित करना चाहिए और इन अभिलेखों तक पहुँच को प्रतिबन्धित कर देना चाहिए।

जब सूचना को अन्य लोगों को बताना हो तो समाज कार्यकर्त्ता को चाहिए कि वह इसके बारे में सेवार्थी का बताए और उसकी सहमति प्राप्त करने की कोषिष करे। इसके सम्बन्ध में सेवार्थी की भावनाओं और संवेगों का सम्मान किया जाना चाहिए और कदाचित उसी के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।

शुल्क

समाज कार्यकर्त्ता जब शुल्क निर्धारण करे तो उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि की गयी सेवा और सेवार्थी की देय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित तर्क संगत, विचारशील और सहमति पर आधारित हो।

समाज कार्यकर्त्ता सिर्फ धन कमाने के व्यवसाय में नहीं है। समाज कार्यकर्त्ताओं को अपने

प्रयासों को धन कमाने के कार्यों के रूप में नहीं करना चाहिए। इसलिए समाज कार्यकर्त्ता को वह शुल्क लेना चाहिए जो कि उचित और न्यायसंगत हो। इसको समाज कार्यकर्त्ता द्वारा सेवा देने के दौरान प्रयुक्त समय और विशेषज्ञता के अन्तर्गत रखकर विचार किया जाना चाहिए।

यह कदाचित ध्यान देने योग्य है कि पाष्चात्य देषों की तरह भारत में समाज कार्य व्यवहार अभी तक व्यावसायिक स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। यहाँ कोई गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला संगठन या व्यवस्थापन निकाय नहीं है। सामान्य व्यक्ति समाज कार्य व्यवसाय के बारे में तथा इससे किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले हित लाभ के बारे में पर्याप्त रूप से शिक्षित एवं जानकारी नहीं है।

जिस दिन से समाज कार्यकर्त्ता संस्थाओं द्वारा सेवानियोजित और भुगतान प्राप्त करता है तो उसी दिन वह वित्तीय लाभ के लिए निजी कार्य (व्यवहार) मुश्किल से कर पाता है।

III) समाज कार्यकर्त्ता का सहकर्मियों के प्रति नैतिक दायित्व, सम्मान, निष्पक्षता और शिष्टाचार

समाज कार्यकर्त्ता को सहकर्मियों के साथ सम्मान, शिष्टाचार, निष्पक्षता और भलाईपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यह समाज कार्यकर्त्ता के रूप में कार्यरत सहकर्मियों तथा अन्य व्यवसायों के सदस्यों पर भी लागू होता है।

सहकर्मी के सेवार्थियों के साथ कार्य करना

समाज कार्यकर्त्ता को निम्न सम्बन्ध स्थापित करने का उत्तर दायित्व है।

सहकर्मी के सेवार्थियों के प्रति वह पूर्ण व्यावसायिक प्रयोजन के साथ संबंध स्थापित करना। सहकर्मी की अनुपस्थिति के मामले में समाज कार्यकर्त्ता को सेवार्थियों के साथ्र वैसे ही कार्य करना चाहिए जैसा कि वह स्वयं करता/करती है समाज कार्यकर्त्ता को सहकर्मी के सेवार्थी को लुभाना नहीं चाहिए, बाहरी औपचारिक मार्गों के लिए प्रभावित नहीं करना चाहिए या सहकर्मी की ख्याति को नष्ट करने का प्रयास नही करना चाहिए। एक सहकर्मी के सेवार्थी को न केवल सहकर्मी के पूर्ण संज्ञान और सहमति के साथ ही हस्तांतरित किया जा सकता है फिर भी एक सेवार्थी अपनी स्वतंत्रता इच्छा पर अपना परामर्षदाता बदलने के लिए स्वतंत्र है।

IV) समाज कार्यकर्त्ता का सेवायोजनक और नियोजक संगठनों के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व

समाज कार्यकर्त्ता एक कर्मचारी के रूप में: समाज कार्यकर्त्ता को नियोजक संस्थाओं के नियमों और विनियमों को आत्मसात करना चाहिए। अधिकतर संस्थाओं में पद सोपान होता है और समस्त कार्यकर्त्ताओं को संस्था में एक पद निर्धारित होता है। समाज कार्यकर्त्ता को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी विधि संगत आदेषों का अनुसारण करना चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता का संस्था में अनैतिक कार्यों हेतु प्रत्युत्तर के लिए अपचार की गम्भीरता के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी, यह सेवार्थियों और समाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। किसी भी स्थिति में समाज कार्यकर्त्ता को संस्था द्वारा किए गए गलत कार्यों का भागीदार नहीं होना चाहिए चाहे वह उस संस्था द्वारा नियुक्त ही किया गया हो/की गयी हो।

V) समाज कार्यकर्त्ता का समाज कार्य व्यवसाय के प्रति नैतिक उत्तरादायित्व

व्यवसाय की अखण्डता का अनुरक्षण करते रहना: समाज कार्यकर्त्ता का व्यवसाय के मूल्यों आचार संहिता, ज्ञान और मिशन को बनाए रखना ताकि इनमें प्रगति करना चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता एक बड़े समुदाय का हिस्सा है और उसके कार्य व्यवसाय और

व्यावसायिकों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। समाज कार्यकर्त्ताओं को समाज कार्य व्यवसाय के सदस्यों द्वारा गम्भीर रूप से गलत कार्यों को उचित संस्था के पास ले जाना चाहिए।

समाज कार्यकर्त्ता को अपनी शैक्षिक योग्यताओं और क्षमताओं के विषय में मिथ्या निरूपण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक समाज कार्यकर्त्ता को यह दावा नहीं करना चाहिये कि वह एक चिकित्सक है। फिर भी उसकी समुदाय के साथ विष्वसनीयता में वृद्धि हो सकती है और उसे सौंपे गए कार्य के प्रति और अधिक उत्तरदायी बना सकती है।

समाज कार्यकर्त्ता को सेवार्थी के विषय में तथ्यों का मिथ्या निरूपण नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि जब वे उसे लाभ के लिए प्रतीत हों तो भी नहीं यदि यह संदेशदिया जाए कि तथ्यों को उद्देश्यों के लिए तोड़ा–मरोड़ा गया है तो व्यवसाय और समाज कार्यकर्त्ता की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ेगा।

समाज कार्यकर्त्ता को जन सामान्य के लिए समाज सेवा उपलब्ध कराने में व्यवसाय की सहायता करनी चाहिएः समाज कार्यकर्त्ता की समाज सेवाओं का उपलब्ध कराने में संलिप्तता उसके कार्य के घंटों के साथ समाप्त नहीं हो जाती है। समाज कार्यकर्त्ता को अपना समय और विशेषज्ञता को प्रयासों के लिए ऐसे उपलब्ध करना चाहिए जो समाज में सुधार का पता लगाते हैं।

समाज कार्यकर्त्ता को व्यावसायिक व्यवहार के लिए पहचान करने, विकास करने और ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने के उत्तरदायित्व को ग्रहण करना चाहिएः नए ज्ञान का अनुसरण और वर्तमान ज्ञान से सम्बन्धित मुददों का स्पष्टीकरण किसी भी व्यवसाय का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। समाज कार्यकर्त्ता को ज्ञान के संवर्धन की निरन्तर प्रक्रिया में भागीदार होना चाहिए और स्वयं को विषय से सम्बन्धित नवीन विकासों के बारे में जानकारी करनी चाहिए।

VI) समाज कार्यकर्त्ता का समाज के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व

समान्य कल्याण को प्रोत्साहनः समाज कार्यकर्त्ता को समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। समाज कार्यकर्त्ता को ऐसे सभी प्रयासों में भाग लेना चाहिए जो विभेदीकरण और निषेध, मानवधिकारों के हनन को उन्मूलन करते हैं और सामाजिकता को बढ़ावा देते है।

बोध प्रश्न II

टिप्पणी : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) समाज कार्यकर्त्ता का उसके साथ कार्य करने वाले अन्य व्यवसाइयों के प्रति क्या आचरण होना चाहिए?

.....

.....

.....

.....

.....

4.7 नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेने में समाज कार्यकर्त्ता के सम्मुख आने वाली समस्याएँ

नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेना किसी भी समाज में कठिन होता है इसलिए यह समाज कार्यकर्त्ता के लिए प्रतिकूल परिणाम में परिणत हो सकता है। उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि उसके निर्णय कुछ व्यक्तियों या समूहों की रूचियों की हानि पहुँचा सकते है। जो स्थिति से लाभ पाने का इरादा रखते हैं।

भारतीय समाज में मल्यों का संकट

कई समाज वैज्ञानिकों ने भारतीय समाज में मूल्यों के संकट पर विचार प्रकट किए है। भारतीय समाज में दूसरे के लिए ईमानदारी और शिष्टाचार सरकारी कर्मचारियों और निगमों के मध्य उत्तरदायित्व आदि में मूल्यों का अभाव दिखायी दे रहा है। कुछ के अनुसार संकट के कारण है इस लिए है क्योंकि हम अपने प्राचीन मूल्यों को छोड़ चुके है। दूसरों के लिए मूल्यों से संबधिक संकट विद्यमान है क्योंकि भारतीय समाज इस समय आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। समाज कार्यकर्त्ता को इस प्रकार की परिस्थितियों में रहना और कार्य करना होता है और वे स्वाभाविक रूप से इनसे प्रभावित होते हैं।

धन कमाने के प्रयास के रूप में स्वैच्छिक संस्थाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय दानदाताओं और साथ ही साथ स्थानीय और सरकारी स्रोतों द्वारा बड़ी मात्रा में निधियों की उपलब्धता के कारण्र अंसख्य स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थापना को सुनिश्चितकिया है। इनमें से बहुत सी संस्थाएँ लोगों के लिए कार्य करने का दावा करती है। परन्तु वास्तविक उद्देश्य उनके धन कमाना प्रतीत होता है। भ्रष्टाचार, अनुपयुक्त तरीके से धन का प्रयोग, उत्तरदायित्व की कमी और अनुचित लेखा प्रक्रिया कुछ ऐसे आरोप है। जो कि इन संस्थाओं के विरूद्ध लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की स्थापना का वास्तविक प्रयोजन और आदर्ष असफल हो गया है।

समाज कार्य सम्बन्धी मुद्दों में समान्य परिदृष्य का अभाव

अनेक दिशाओं में भारतीय समाज एक संक्रमण की स्थिति में है। व्यक्ति से सम्बन्धित कुछ निश्चितमुद्दों स्वायत्तता, सामूहिक पूर्वाभिमुखीकरण, व्यक्तिगत अधिकारों और उत्तरदायित्वों को किसी भी समाज में विलय करना कठिन है भारतीय समाज पारम्परिक और आधुनिक शक्तियों में जकड़ा हुआ है और इन मुद्दों से सम्बन्धित उसकी अनेकों समस्याएँ हैं। विभिन्न समूह भी पाष्चात्यीकरण द्वारा विभिन्न रूपों से प्रभावित होते है। ये सभी समाज कार्यकर्त्ता के अन्तैयक्तिक संबंधों में समस्या उत्पन्न करते है।

समाज कार्यकर्त्ता की शक्तिहीनता

बहुत से मामलों में समाज कार्यकर्त्ता शिष्टाचार के साथ कार्य करने का इरादा करता है परन्तु ऐसा करने के लिए उसके पास शक्ति की कमी होती है अन्य दूसरों संस्थाओं और प्राधिकारियों के जिन पर समाज कार्यकर्त्ता निर्भर होता है जब वह कठिन परिस्थितियों को सामना कर रहा होता है। उनके कार्य करने का तरीका प्रायः उस समाज कार्यकर्त्ता से बहुत अलग पाया जा सकता है। कई बार कल्याण संस्थाओं में उत्तरदायित्व की कमी, कर्मचारियों की अवहेलना, निहित स्वार्थ और यहाँ तक कि अपराधियों की समस्याँ पायी जाती हैं। समाज कार्यकर्त्ता के पास विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि इनके साथ–साथ चले क्योंकि उसके पास परिस्थितियों के बदलने की शक्ति नहीं है अधिक से अधिक वह

न्यूनतम परिवर्तन कर सकता है इससे अधिक कुछ भी करना जोखिम भरा होता है और प्रत्येक व्यक्ति इससे आगे जाने की बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

नागरिक समाज द्वारा सहायता की कमी

समान्य रूप से भारत में समाज कार्य व्यवसाय ने सरकार और समाज से अधिक मान्यता प्राप्त नहीं की है। कुछ समाज कार्यकर्त्ताओं के दुष्कर्मों (उनमें से बहुत से व्यावसायिक नहीं हैं दुर्भाग्य से भारतीय समाज व्यावसायिक और स्वैच्छिक समाज कार्यकर्त्ताओं में भेद नहीं करता है), ने समाज कार्यकर्त्ताओं की छवि और नैतिक अधिकारों को नुकसान पहुँचाने में योगदान दिया है लोग समाज कार्यकर्त्ताओं के ऊपर उनकी गुप्त प्रेरणाओं के धारण करने के विषय में सन्देह करते है। जब वे सामाजिक मुद्दों को हाथ में लेते है। इन सभी से समाज कार्यकर्त्ता के लिए लोगों के सहयोग की कमी का परिणाम सामने आया है और उसकी सामाजिक परितर्वन का प्राप्त करने शक्ति को कमजोर कर दिया।

व्यावसायिक निकायों और व्यावसायिक सहयोग की कमी

एक व्यावसायिक निकाय का अस्तित्व समाज कार्य व्यावसायिकों का अत्यधिक जरूरी प्रषिक्षण और सहायता दे सकता है। दूसरे यदि समाज कार्यकर्त्ता को प्रासंगिक मुद्दों को विधि सम्मत तरीके से उठाने के लिए कष्ठ उठाना पड़े तो व्यावसायिक निकाय उसे सहयोग दे सकेगा। यह समाज कार्यकर्त्ता को जनता से सम्बन्धित मुद्दों के बिना भय के हाथ में लेने के लिए सक्षम बनायेगा।

व्यावसायिक आचार संहिता के अध्ययन और विचार विमर्ष को महत्व दिए जाने का अभाव

जहाँ सभी समाज कार्य के षिक्षक यह मानते हैं कि समाज कार्य की आचार संहिता महत्वपूर्ण है, इसको पाठ्यक्रम में द्वितीयक महत्व प्रदान किया गया है। छात्र सुगमता पूर्वक मानते हैं कि यह कुछ अधिक ही आदर्शवादी है जिसका कि क्षेत्र में व्यवहार किया जाना चाहिए। वास्तव में भारत में अधिकाषं विष्वद्यिालयों में समाज कार्य के पाठ्यक्रम में कक्षा–षिक्षण के अंगभूत के रूप में आचार संहिता नहीं है।

बोध प्रश्न III

टिप्पणी :क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1) ऐसे दो कारणों का उल्लेख कीजिए जो भारत के संदर्भ में आचार संहिता विधेयक निर्णय लेने को कठिन बनाते हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

4.8 सारांश

इस इकाई में हमने समाज कार्य नैतिक संहिताओं, इसका व्यवहार में महत्व और भारत के सन्दर्भ में नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेने से सम्बन्धित कुछ कारणों पर विचार किया गया है। संहिताएँ क्या उचित होना चाहिये के साथ कार्य करती है। ये समाज कार्यकर्त्ता की जटिल परिस्थितियों के सरलीकरण मे सहायता करती है। जिनमें प्रायः वह

अपने को पायेगा। समाज कार्यकर्त्ताओं को उसे सुपुर्द की गयी संहिताओं के उच्च मानदण्डों का प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जब एक समाज कार्यकर्त्ता दुर्व्यवहार करता है तो केवल उसकी विश्वसनीयता ही नहीं बल्कि पूरा व्यवसाय प्रभावित होता है।

नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेने से सम्बन्धित अनेकों समस्याएँ है। जिनमें से कुछ के विषय में हमने विचार विमर्ष किया। ये समस्याएँ दर्शाती हैं कि समाज कार्यकर्त्ता को जब वह निर्णय ले रहा हो तो अत्यन्त सावधान रहना चाहिए जो कि शक्तिशाली लोगों को प्रभावित करता है जब तक समाज कार्यकर्त्ता समाज और सरकार से समुचित मान्यता प्राप्त नहीं करता, समाज में कोई भी आधारभूत परिवर्तन करना कठिन होगा। जब तक यह घटित होगा समाज कार्य विषय समाज में एक द्वितीयक व्यवसाय ही बना रहेगा।

जैसा कि प्रारम्भ में उल्लेख किया जा चुका है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य कदम है, व्यावसायिक समाज कार्य संघ का निर्माण जिसको सरकार का अनुमोदन हो और जिसे सदस्यों के व्यावसायिक व्यवहार और आचरण को नियन्त्रित करने का समुचित अधिकार हो। इस संघ के सदस्य के रूप में केवल प्रषिक्षित व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता ही हों और इसके पदाधिकारी लोकप्रिय मतदान के आधार पर चयनित किए जाएँ।

4.9 शब्दावली

उपयोगितावाद : उपयोगितावाद अभिव्यक्त करता है कि नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी बड़े पैमाने पर सुख और खशहाली उत्पन्न करता है। परिणाम स्परूप, यह जहाँ कुछ लोग कष्ट में हैं, क्रिया करने की आज्ञा दे सकता है, यदि इसका समाज पर पड़ने वाला कुछ प्रभाव सकरात्मक है। अन्य क्रियाएँ जिन्हें उपयोगितावाद सहयोग दे सकता है, वे हैं गर्भपात एवं सहज मृत्यु यदि इनके परिणाम व्यक्तियों की खुशहाली से सम्बन्धित है।

नागरिक समाज : विभिन्न लेखकों द्वारा नागरिक समाज को भिन्न भिन्न प्रकास से परिभाषित किया गया है। जहाँ इसका अर्थ समाज में सभी प्रकार के संघों, जो सरकार के नियन्त्रण से परे हैं और जो प्रकृति से स्वैच्छिक है, की ओर संकेत करते हैं। नागरिक समाज में पत्रकारिता की संख्याओं, स्वैच्छिक संस्थाओं, श्रम संस्था, विकास संस्थाओं और व्यावसायिक संगठनों जैसी संस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

सामाजिक डार्विनवाद : डार्विन ने सर्वाधिक उपयुक्त के ही जीवित रहने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है जो स्पष्ट करता है कि एक किस्म के कुछ सदस्य ही जीवित रहे हैं और अन्य विलुप्त हो गए क्योंकि पहले कि सदस्यों में कुछ स्वाभाविक गुण थे जिसने उन्हें कमजोरो पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया। मानव समाज के लिए अनुरूपता का निर्माण करते हुए डार्विनवादविश्वास करता है कि जिन लोगों के पास आवष्यक गुण हैं वे दूसरों पर विजय प्राप्त करेंगे अैर हारने वाले को शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से हटा दिए जाने के पात्र होंगे।

4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क (2003), कोड ऑफ इथिक्स।

गेन्सलर, हैरी जे (1988), इथिक्स–ए कन्टेम्पोरेरी इन्ट्रोडक्शन, रटलेज, लन्दन।

नेशनल एशोसिएशन ऑफ सोशल वर्क (यू.एस.ए.) (2003), कोड और इथिक्स, सू.एस.।

4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न I

1) समाज कार्यकर्त्ता मानवीय सम्बन्धों में समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं इस प्रक्रिया में समाज कार्यकर्त्ता सेवार्थी के विषय में सूचनाएँ प्राप्त करते हैं। जिसका उपयोग सेवार्थी को हानि पहुचाने के लिए किया जा सकता है। दूसरे प्रायः सेवार्थी भावनात्मक रूप से कमजोर अवस्था में हो सकते हैं जिसका समाज कार्यकर्त्ता व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित लाभ उठा सकता है। इन दोनों परिणामें से दूर रहना चाहिए। तीसरे, समाज कार्यकर्त्ताओं को समाज में अपनी विश्वसनीयता को बनाये रखना पड़ता है।

बोध प्रश्न II

1) समाज कार्यकर्त्ता को अन्य व्यावसायिकों के प्रति शिष्टाचार, समझ और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के उचित आदेशों को मानना होता है उनको अपने साथी समाज कार्यकर्त्ताओं के साथ अच्छा कार्यात्मक सम्बन्ध रखना अनिवार्य है। उनके लिए अपने मस्तिष्क में हमेषा सेवार्थी को रखना आवष्यक होता है।

बोध प्रश्न III

1) भारत में समाज कार्यकर्त्ताओं के पास कोई व्यावसायिक निकाय नहीं हैं जो कि उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहायता करें और दूसरे भारतीय समाज मूल्यों की संदेहास्पदता के रूप में मूल्यों के संकट से गुजर रहा है इसने समाज कार्यकर्त्ता सहित समाज के प्रत्येक कार्य को प्रभावित किया है।